संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार

जनता के लिए रिपोर्ट

2010-11

डॉ. मनमोहन सिंह
प्रधान मंत्री

श्रीमती सोनिया गांधी
अध्यक्ष, यूपीए

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार

जनता के लिए रिपोर्ट

2010-11

सत्यमेव जयते

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार

जनता के लिए रिपोर्ट

2010-11

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार द्वारा आकल्पित एवं प्रकाशित
संकलन : पत्र सूचना कार्यालय

न्यूटेक फोटोलिथोग्राफर्स, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित

विषय सूची

1. प्रस्तावना

2. मानव विकास

2.1	शिक्षा	1
2.2	स्वास्थ्य	6
2.3	बाल अधिकार	10

3. सामाजिक समावेश

3.1	खाद्य सुरक्षा	13
3.2	महिला सशक्तिकरण	13
3.3	कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण एवं विकास	14
3.4	अल्पसंख्यकों के लिए समावेशी कार्यक्रम	15
3.5	अक्षमता से सशक्तिकरण की ओर	18
3.6	वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल	18
3.7	सैनिकों के कल्याण के प्रयास	18
3.8	कामगारों का कल्याण	19
3.9	वित्तीय समावेश	20
3.10	भाषायी समावेश	20
3.11	जनगणना	20

4. ग्रामीण नवीकरण

4.1	भारत निर्माण	21
4.2	ग्रामीण रोज़गार	22
4.3	खाद्य सुरक्षा एवं किसानों के कल्याण की ओर	23
4.4	पंचायती राज	28

5. शहरों का कायाकल्प

5.1	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	29
5.2	जन परिवहन	29
5.3	शहरी गरीबों के लिए आवास	30
5.4	सार्वजनिक-निजी भागीदारी प्रयास	30

6. आर्थिक उत्थान

6.1	आर्थिक वृद्धि	31
6.2	औद्योगिक कार्यनिष्पादन	34
6.3	ऊर्जा	41

7. पर्यावरण संरक्षण
7.1 जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 49
7.2 वन संरक्षण 49
7.3 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 49
7.4 गंगा सफाई मिशन 49
7.5 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन 49
7.6 पर्यावरण अनुकूल भवनों को प्रोत्साहन 49
8. नए क्षितिज
8.1 विज्ञान और प्रौद्योगिकी 51
8.2 अंतरिक्ष कार्यक्रम 53
8.3 सूचना एवं प्रसारण 54
8.4 पर्यटन 54
8.5 संस्कृति 54
8.6 राष्ट्रमंडल खेल 55
8.7 युवाओं की राष्ट्र निर्माण में भागीदारी 55
8.8 प्रगति के पथ पर भारतीय डाक 55
9. आपदाओं से निपटना
9.1 आपदा संबंधी दिशा-निर्देश 57
9.2 राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल 57
9.3 बाढ़ राहत 57
9.4 प्रशमन परियोजनाएं 57
9.5 लेह और करगिल में बाढ़ सहायता 57
10. विशिष्ट विकास ज़रूरतों पर ध्यान
10.1 पूर्वोत्तर 59
10.2 जम्मू-कश्मीर 60
11. सुरक्षा
11.1 आंतरिक सुरक्षा प्रयास 63
11.2 सीमा सुरक्षा 64
11.3 रक्षा 65
12. प्रशासन और नागरिक समाज
12.1 सुधार 67
12.2 भ्रष्टाचार निरोधक उपाय 70
13. प्रगाढ़ अंतर्राष्ट्रीय संबंध
13.1 विदेशी मामले 71
13.2 प्रवासी भारतीय 76

प्रधान मंत्री

Prime Minister

प्रस्तावना

2004 में यूपीए सरकार के सत्ता में आने के बाद से हम हर साल अपने देश की जनता के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करते रहे हैं। हमें विश्वास है कि इन रिपोर्टों से जनता को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि अपने वायदों पर हम कितने खरे उतरे हैं, हमने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं और यह भी कि हम क्या-क्या अपेक्षाएं पूरी नहीं कर सके। मुझे 2010-11 में सरकार के कामकाज पर यह रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बहुत खुशी हो रही है।

यूपीए सरकार को विश्वास है कि समावेशी विकास के लिए तीव्र और व्यापक आर्थिक वृद्धि आवश्यक है। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि 2004-05 से 2010-11 के दौरान गंभीर वैश्विक वित्तीय संकट के बावज़ूद हमारी अर्थव्यवस्था ने अभूतपूर्व 8.5 प्रतिशत वृद्धि हासिल की। इस संकट के कारण 2008-09 में वृद्धि दर घट कर 6.8 प्रतिशत रह गई थी, लेकिन 2010-11 में 8.6 प्रतिशत की तीव्र आर्थिक वृद्धि के साथ अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ गई। कृषि में 5.4 प्रतिशत, उद्योग में 8.1 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र में 9.6 प्रतिशत वृद्धि दर रही। कृषि विकास दर खासतौर पर संतोषजनक रही और हमारे किसानों ने 23 करोड़ 50 लाख टन अनाज पैदा किया जो स्वतंत्रता के बाद अब तक का सबसे अधिक उत्पादन है।

भारत आज व्यापक रूप से लगातार तेज विकास की राह पर बढ़ रहा है, जिसे अतीत में गिने-चुने देश ही हासिल कर सके। हम इस वायदे को पूरा करने को दृढ़संकल्प हैं कि भारत तेजी से गरीबी, अज्ञानता और बीमारी के बोझ से मुक्त मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी में शामिल हो जाए क्योंकि इन बाधाओं ने ही हमारी आर्थिक वृद्धि को लम्बे समय से रोक रखा है। यह बदलाव लाने के लिए हमारी विकास रणनीति अपनी आर्थिक वृद्धि प्रक्रिया को सामाजिक रूप से समावेशी और क्षेत्रीय रूप से संतुलित बनाने पर दृढ़तापूर्वक केंद्रित होगी। हम अपने देश में हर प्रकार की असमानता को कम करने का प्रयास करेंगे।

हम इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक मोर्चों पर आगे बढ़े हैं। हमने किसानों के लिए समर्थन मूल्य बढ़ाए हैं और ग्रामीण सड़कों, आवास, बिजली और स्वच्छता सहित ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश किया है। हमने अपनी जनता की आजीविका सुरक्षा में निवेश किया है। हमने कई निर्णायक क्षेत्रों में अधिकारों पर टिकी व्यवस्था कायम करने के लिए सार्थक कदम उठाए हैं। सूचना का अधिकार और ग्रामीण रोज़गार गांरटी का अधिकार हम पहले ही लागू कर चुके हैं। इसी दिशा में और आगे बढ़ते हुए 2010-11 में हमने शिक्षा का अधिकार लागू किया। अब हम अपनी जनता को खाद्य सुरक्षा का अधिकार देने के लिए कानून बनाने जा रहे हैं।

इस रिपोर्ट की कुछ मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करने से पहले मैं अपनी प्रशासन प्रणाली के उस एक पहलू पर टिप्पणी करना चाहूंगा जो 2010-11 के दौरान काफी चर्चा में रहा, और वह है सरकारी कामकाज के मापदंडों और भ्रष्टाचार से जुड़ा पहलू। 2010 में 2जी स्पेक्ट्रम से जुड़ा घटनाक्रम, राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित खरीद एवं ठेकों के मामले और राज्य सरकारों से जुड़े ऐसे ही मामले संयोगवश एकसाथ उठे। इनमें से अनेक मुद्दे हमारे संस्थागत निगरानी तंत्र और स्वतंत्र प्रेस, जो हमारी व्यवस्था की शक्ति को दर्शाता है, के कारण सामने आए। इन घटनाओं के कारण हमारे बहुत से संवेदनशील नागरिकों को प्रशासन की दशा और भ्रष्टाचार के फैलाव पर गहरी चिंता हुई। ये चिंताएं तर्कसंगत हैं और यूपीए सरकार इनसे निपटने के लिए ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम उचित कानूनी प्रक्रिया के जरिए दोषियों को दंड देंगे और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भी उचित कदम उठाएंगे। हमने शासन प्रणाली में सुधार लाने के लिए कई प्रयास शुरू किए हैं जिनसे प्रशासन को बेहतर बनाने और भ्रष्टाचार पर लगाम कसने में मदद मिलेगी और हमें आशा है कि इन प्रयासों के परिणाम भी शीघ्र दिखाई देंगे।

इस रिपोर्ट में ऐसे अनेक खास क्षेत्र शामिल हैं जो हमारी जनता का जीवन-स्तर सुधारने और न्याय संगत समाज बनाने के लिए प्रासंगिक हैं। यूपीए सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में किए गए उपायों के परिणाम नज़र आने लगे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के फलस्वरूप गेंहू, चावल और दालों की पैदावार में काफी वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत कृषि संबंधी बुनियादी ढांचे में बहुत निवेश किया गया है और कई राज्यों में उच्च वृद्धि वाली तथा स्थानीय तौर पर उपयुक्त परियोजनाएं शुरु की गई हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के परिणामस्वरूप फलों, सब्जियों और मसालों

की पैदावार बढ़ी है। 2010-11 में हमने कृषि क्लीनिक और कृषि-व्यवसाय केंद्रों की स्थापना संबंधी योजना में सुधार कर विस्तार सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। हमने फॉस्फोरस और पोटेशियम उर्वरकों के लिए पौष्टिक तत्व आधारित सब्सिडी योजना शुरु की है जिससे उर्वरकों का अधिक संतुलित उपयोग होने की आशा है।

हमारी नीति का एक केन्द्र बिन्दु देश की शिक्षा प्रणाली को हर स्तर पर - प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर - मज़बूती प्रदान करना और उसे व्यापक बनाना रहा है। प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में काफी गिरावट आई है। अब 11 करोड़ से अधिक बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। स्कूल जाने वाली लड़कियों और लड़कों तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों की संख्या का अंतराल कम करने में काफी प्रगति हुई है। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में 2010-11के दौरान स्कूलों में लड़कियों के छात्रावासों के निर्माण एवं प्रबंध तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग की योजनाओं में अच्छी प्रगति हुई। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमने अनेक विधेयक तैयार कर या संसद में प्रस्तुत कर विधायी ढांचे को मज़बूत बनाने के लिए कदम बढ़ाए हैं। जम्मू को छोड़कर सभी 16 नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाई शुरू हो गई है। 2010-11 में रोहतक, रांची और रायपुर में तीन नए भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) में शैक्षिक सत्र शुरू हो गए जबकि तिरुचिरापल्ली आईआईएम में भी एग्ज़ीक्यूटिव कार्यक्रम शुरू किए गए। सभी 10 नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने भी जुलाई 2010 से काम करना शुरू कर दिया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से देश की स्वास्थ्य प्रणाली को मज़बूत बनाने में मदद मिली है। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के तहत इलाज कराने वाले आंतरिक एवं बाहरी रोगियों की संख्या में खासी बढ़ोतरी हुई है तथा चिकित्सीय देख-रेख में होने वाले प्रसवों की संख्या में भी उत्साहजनक वृद्धि हुई है। रोग नियंत्रण के सभी कार्यक्रमों में स्थायी सुधार हो रहा है। एड्स नियंत्रण एवं देखभाल में भी उत्साहजनक प्रगति हुई है और देश में पिछले दशक के दौरान एचआईवी संक्रमण के नए मामलों में 50 प्रतिशत सालाना से भी ज़्यादा की गिरावट हुई। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसे छह नए संस्थानों का निर्माण कार्य भी जोर-शोर से जारी है।

2010-11 में ऊर्जा और बुनियादी ढांचे को मज़बूत बनाने के हमारे प्रयास जारी रहे। बिजली क्षेत्र में हमने पिछले छह दशकों में किसी एक वर्ष में अब तक की सबसे अधिक क्षमता जोड़ी। देश में कच्चे तेल का उत्पादन भी 11 प्रतिशत बढ़ गया। प्राकृतिक गैस की उपलब्धता 169 एमएमएससीएमडी हो गई जो 2008-09 की 105 एमएमएससीएमडी की तुलना में बहुत अधिक है। जनवरी 2011 में कैगा बिजलीघर की चौथी इकाई चालू होने से अब देश में 20 सक्रिय परमाणु रियेक्टर हो गए हैं जिनकी कुल स्थापित उत्पादन क्षमता 4780 मेगावॉट-ई हो गई है। आंध्र प्रदेश और मेघालय में यूरेनियम के नए भंडारों की खोज के साथ हमने परमाणु ईंधन सुरक्षा हासिल करने के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। हम परमाणु कार्यक्रम में उच्चतम स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिसके लिए हमने परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को सुदृढ़ बनाने और उसे स्वायत्ता एवं स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। 2010-11 में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से भी किसी एक वर्ष में अब तक की सबसे अधिक 3,157 मेगावॉट क्षमता हासिल की गई।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना आशाओं के अनुरुप आगे बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि आने वाले वर्षो में हम इसमें और तेजी ला सकेंगे। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें बनाने के लिए विशेष योजना को मंजूरी दी गई है जिसके तहत 4,942 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। कम विकसित क्षेत्रों तक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के लाभ पहुंचाने के लिए एक लेन के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को दो लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों में बदल दिया जाएगा।

नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी से एक नया समेकित टर्मिनल चालू हो गया है जो देश में विकसित किए जा रहे हवाई अड्डे संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए नया प्रतिमान है। ऐसा ही एक हवाई अड्डा मुंबई में भी बनाया जा रहा है। चेन्नई और कोलकाता हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण और विकास का कार्य भी जारी है।

रेलवे ने माल-भाड़े और यात्री परिवहन के क्षेत्र में अच्छी वृद्धि हासिल की है। नई लाइनें बिछाने, मौजूदा लाइनों को दोहरी लाइन में बदलने और गेज परिवर्तन के क्षेत्र में रिकॉर्ड उपलब्धि

हासिल की गई। दूरसंचार क्षेत्र में मोबाइल नंबर बदले बिना नेटवर्क बदलने की सुविधा जनवरी 2011 में शुरु हो गई।

विशिष्ट पहचान परियोजना 'आधार' का शुभारंभ सितंबर 2010 में किया गया। अप्रैल 2011 तक 50 लाख से अधिक 'आधार' नंबर सृजित किए जा चुके हैं। 'आधार' परियोजना से हमारी जनता को लक्षित लाभ उपलब्ध कराने में भारी मदद मिलेगी। इससे सभी क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने में भी बहुत सुधार होगा तथा बेहतर वित्तीय समावेश सुनिश्चित किया जा सकेगा। यह समाज से भेद-भाव दूर करने के हमारे लक्ष्य को हासिल करने में भी मददगार साबित होगी।

यूपीए सरकार समाज के कमज़ोर और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के भाई-बहनों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। कुल मिलाकर हमने इन वर्गों के लिए चलाए जा रहे विशेष कार्यक्रमों की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार किया है। मैं यहां समेकित बाल विकास योजना को सुदृढ़ बनाने और उसके पुनर्गठन तथा अत्यधिक चिंता वाले चुनिंदा 200 जिलों में जच्चा-बच्चा कुपोषण से निपटने के लिए बहुक्षेत्रीय नीति अपनाने के हमारे निर्णय का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा।

खाद्य मुद्रास्फीति 2010-11 में चिंता का प्रमुख कारण बनी रही। इस समस्या से निपटने के लिए हमारी सरकार ने कुछ वस्तुओं के निर्यात और अनाज के वायदा कारोबार पर प्रतिबंध, चुनिंदा खाद्य वस्तुओं पर आयात शुल्क समाप्त करने, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा दालों और चीनी का आयात, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ज़रिये आयातित दालों एवं खाद्य तेलों का वितरण तथा खुले बाज़ार में जारी करने के लिए चीनी का अधिक कोटा जारी करने सहित अनेक उपाय किए। राजकोषीय प्रोत्साहन अब वापस लिया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बाज़ार में ज़्यादा नकदी से निपटने के लिए अनेक कदम उठाए। इसके फलस्वरूप अनाज और दालों की मुद्रास्फीति अप्रैल 2010 में 11.05 प्रतिशत से घटकर मार्च 2011 में 2.32 प्रतिशत रह गई। असल में इस समस्या का दीर्घकालिक समाधान विविध प्रकार की फसलों की उत्पादकता और पैदावार बढ़ाना ही है। हमने 2010-11 में इस दिशा में प्रयास जारी रखे तथा भविष्य में और ज़्यादा प्रयास करना चाहते हैं।

कर प्रणाली में सुधार के लिए दो प्रमुख प्रयास किए गए, जिनमें प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक और वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के लिए संविधान में 115वां संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत करना शामिल है। राजकोषीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने की दिशा में भी हम 2010-11 के दौरान आगे बढ़ते रहे।

हाल के वर्षों में पर्यावरण संबंधी मुद्दों का महत्व काफी बढ़ गया है। यदि हम अपने विकास की प्रक्रिया को स्थायी बनाना चाहते हैं और अपनी जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा पर काम करने की आवश्यकता है। 2010-11 के दौरान राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण की स्थापना की गई, गंगा सफाई मिशन के अंतर्गत 25 अरब रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई तथा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन ने भी काम शुरू कर दिया। आने वाले वर्षों में हम पर्यावरण संरक्षण के प्रयास और तेज़ करेंगे। ख़ास कर हम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना और उसके तहत आने वाले आठ राष्ट्रीय मिशनों को कार्यान्वित करने के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे। लेकिन पर्यावरण संबंधी पहलूओं के प्रति पूरी तरह संवेदनशील रहने के साथ-साथ हम यह सुनिश्चित करने का भी पूरा प्रयास करेंगे कि इससे हमारे विकास की गति पर असर न पड़े।

हमारे खिलाड़ियों ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में रिकॉर्ड पदक जीत कर देश का गौरव बढ़ाया। राष्ट्रमंडल खेल आयोजित कराने में हमें कुछ समस्याओं का सामना ज़रूर करना पड़ा लेकिन इससे हमारे खिलाड़ियों की उपलब्धियों का रोमांच किसी भी तरह कम नहीं होता। इस लगन और प्रतिबद्धता के लिए हमारे खिलाड़ी सराहना के पात्र हैं।

आंतरिक सुरक्षा की स्थिति में पिछले कुछ वर्षों में सुधार हुआ है। 2010-11 में हमने राष्ट्रीय गुप्तचर ग्रिड की स्थापना की और राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पूरी तरह काम करना शुरू कर दिया। पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थिति में भारी सुधार हुआ तथा जम्मू-कश्मीर भी धीरे-धीरे शांति और सद्भावना की ओर बढ़ रहा है।

लेकिन वामपंथी उग्रवाद अब भी चिंता का विषय है। यूपीए सरकार ने इससे निपटने के लिए हमेशा सुविचारित दृष्टिकोण अपनाया है। हम उग्रवाद से सख्ती से निपटेंगे लेकिन हम यह भी

मानते हैं कि वामपंथी उग्रवाद से पीड़ित क्षेत्रों में विकास की कमी है तथा हम इस कमी को दूर करने के लिए पक्का इरादा रखते हैं। हमने 2010-11 में चुनिंदा 60 जनजातीय और पिछड़े जिलों के त्वरित विकास के लिए समेकित योजना शुरू की है, जो 2011-12 में भी जारी रहेगी।

जहां तक बाहरी सुरक्षा का मामला है हमने अपने सैन्य बलों के आधुनिकीकरण और उन्नत शस्त्र प्रणालियों के देश में ही उत्पादन पर ध्यान देना जारी रखा। 2010-11 में देश में ही विकसित हल्के लड़ाकू विमान तेजस को उपयोग के लिए वायु सेना की मंजूरी मिल गई और देश में ही डिज़ाइन किया गया एवं निर्मित स्टेल्थ फ्रिगेट- आईएनएस शिवालिक भी नौसेना में शामिल हो गया। स्वदेशी मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन की दो रेजीमेंट सेना में शामिल की गईं।

यूपीए सरकार ऐसे आधुनिक एवं समृद्ध भारत के निर्माण के लिए अथक प्रयास करेगी, जहां हमारे सभी देशवासियों को जीवन में शांति, ग़रिमा तथा अवसरों का अधिकार सुनिश्चित होगा। हम अपने युवकों को प्रशिक्षित करेंगे और विश्व में, जहां ज्ञान आर्थिक समृद्धि का वाहक है, सफल होने के अवसर देंगे। हम अपने समाज में विषमताएं दूर करने और वंचित लोगों के उत्थान के प्रयास जारी रखेंगे। हम लोगों को निष्पक्ष एवं प्रभावी प्रशासन उपलब्ध कराने के प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरा विश्वास है कि पिछले वर्ष राष्ट्र ने बहुत कुछ हासिल किया है। मेरा यह भी मानना है कि अभी काफ़ी कुछ करने की गुंजाइश है। आने वाले वर्षों में हम पूरी शक्ति से सुनिश्चित करेंगें कि देश और देशवासियों की क्षमताओं का बखूबी सदुपयोग हो सके।

मनमोहन सिंह
(मनमोहन सिंह)

नई दिल्ली
14 मई, 2011

मानव विकास

"हम यह सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध हैं कि सभी वर्गों के सभी बच्चों को, चाहे लड़के हों या लड़कियां, शिक्षा मिले। यह शिक्षा ऐसी हो जो उनमें कौशल, ज्ञान, मूल्य और ऐसी सोच विकसित करे, जिससे वे भारत के जिम्मेदार और कर्मशील नागरिक बन सकें।"

डॉ. मनमोहन सिंह

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

2 मानव विकास

2.1 शिक्षा

2.1.1 बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार तथा सर्व शिक्षा अभियान

बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई) और भारत के संविधान का अनुच्छेद 21-क एक अप्रैल, 2010 को लागू हो गए। इसके साथ ही 6-14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा बुनियादी अधिकार बन गई। सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन की संरचना संशोधित की गई है तथा इसमें उन दृष्टिकोणों और कार्यान्वयन संबंधी कार्यनीतियों की व्यापक रूपरेखा स्पष्ट की गई है, जिनके तहत राज्य अपनी-अपनी सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत परिस्थितियों के अनुरूप ज्यादा व्यापक दिशानिर्देश तैयार कर सकते हैं। संशोधित रूपरेखा में प्रारंभिक शिक्षा के लिए बच्चों के अधिकारों को रेखांकित किया गया है । इसमें आरटीई अधिनियम की मुख्य विशेषताओं के साथ-साथ वह समय सीमा भी निर्धारित की गई है, जिसके तहत आरटीई के बारे में अपेक्षित नियम और मानक हासिल किए जाने हैं। इसमें राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार सभी बच्चों को पड़ोस में ही शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह रूपरेखा भेदभाव रहित शिक्षा का माहौल बनाने के लिए आरटीई अधिनियम के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रावधानों को भी रेखांकित करती है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत लड़के एवं लड़कियों और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों की संख्या का अंतराल कम करने की दिशा में काफी प्रगति हुई है। शिक्षा के अधिकार में महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब सभी बच्चों को अच्छी और समान शिक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व सरकार का है। संशोधित रूपरेखा में सक्रिय और छात्र केंद्रित कक्षा का दृष्टिकोण अपनाया गया है। इस रूपरेखा में इस दृष्टिकोण को अपनाने में आने वाली बाधाओं की पहचान की गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि पाठ्यक्रम आधारित असंगत दृष्टिकोण को छोड़कर ऐसा दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है, जिसमें पाठ्यक्रम के मुख्य तत्वों जैसे कि शिक्षण पद्धति, अध्यापक प्रशिक्षण प्रणाली, विद्यार्थी मूल्यांकन प्रणाली और कक्षा प्रबंध व्यवस्था की रचना शिक्षा के सुविचारित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए की जाए।

निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा के नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी में सामुदायिक भागीदारी केंद्रीय और अति महत्वपूर्ण घटक है। सर्व शिक्षा अभियान में सामुदायिक सहयोग और जागरूकता पैदा करने के कार्यक्रमों के माध्यम से समाज, माता-पिता, शिक्षकों और बच्चों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा।

सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य आरटीई अधिनियम के दृष्टिकोण के अनुरूप प्रारंभिक शिक्षा को सबके लिए सुलभ बनाना है। स्कूलों के भवन ऐसे हों, जहां बच्चे और शिक्षक आसानी से पहुंच सकें और उनमें इनकी सभी ज़रूरतों का ध्यान रखा जाए। स्कूल के भवनों में अंदर और बाहर पर्याप्त जगह होने से पढ़ने-लिखने का अच्छा माहौल बनता है। क्लास रूम और बरामदों के अंदर तथा बाहरी प्राकृतिक वातावरण और खेल के मैदान के रचनात्मक इस्तेमाल से शैक्षिक गतिविधियों में मदद मिल सकती है।

शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का बढ़ता प्रयोग

एक अप्रैल, 2010 से 2014-15 की अवधि के लिए आरटीई-सर्व शिक्षा अभियान की व्यय प्रणाली इस प्रकार है-

(क) पूर्वोत्तर राज्यों से भिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के लिएः केन्द्र और राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के बीच व्यय का अनुपात 65:35 होगा।

(ख) पूर्वोत्तर राज्यों के लिएः पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए केन्द्र और राज्यों के बीच व्यय का मौजूदा अनुपात 90:10 जारी रहेगा।

उन सभी केंद्र शासित क्षेत्रों में जहां विधान सभा नहीं है केन्द्रीय आरटीई नियम लागू हैं। 10 राज्यों-आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, ओड़िशा, सिक्किम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मिजोरम ने अपने-अपने आरटीई नियम अधिसूचित किए हैं।

2010-11 में 31 दिसम्बर, 2010 तक 5,658 नए प्राथमिक स्कूल तथा 3,870 नए उच्चतर प्राथमिक स्कूल खोले गए, 83 हजार 38 शिक्षकों की नियुक्ति की गई, एक लाख 41 हजार 102 अतिरिक्त क्लासरूमों का निर्माण किया गया, 26 लाख 26 हजार शिक्षकों को नौकरी के दौरान प्रशिक्षण दिया गया तथा 9 करोड़ 38 लाख बच्चों को पाठ्य पुस्तकें दी गईं।

स्कूली शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। स्कूली शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों की संख्या 2005 में एक करोड़ 34 लाख 60 हजार थी, जो 2009 में घटकर 81 लाख 50 हजार रह गई। यह आंकड़े सामाजिक ग्रामीण शोध संस्थान-अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग शोध ब्यूरो द्वारा किए गए स्वतंत्र अध्ययन पर आधारित हैं। नियमित स्कूलों में पढ़ाई अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को उनकी आयु के अनुरूप स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए विशेष प्रशिक्षण सहित विभिन्न उपायों पर ध्यान दिया जा रहा है।

स्कूलों में मध्याह्न भोजन

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत देश के 12 लाख 66 हजार स्कूलों में 11 करोड़ 36 लाख बच्चों को पका-पकाया गर्म भोजन उपलब्ध

स्कूलों में मध्याह्न भोजन

कराया गया है। 11 लाख 25 हजार स्कूलों में रसोई उपकरण उपलब्ध कराए गए तथा स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए 26 लाख रसोई-सह-सहायकों की नियुक्ति की गई है। इसी तरह, खाद्यान्न के सुरक्षित भंडारण एवं बच्चों के भोजन में स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए 4 लाख 66 हजार रसोई-सह-भंडार गृहों का निर्माण किया गया। देश के विभिन्न भागों में 37 शिक्षण और शोध संस्थाएं कार्यक्रम की नियमित निगरानी कर रही हैं। स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल का व्यापक कार्यक्रम चलाया गया है।

साक्षरता को प्रोत्साहन - साक्षर भारत

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को नया रूप दिया गया है और साक्षर भारत की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निरक्षर लोगों को काम चलाऊ साक्षर बनाने, नव साक्षरों को बुनियादी साक्षरता से आगे बढ़कर स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाने, नव साक्षरों को अपने रहन-सहन तथा रोज़गार में सुधार करने की योग्यता हासिल करने की और उन्हें सतत शिक्षा के अवसर प्रदान करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे।

इस कार्यक्रम के तहत अब तक देश भर में कम महिला साक्षरता वाले 285 जिलों में साक्षर भारत कार्यक्रम चलाया गया है। इस मिशन का लक्ष्य इन जिलों में एक लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में 5 करोड़ से अधिक नव साक्षर लोगों को लाभ पहुंचाना है।

2.1.2 **माध्यमिक शिक्षा को सुदृढ़ करना**

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों (कक्षा 9 से 12) की लड़कियों के लिए छात्रावास की स्थापना और प्रबंधन की योजना देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े 3,500 विकासखंडों में लागू की जा रही है। 2010-11 में ऐसे 160 छात्रावास बनाने की मंजूरी दी गई है।

स्कूली बच्चों में डिजिटल ज्ञान के क्षेत्र में विषमता कम करने के लिए स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी योजना चलाई जा रही है। 22 राज्यों में 20 हजार 76 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और कम्प्यूटर समर्थित शिक्षा के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना की मंजूरी दी गई।

विकलांग बच्चों के समग्र विकास के लिए समावेशी शिक्षा अनिवार्य है। एक लाख 46 हजार विकलांग बच्चों द्वारा शिक्षा जारी रख सकने लायक माहौल बनाने के लिए 23 हजार से अधिक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को वित्तीय सहायता दी गई।

सराहनीय जनसेवा के लिए 5 सितम्बर, 2010 को 312 प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षकों को 2009 के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए।

2.1.3 **उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को प्रोत्साहन देने के लिए सुधार**

उच्च शिक्षा के प्रमुख नीतिगत उद्देश्य हैं:- समानता और उत्कृष्टता के साथ शिक्षा की पहुंच में सुधार और पाठ्यक्रम सुधारों, व्यावसायिक शिक्षा, नेटवर्किंग, सूचना प्रौद्योगिकी तथा दूरस्थ शिक्षा और प्रशासन संरचना में सुधार के माध्यम से उच्चतर शिक्षा को अधिक उपयोगी बनाना।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग विधेयक के मसौदे पर व्यापक परामर्श तथा लोगों की प्रतिक्रिया जानने/लेने के लिए उसे जारी किया गया। हितधारकों से प्राप्त सुझावों के अनुरूप सरकार इस विधेयक को अंतिम रूप दे रही है।

प्रत्यायन प्राधिकरण

सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं के अनिवार्य

प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय उच्च शिक्षा संस्थान विनियमन एवं प्रत्यायन प्राधिकरण विधेयक को संसद में पेश किया गया। यह विधेयक अब मानव संसाधन विकास की स्थायी संसदीय समिति के समक्ष विचाराधीन है।

शैक्षिक संस्थाओं में अनुचित व्यवहार पर रोक

तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों तथा दाखिला लेने वालों के हितों की रक्षा करने और शिक्षा संस्थाओं में अनुचित व्यवहार को रोकने तथा ऐसा करने वालों को दंडित करने के लिए भी एक विधेयक मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति के समक्ष विचाराधीन है।

शैक्षिक न्यायाधिकरण

उच्च शिक्षा संबंधी सभी विवादों को हल करने के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक न्यायाधिकरण की दो स्तरीय संरचना स्थापित करने संबंधी विधेयक को लोकसभा ने पारित कर दिया है।

विदेशी शिक्षा सेवा प्रदाता

भारत में विदेशी शिक्षण संस्थाओं के प्रवेश और परिचालन को नियमित करने के लिए संसद में पेश विधेयक पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति विचार कर रही है।

राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क

ज्ञान के आदान-प्रदान और शोध के क्षेत्र में सहयोग को सुगम बनाने और उच्च शिक्षा तथा शोध की सभी संस्थाओं को उच्च गति के संचार नेटवर्क से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना की जा रही है। इस नेटवर्क के तहत दो से तीन वर्ष में लगभग एक हजार 5 सौ संस्थानों को जोड़ने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ई-गवर्नेन्स, ग्रिड कम्प्यूटिंग (उच्च स्तर की गणना) जैसे क्षेत्रों पर बल दिया जा रहा है। 31 मार्च, 2011 तक 18 केंद्रों वाली एक आधारभूत संरचना की स्थापना कर ली गई है, जिसकी क्षमता 2.5 जीबीपीएस है। उच्च शिक्षा और उन्नत शोध के लगभग 130 संस्थानों को इस नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है और 26 वर्चुअल क्लॉसरूम बनाए जा चुके हैं।

नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय

उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने, गुणवत्ता में सुधार और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए 16 केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। इनमें 3 ऐसे विश्वविद्यालय हैं, जिन्हें राज्य विश्वविद्यालयों के दर्जे से बढ़ाकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया है। ये हैं:- छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड विश्वविद्यालय। जम्मू को छोड़कर सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 2010-11 से शैक्षिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं।

कॉलेज

शैक्षिक रूप से पिछड़े ऐसे 374 जिलों में एक-एक मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने की नई योजना को मंजूरी दी गई है, जहां उच्च शिक्षा के लिए कुल दाखिले का अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से कम है। केंद्रीय सहायता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 31 मार्च, 2011 तक 37 कॉलेजों को स्वीकृति दी है।

भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम)

रोहतक, रांची और रायपुर के संस्थानों में 2010-11 से शैक्षिक सत्र शुरू हो गए हैं। तिरूचिरापल्ली में आईआईएम में भी इग्जीक्यूटिव कार्यक्रम शुरू हो गये हैं।

झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)

आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ओड़िशा, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में स्थापित सभी 8 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) ने काम करना शुरू कर दिया है।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)

सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत 20 नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) खोलने का फैसला किया गया है। ये एक या अधिक सूचना प्रौद्योगिकी विषयों में विशेषज्ञता वाले स्वायत्त संस्थान होंगे।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी)

अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, गोवा, दिल्ली, उत्तराखंड और पुद्दुचेरी में स्थापित सभी 10 नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) ने जुलाई 2010 से काम करना शुरू कर दिया है।

शिक्षा में राष्ट्रीय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मिशन

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी द्वारा शिक्षा के राष्ट्रीय मिशन के तहत 31 मार्च, 2011 तक देश के 315 विश्वविद्यालयों और 11,124 कॉलेजों/ पॉलिटेक्नीक संस्थानों को वर्चुअल प्राईवेट नेटवर्क तथा इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।

पॉलिटेक्नीक

(क) नए पॉलिटेक्नीक संस्थानों की स्थापना

25 नए पॉलिटेक्नीक संस्थान खोलने के लिए पहली किश्त के रूप में प्रत्येक संस्थान को 2 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त 92 पॉलिटेक्नीक संस्थानों को दूसरी किश्त के रूप में 5-5 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है।

(ख) मौजूदा पॉलिटेक्नीक संस्थानों को सुदृढ़ बनाना

मौजूदा पॉलिटेक्नीक संस्थानों को सुदृढ़ बनाने के लिए 2010-11 में 143 नये पॉलिटेक्नीक संस्थानों को पहली किश्त के रूप में 20-20 लाख रुपये दिए गए हैं।

(ग) पॉलिटेक्नीक संस्थानों में महिला छात्रावासों का निर्माण

2010-11 में 123 पॉलिटेक्नीक संस्थानों

एनआईटी अरूणाचल प्रदेश

को महिला छात्रावासों के निर्माण के लिए 50-50 लाख रुपये की पहली किश्त दी गई है। इसके अतिरिक्त 2010-11 में 41 पॉलिटेक्नीक संस्थानों को दूसरी किश्त के रूप में 50-50 लाख रुपये तथा एक को 60 लाख रुपये दिए गए हैं।

(घ) पॉलिटेक्नीक संस्थानों के जरिए सामुदायिक विकास

सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाने के लिए 2010-11 में 520 पॉलिटेक्नीक संस्थानों को 30 करोड़ 70 लाख रुपये का अनुदान दिया गया।

शिक्षा ऋणों पर ब्याज में सब्सिडी

सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों द्वारा भारतीय बैंक एसोसिएशन के सदस्य बैंकों से लिए गए शिक्षा ऋण पर विलम्बकाल में ब्याज पर सब्सिडी उपलब्ध कराने की नई योजना शुरू की है। इसके तहत बैंकों को 31 मार्च, 2011 तक 2 अरब 3 करोड़ 28 लाख रुपये की राशि जारी की गई।

अन्य प्रयास

महात्मा गांधी शांति एवं स्थायी विकास शिक्षा संस्थान

2 अरब 23 करोड़ 68 लाख रुपये की लागत से नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के प्रथम श्रेणी के संस्थान के रूप में महात्मा गांधी शांति एवं स्थायी विकास शिक्षा संस्थान की स्थापना का फैसला किया गया है। यह एशिया में ऐसा पहला संस्थान होगा तथा इससे भारत यूनेस्को के प्रथम श्रेणी संस्थानों वाले चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा।

भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला में टैगोर केन्द्र की स्थापना

गुरूदेव रबींद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती की स्मृति में भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला में टैगोर केन्द्र की स्थापना की जा रही है। इसमें चार फेलो (अध्येता) होंगे, जिनमें से एक फेलो ऐसा भी होगा, जो विशेष रूप से दृश्य कलाओं, रंगमंच और संगीत जैसे सृजनात्मक क्षेत्रों में गुरूदेव के योगदान पर कार्य करेगा।

2.2 स्वास्थ्य

2.2.1 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

देश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ने उल्लेखनीय प्रगति की है। स्वास्थ्य सेवाओं में समुदाय के स्वामित्व को और मजबूत बनाया गया है तथा बुनियादी ढांचे में सुधार, श्रम शक्ति के विकास, आपातकालीन एवं रेफरल परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाने तथा अस्पतालों में लॉजिस्टिक सेवाओं में सुधार के मामले में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। शिशु मृत्यु दर अब गिर कर प्रति एक हजार जीवित शिशुओं में 50 पर आ गई है।विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से 264 जिलों की पहचान की गई है। 2010-11 में 53 हजार 745 अतिरिक्त ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियां गठित की गई, जिससे इनकी कुल संख्या 4 लाख 73 हजार 777 हो गई है। सात हजार 957 से अधिक सुविधा आधारित रोगी कल्याण समितियां बनाई गई हैं। 47 हजार 886 से अधिक

'आशा' स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का चयन किया गया और उन्हें प्रशिक्षित किया गया। 'आशा' कार्यकर्ताओं की कुल संख्या 8 लाख से अधिक हो गई। इसके अतिरिक्त दिसम्बर 2010 तक डॉक्टरों और सहायक कर्मचारियों सहित कुल स्वास्थ्य कर्मियों की सख्या लगभग एक लाख 39 हजार हो गई।

विभिन्न प्रकार की चिकित्सा सुविधाओं में सुधार किया गया है, जिसके फलस्वरूप सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में आंतरिक और बाहरी रोगियों की संख्या बढ़ी है। चिकित्सा संस्थाओं में प्रसव के मामलों में भी उत्साहजनक वृद्धि हुई है। जननी सुरक्षा योजना के तहत 2010-11 में लगभग एक करोड़ 3 लाख प्रसव शामिल किए गए।

मां और शिशु की नाम के आधार पर पहचान करने की योजना शुरू की गई है। इससे प्रसवपूर्व देखभाल और टीकाकरण के लिए गर्भवती महिलाओं और शिशुओं का पता लगाया जा सकता है, ताकि सभी गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच तथा प्रसव उपरांत देखभाल उपलब्ध कराई जा सके और बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया जा सके। इसके तहत पता लगाए गए गर्भधारण के सभी नए मामले एक अप्रैल, 2010 से पंजीकृत किए जा रहे हैं।

मलेरिया, कालाज़ार और डेंगू के कारण होने वाली मृत्यु दर में गिरावट के साथ-साथ हाथीपांव संक्रमण के मामलों में भी कमी आई है। 2010 में तपेदिक होने की दर और मृत्युदर में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई और देश 2015 तक सहस्राब्दि विकास लक्ष्य हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है।

2.2.2 स्वास्थ्य में मानव संसाधन

स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय मानव संसाधन आयोग बनाने का विधायी प्रस्ताव सभी हितधारकों के साथ परामर्श के बाद तैयार किया गया है। यह आयोग वर्तमान संरचना में सुधार तथा कुशल कर्मियों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में नियामक निकाय के रूप में कार्य करेगा।

2.2.3 प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसे सभी 6 नए संस्थानों का निर्माण पूरी गति से जारी है। सभी 6 संस्थानों के लिए सोसायटी पंजीकृत करा दी गई हैं। निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत जननी सुरक्षा योजना

आपात चिकित्सा सेवा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

2.2.4 एड्स नियंत्रण और उपचार

एचआईवी रोग संबंधी ताज़ा आंकड़ों से पता चला है कि भारत में एचआईवी संक्रमण के नए मामलों में पिछले दशक के दौरान 50 प्रतिशत से अधिक गिरावट हुई है। लक्षित कार्यक्रमों के जरिए उच्च जोखिम वाले वर्ग के लिए एचआईवी की रोकथाम राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तीसरे चरण के अंतर्गत मुख्य रणनीति है। इसके तहत 31 मार्च, 2011 तक एक हजार 447 परियोजनाएं चलाई गई हैं। रेड रिबन एक्सप्रेस जैसे अभियानों के जरिए एचआईवी की रोकथाम के संदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है ताकि आम लोगों को उनकी जानकारी दी जा सके। दिसम्बर 2010 तक 45 लाख 90 हजार गर्भवती महिलाओं सहित एक करोड़ 6 लाख व्यक्तियों को परामर्श एवं परीक्षण सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। इस अवधि में जिन 12 हजार 429 गर्भवती महिलाओं में रोग की पुष्टि हुई उनमें में से 8 हजार 492 जच्चा-बच्चा के जोड़ों को मां से बच्चे में संचरण को रोकने के लिए दवा दी गई। करीब 3 लाख 84 हजार एचआईवी/एड्स पीड़ित लोग निःशुल्क एंटी-रीट्रोवाइरल थैरेपी (एआरटी) प्राप्त कर रहे हैं। एआरटी तक पहुंच के व्यापक होने के फलस्वरूप एड्स संबंधी कारणों की वजह से मरने वाले लोगों की अनुमानित संख्या में कमी आई है।

2.2.5 आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) सेवाएं

सोवा रिगपा चिकित्सा प्रणाली को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम 1970 के तहत लाने के लिए 2010 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया। आयुर्वेद और सिद्ध में शोध की केन्द्रीय परिषद को दो भागों में विभाजित करके सिद्ध के लिए अलग से शोध परिषद की स्थापना की गई है।

भारतीय चिकित्सा के लिए स्वतंत्र फार्माकोपोइया आयोग पंजीकृत किया गया है।

आयुष उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद को ध्यान देने को कहा गया है।

आयुष अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के

'आशा' कार्यकर्ता-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

जच्चा-बच्चा सेवा- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

विकास की संशोधित केन्द्र प्रायोजित योजना चलाई जा रही है। 2010-11 में एक हजार 540 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 70 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा पांच जिला अस्पतालों में आयुष सेवाएं शुरू करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा राज्य सरकारों को 345 आयुष अस्पतालों के उन्नयन में सहयोग किया गया।

अक्तूबर 2010 में भारत के प्रधानमंत्री की क्वालालम्पुर यात्रा के दौरान मलेशिया सरकार के साथ पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के क्षेत्र में सहयोग के बारे में समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

2.2.6 **एच1एन1 इन्फ्लूएंजा की रोकथाम**

जिला स्तर पर सभी त्वरित अनुक्रिया दलों, चिकित्सकों और स्वास्थ्य प्रशासकों के प्रशिक्षण के जरिए राज्यों में इस रोग का मुकाबला करने की क्षमता को और सुदृढ़ बनाया गया। स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण के लिए टीकों की 15 लाख खुराकें राज्यों को वितरित की गई।

एच1 एन1 के बारे में जन-जागरण

2.2.7 **मधुमेह, हृदयरोग और पक्षाघात के निवारण और नियंत्रण का राष्ट्रीय कार्यक्रम**

कैंसर, मधुमेह, हृदयरोग और पक्षाघात के निवारण एवं नियंत्रण का नया राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य, रक्षा और रोग निवारण, बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने (मानव संसाधन सहित), रोग के जल्दी निदान तथा प्रबंध और उपयुक्त तालमेल के लिए विभिन्न स्तरों पर गैरसंचारी रोग प्रकोष्ठों के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली के साथ एकीकरण पर ध्यान दिया जा रहा है। यह कार्यक्रम 21 राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों के सौ जिलों में चलाया जाएगा।

2.2.8 **मानव अंगों का प्रत्यारोपण**

मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम में किये जाने वाले संशोधनों में निकट संबंधियों की परिभाषा में दादा-दादी, नाना-नानी और पोते-पोती, नाती-नातिन को शामिल करना, रिट्रिल सेंटर्स को मान्यता, आपसी आदान-प्रदान की स्वीकृति, अंगदान के लिए मस्तिष्क मृत रोगी के संबंधियों से उपचार करने वाले कर्मचारियों द्वारा आग्रह करने को अनिवार्य बनाना तथा प्रत्यारोपण करने वाले सभी अस्पतालों में प्रत्यारोपण समन्वयक का पद अनिवार्य रूप से सृजित करना शामिल है। अन्य सुधारों में प्रयोगशालाओं का प्रत्ययन, मस्तिष्क मृत्यु प्रमाणन समितियों के गठन को सरल बनाना, राष्ट्रीय प्रत्यारोपण पंजीकरण संस्था की स्थापना तथा महिलाओं, अवयस्कों और विदेशी नागरिकों संबंधी बेहतर नियमन शामिल है।

2.2.9 **चिकित्सा संस्था (पंजीकरण एवं नियमन) अधिनियम, 2010**

बड़े पैमाने पर अनियंत्रित स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए नियामक ढांचा तैयार करने तथा चिकित्सा संस्थाओं के लिए अनिवार्य मानक निर्धारित करने के लिए चिकित्सा संस्था (पंजीकरण एवं नियमन) अधिनियम, 2010 के रूप में एक कानून बनाया गया है।

2.3 बाल अधिकार

2.3.1 **समेकित बाल विकास योजना का विस्तार**

समेकित बाल विकास केंद्रों के विस्तार की चालू योजना के अंतर्गत 2010-11 में दिसम्बर 2010 तक 210 परियोजनाएं और करीब एक लाख आंगनबाड़ी विकास केन्द्र शुरू किए गए हैं। स्वीकृत 13 लाख 67 हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों में से दिसम्बर 2010 तक 12 लाख 42 हजार आंगनबाड़ी केन्द्र/लघु आंगनबाड़ी केन्द्र चालू हो गए हैं। 2009-10 की तुलना में 34 लाख 31 हजार लाभार्थियों की वृद्धि हुई। इस तरह लाभार्थियों की कुल संख्या बढ़कर 2010-11 में 9 करोड़ 18 लाख 65 हजार हो गई।

2.3.2 **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग**

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों के अधिकारों का संरक्षण, प्रोत्साहन और रक्षा करने वाला एक वैधानिक निकाय है, जो बच्चों के अधिकारों के बारे में व्यापक कार्य कर रहा है। आयोग के महत्वपूर्ण प्रयासों में बाल बन्धु स्कीम शामिल है, जो प्रायोगिक आधार पर देश के पांच राज्यों के दस जिलों में अशांति वाले क्षेत्रों में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए लागू की जा रही है। इस स्कीम का उद्देश्य अशांति वाले क्षेत्रों में प्रभावित बच्चों के लिए शैक्षिक और अन्य बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए समाज तथा स्थानीय/जिला प्रशासन के ज़रिए काम करना है।

2.3.3 **समेकित बाल संरक्षण योजना**

इस योजना का सभी राज्यों/के.शा.क्षे. में भारी स्वागत हुआ है। वैधानिक निकायों की स्थापना

करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई हैं, जिनमें 494 बाल कल्याण समितियां और 521 किशोर न्याय बोर्ड हैं। जबकि पहले इनकी संख्या क्रमशः 240 और 211 ही थी। 19 राज्य बाल संरक्षण समितियों, 19 राज्य परियोजना समर्थन इकाइयों, 17 राज्य दत्तक संसाधन एजेंसियों तथा 346 जिला बाल संरक्षण इकाइयों की स्थापना और अनुरक्षण के लिए सहायता उपलब्ध कराई गई है।

2.3.4 **भारत की पोषाहार चुनौतियों पर प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय परिषद की बैठक**

भारत की पोषाहार चुनौतियों पर प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय परिषद की बैठक 24 नवम्बर, 2010 को हुई, जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिए गए -

क–समेकित बाल विकास योजना को मजबूत बनाना और उसकी पुनर्संरचना

ख-अत्यधिक चिंताजनक चुनिंदा दो सौ जिलों में मां और बच्चे के कुपोषण से निपटने के लिए बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण और कार्रवाई पर ध्यान केन्द्रित करना

ग- सूचना, शिक्षा और संचार का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाना

घ- स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता, स्कूल शिक्षा, कृषि, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण संबंधी मंत्रालयों के विभिन्न कार्यक्रमों में तालमेल लाना और उनमें पोषाहार पर ध्यान केन्द्रित करना।

इन निर्णयों के बाद समेकित बाल संरक्षण योजना की पुनर्संरचना करने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए रणनीति तैयार की गई।

समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी

2.3.5 **राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना-सबला**

समेकित बाल विकास योजना के माध्यम से यह योजना देश के दो सौ जिलों में प्रायोगिक आधार पर 19 नवम्बर, 2010 से शुरू की गई है। सबला का उद्देश्य स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाओं, पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार कल्याण आदि पर परामर्श और मार्गदर्शन के अलावा स्कूली शिक्षा पूरी न कर सकने वाली (11 से 18 वर्ष) और स्कूल में पढ़ने वाली सभी लड़कियों (14 से 18 वर्ष) को आयरन फोलिक एसिड की उपयुक्त मात्रा सहित पोषाहार उपलब्ध कराके 11 से 18 वर्ष की सभी लड़कियों में आत्मविश्वास और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

2.3.6 **यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा का विधेयक**

बच्चों के साथ यौन अपराधों की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके साथ ही ऐसे अपराधों में अपराधियों को सजा मिलने के मामले कम हो रहे हैं। इससे निपटने के लिए यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा का विधेयक 23 मार्च, 2011 को संसद में पेश किया गया।

सामाजिक समावेश

"महिलाओं की बेहतरी में निवेश सबसे फायदेमंद है। इससे न केवल महिलाओं का अपना जीवन सुधरता है बल्कि वे अपने परिवार, समुदाय और समूची दुनिया को बेहतर बनाने लायक बन सकती हैं। महिलाओं की बेहतरी में मामूली निवेश से भी भारी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक बदलाव आ सकता है।"

श्रीमती सोनिया गांधी

'स्वाभिमान' कार्यक्रम का उद्घाटन

3 सामाजिक समावेश

3.1 खाद्य सुरक्षा

प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून पात्र लाभार्थियों को अनाज का वितरण करने के अधिकार आधारित दृष्टिकोण की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव होगा। इस बारे में हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श किया गया है।

इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गतिशील सार्वजनिक वितरण प्रणाली कायम करना अनिवार्य है। मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नया रूप देने और उसमें सुधार के लिए अनेक उपाय शुरू किए गए हैं, जिनमें लाभार्थियों की समुचित पहचान, फर्जी राशन कार्ड निरस्त करना, आवश्यक वस्तुओं का समय पर आवंटन और वितरण, प्रौद्योगिकी आधारित प्रयासों से पारदर्शिता में सुधार और उचित दर की दुकानों को सक्षम बनाना शामिल है। सार्वजनिक वितरण की समूची प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण के लिए बहुस्तरीय कार्यनीति शुरू की गई है। विशिष्ट नागरिक पहचान परियोजना (आधार) की मदद से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को विभिन्न राज्यों के मौजूदा कार्यक्रमों के साथ जोड़ने के लिए कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है।

3.2 महिला सशक्तिकरण

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना केन्द्र प्रायोजित स्कीम है, जो देश के चुनिंदा 52 जिलों में शुरू की गई है। यह देश की प्रमुख सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है, जिससे गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए बेहतर और

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

सुविधाजनक माहौल तैयार होगा। 19 वर्ष तथा उससे अधिक उम्र की सभी महिलाएं पहले दो बच्चों के जन्म तक इस योजना का लाभ लेने की हकदार हैं, लेकिन सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कर्मचारियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अंतर्गत लाभार्थी को तीन किस्तों में चार हजार रुपये का भुगतान किया जाता है। यह किस्तें मां और बच्चे के स्वास्थ्य संबंधी कुछ शर्तों को पूरा करने पर गर्भावस्था के छठे महीने और बच्चे के छह महीने का होने के बीच दी जाएंगी।

संरक्षक बनने और गोद लेने के मामले में स्त्री-पुरुष समानता

व्यक्तिगत कानून (संशोधन) अधिनियम, 2010 के बनने से गार्जियंस एंड वाड्र्स एक्ट, 1890 के अंतर्गत पिता के साथ-साथ माता को भी अभिभावक के रूप में नियुक्त करने का अधिकार देने से स्त्री-पुरुष को समान दर्जा मिल गया है, ताकि यदि कोई एक अभिभावक ऐसे अवयस्क का अभिभावक बनने के लिए उपयुक्त हो तो अदालत किसी अन्य व्यक्ति को अवयस्क का अभिभावक नियुक्त

नहीं करेगी। सिर्फ वैवाहिक स्थिति के आधार पर विवाहित महिला की लड़का या लड़की को गोद लेने की अक्षमता को दूर करने के लिए हिंदू दत्तक ग्रहण एवं अनुरक्षण अधिनियम, 1956 की धारा 8 को संशोधित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 9 को भी संशोधित किया गया है, ताकि पिता की सहमति से माता और माता की सहमति से पिता को बच्चे गोद देने का समान अधिकार हो।

बलात्कार पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता और सहयोग सेवाएं

बलात्कार पीड़ित महिलाओं को इस आघात का सामना करने तथा तात्कालिक और दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की नई योजना बनाई गई है। इस योजना का उद्देश्य पीड़ित महिलाओं में फिर से आत्मसम्मान और आत्मविश्वास पैदा करना है। वित्तीय सहायता और समर्थन सेवाओं के रूप में 2 लाख रुपये तक दिए जाएंगे। बलात्कार के मामले की गंभीरता के अनुसार यह सहायता 3 लाख रुपये तक बढ़ाई जा सकती है।

यौन शोषण से महिलाओं का संरक्षण विधेयक

कार्य स्थल पर यौन शोषण, महिलाओं के समानता, स्वतंत्रता और जीने के अधिकारों का उल्लंघन है। इस मुद्दे से निपटने के लिए कार्य स्थल पर यौन शोषण से महिलाओं का संरक्षण विधेयक, 2010, सात दिसम्बर, 2010 को लोकसभा में पेश किया गया है।

3.3 कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण एवं विकास

3.3.1 शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना

(क) छात्रवृत्ति के लिए प्रावधान राशि में वृद्धि

अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजना को संशोधित किया गया है और इसमें पात्रता के लिए माता-पिता की आय सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये की गई है, पाठ्यक्रमों को युक्तिसंगत बनाया गया है और अनुरक्षण एवं अन्य भत्तों में करीब 60 प्रतिशत वृद्धि की गई है। 2010-11 में इस योजना के लिए 20 अरब 98 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता जारी की गई जिससे लगभग 46 लाख विद्यार्थियों को लाभ हुआ।

अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत 15 लाख 46 हजार विद्यार्थियों के लिए 5 अरब 56 करोड़ 3 लाख रूपये की राशि जारी की गई। इसी अवधि में अन्य पिछड़े वर्गों के लगभग 17 लाख विद्यार्थियों की सहायता के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम के तहत 3 अरब 53 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता जारी की गई।

(ख) उच्च श्रेणी शिक्षा योजना

2010-11 में विभिन्न प्रमुख संस्थानों में दाखिला लेने वाले अनुसूचित जातियों के एक हजार 36 विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गईं। योजना के अंतर्गत प्रमुख संस्थानों की सूची में दो नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (इंदौर और मंडी) और तीन नए भारतीय प्रबंध संस्थान (रांची, रायपुर

और रोहतक) जोड़े गए हैं। इस प्रकार योजना के तहत शामिल संस्थानों की संख्या 182 हो गई है।

इसी तरह योजना के तहत अनुसूचित जनजातियों के तीन सौ विद्यार्थियों को 5 करोड़ रुपये की छात्रवृत्तियां दी गईं।

(ग) **राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना**

एम फिल, पीएचडी और समकक्ष डिग्री के लिए अध्ययन करने वाले अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए जारी फेलोशिप के नवीकरण और नई फेलोशिप के अनुदान के लिए 2010-11 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक अरब 44 करोड़ रुपये की राशि दी गई। इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष प्रदान की जाने वाली नई फेलोशिप की संख्या एक हजार 333 से बढ़कर 2010-11 में 2 हजार हो गई है। इसी तरह योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के 3 हजार 65 विद्यार्थियों को 60 करोड़ 69 लाख रुपये की फेलोशिप दी गईं।

(घ) **ऋण**

2010-11 में, अनुसूचित जातियों, सफाई कर्मचारियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के एक लाख 92 हजार सदस्यों को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के जरिए करीब 4 अरब 37 करोड़ रुपए के रियायती ऋण वितरित किए गए।

2010-11 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के जरिए अनुसूचित जनजाति के 53 हजार 996 लाभार्थियों को 98 करोड़ 15 लाख रुपये की सहायता दी गई।

3.3.2 अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण योजनाओं की राशि में वृद्धि

प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत अनुसूचित जाति बहुल एक हजार गांवों के समेकित विकास के लिए करीब 98 करोड़ रूपये जारी किए गए। ये गांव, पांच राज्यों - हिमाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु और असम में हैं।

3.3.3 अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को भू-अधिकार प्रदान करना

अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को वन अधिकार प्रदान करने के ऐतिहासिक कानून को लागू करने के साथ ही फरवरी 2011 तक लोगों को जमीन के 11 लाख 59 हजार से अधिक पट्टे दिए गए। 30 लाख 97 हजार दावों में से लगभग 85 प्रतिशत निपटाए जा चुके हैं।

3.3.4 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय वर्गों का कल्याण और विकास

2010-11 में संरक्षण सह विकास योजना के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीयों के वर्गों के विकास की परियोजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों तथा स्वयं सेवी संगठनों को 2 अरब 32 करोड़ 44 लाख रुपये दिए गए ।

3.4 अल्पसंख्यकों के लिए समावेशी कार्यक्रम

3.4.1 अल्पसंख्यकों को विकास के लाभ देना

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15-सूत्री कार्यक्रम

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री

के नए 15 सूत्री कार्यक्रम में जिन योजनाओं के लिए आर्थिक प्रावधान और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उनका 15 प्रतिशत हिस्सा अलग से चिह्नित कर लिया गया है।

2010-11 में दिसंबर 2010 तक सर्व शिक्षा अभियान के तहत अधिक अल्पसंख्यक आबादी वाले विकास खंडों और जिलों में 4 हजार 100 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों का निर्माण किया गया, 13 हजार 300 से अधिक नए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूल खोले गए तथा करीब 25 हजार 600 अतिरिक्त क्लासरूमों का निर्माण किया गया और 30 हजार 759 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की मंजूरी दी गई।

इस अवधि में छह हजार 706 से अधिक बस्तियों को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दायरे में लाया गया तथा शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं, समेकित आवास एवं झुग्गी विकास कार्यक्रम, शहरी बुनियादी ढांचा एवं प्रशासन और छोटे एवं मझौले शहरों के लिए बुनियादी ढांचा विकास योजना के तहत एक खरब 86 अरब रुपये से अधिक राशि मंजूर की गई। इसके अतिरिक्त इस अवधि में अल्पसंख्यक लोगों के लिए इंदिरा आवास योजना के तहत 3 लाख 63 हजार से अधिक मकान बनाए गए।

प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्री कार्यक्रम के भाग के रूप में अल्पसंख्यक वर्गों की अधिक आबादी वाले जिलों में 60 आईटीआई को उत्कृष्टता केंद्रों में बदलने की स्वीकृति दी गई। मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान की समग्र निधि में 2010-11 में एक अरब 25 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई और अब इसकी कुल निधि 5 अरब 50 करोड़ रुपये हो गई है।

अल्पसंख्यकों के लिए उच्चतर शिक्षा सुविधाएं

3.4.2 **बेहतर पहुंचः**

शिक्षा

2010-11 में अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को मैट्रिक-पूर्व शिक्षा के लिए 44 लाख 21 हजार छात्रवृत्तियां दी गईं। इस पर 4 अरब 46 करोड़ 25 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। करीब 48 प्रतिशत मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां लड़कियों को दी गईं। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत 2 अरब 28 करोड़ 97 लाख रूपये की 5 लाख 26 हजार छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। करीब 51 प्रतिशत छात्रवृत्तियां लड़कियों को दी गई। एक अरब आठ करोड़ 75 लाख रुपये की 41 हजार 56 योग्यता सह-साधन छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। इनमें से एक तिहाई से अधिक लड़कियों को दी गई। मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान की मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत 11वीं और 12वीं कक्षाओं की 17 हजार 326 लड़कियों को 20 करोड़ 79 लाख रुपये की छात्रवृत्तियां दी गईं। मौलाना आजाद फैलोशिप के तहत 14 करोड़ 90 लाख रुपये की 757 फैलोशिप प्रदान की गई। इनमें से 30 प्रतिशत फैलोशिप महिलाओं को दी गईं।

2010-11 में अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों और उम्मीदवारों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए 14 करोड़ 37 लाख रुपये जारी किए गए। यह राशि सरकारी और निजी क्षेत्र की सेवाओं में नौकरी करने के इच्छुक तथा तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठयक्रमों में दाखिला लेने के लिए दी जाती है।

ऋण

2010-11 में दिसंबर 2010 तक अल्पसंख्यक वर्गों की अधिक आबादी वाले जिलों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 308 शाखाएं खोली गई। अल्पसंख्यकों को 2010-11 में दिसंबर 2010 तक 12 खरब 83 अरब रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम ने 2010-11 में एक लाख 58 हजार 84 अल्पसंख्यकों को 2 अरब 33 करोड़ 27 लाख रुपये के ऋण दिए। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम की अधिकृत शेयर पूंजी 2010-11 में बढ़ा कर 15 अरब रुपये कर दी गई है।

3.4.3 **वक़्फ़ विकास**

वक़्फ़ की संपत्तियों के सर्वेक्षण को समय पर पूरा करने, वक्फ की संपत्तियों को हस्तांतरण से बचाने, संपत्तियों पर अतिक्रमण को रोकने के लिए दंड के प्रावधान करने, वक़्फ़ बोर्डों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने, राज्य वक़्फ़ बोर्डों द्वारा संपत्तियों के प्रबंध में अधिक जवाबदेही और कुशलता लाने जैसे उद्देश्यों के लिए वक़्फ़ अधिनियम में संशोधन का विधेयक लोकसभा ने 7 मई, 2010 को पारित कर दिया। फिलहाल इस विधेयक पर राज्य सभा की प्रवर समिति विचार कर रही है। राज्य वक़्फ़ बोर्डों के रिकॉर्डों के कम्प्यूटरीकरण की केन्द्र प्रायोजित योजना के लिए 25 राज्य वक़्फ़ बोर्डों, केन्द्रीय वक़्फ़ परिषद और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सेवा इन्कॉ. को 31 मार्च, 2011 तक 11 करोड़ 62 लाख रुपये दिए गए।

3.4.4 **अल्पसंख्यकों की अधिक आबादी वाले जिलों के लिए बहुक्षेत्रीय योजनाएं**

अल्पसंख्यक वर्गों की अधिक आबादी वाले चुनींदा 90 जिलों में से 89 जिलों की योजनाओं को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से मंजूरी दे दी गई

है। इसमें इंदिरा आवास योजना के तहत 2 लाख 84 हजार मकानों, 27 हजार 46 आंगनवाड़ी केन्द्रों, 2 हजार 450 स्वास्थ्य इकाइयों, 12 हजार 702 नए क्लास रूमों, 674 स्कूल इमारतों और लड़कों एवं लड़कियों के लिए 210 छात्रावासों, 27 हजार 212 जल आपूर्ति सुविधाओं, 28 आईटीआई तथा 23 पोलिटेक्नीक संस्थाओं के निर्माण की स्वीकृति शामिल है। 2010-11 तक ऐसे जिलों में बहुक्षेत्रीय विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 21 अरब 62 करोड़ रुपये जारी किए गए।

3.5 अक्षमता से सशक्तिकरण की ओर

3.5.1 नए सिरे से ध्यान देना और राशि में वृद्धि

2010-11 में विभिन्न राज्यों में 21 नए जिला अपंगता पुनर्वास केन्द्रों को मंजूरी दी गई। अहमदाबाद में विकलांग व्यक्तियों के लिए नए संयुक्त केन्द्र की मंजूरी दी गई। 2010-11 में सरकारी भवनों और वेबसाइटों को विकलांगों के लिए सुगम और सुलभ बनाने के लिए 50 करोड़ रुपये की परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

3.5.2 राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के जरिए ऋण वितरण

2010-11 में राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम ने 6 हजार 356 लोगों को 31 करोड़ 84 लाख रुपये के ऋण दिए।

3.6 वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल

3.6.1 इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बीपीएल परिवारों के लोगों को दो सौ रुपये प्रतिमाह की केन्द्रीय सहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से पेंशन देती हैं। इस योजना के लाभार्थियों की संख्या एक करोड़ 69 लाख हो गई है।

3.7 सैनिकों के कल्याण के प्रयास

3.7.1 भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण

2010-11 में 50 हजार से अधिक भूतपूर्व सैनिकों ने रोज़गार हासिल किया। राज्य सैनिक बोर्डों तथा जिला सैनिक बोर्डों के संचालन के लिए व्यय में केन्द्र और राज्यों का अनुपात 50:50 से संशोधित कर सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 60:40 तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 75:25 कर दिया गया है।

भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना में 199 पॉलिक्लीनिक और 15 नए क्षेत्रीय केन्द्रों को जोड़ कर भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। राष्ट्रीय अस्पताल प्रत्यायन बोर्ड के जरिए अस्पतालों को पैनल में शामिल करने की नई प्रणाली केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना की पद्धति के अनुरूप है। भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना की सुविधा नेपाल में रह रहे भूतपूर्व सैनिकों को भी दी जा रही है।

आजादी से पहले के सभी वीरता पुरस्कारों के लिए भत्ते की राशि 30 मार्च, 2011 से दुगुनी कर दी गई है। स्वतंत्रता उपरांत वीरता पुरस्कारों के मामले में यह वृद्धि 500 रुपये से 7 हजार रुपये प्रतिमाह के बीच है। परमवीर चक्र विजेताओं को 3 हजार रुपये प्रतिमाह के बजाय अब 10 हजार रुपये प्रतिमाह मिल रहे हैं।

पेंशन की सही गणना करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। यह सॉफ्टवेयर

सभी राज्य सैनिक बोर्डों और संबंधित कार्यालयों में लगा दिया गया है और उनके कर्मचारियों को इसका प्रशिक्षण दिया गया है।

3.7.2 रक्षा सेवा कर्मियों का कल्याण

दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें बेहतर राशन, विमान यात्रा सुविधा और बेहतर क्वालिटी की वर्दी उपलब्ध कराना शामिल है।

3.8 कामगारों का कल्याण

3.8.1 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 2010-11 में 93 लाख कार्ड जारी किए गए हैं। भवन निर्माण में लगे मजदूरों और रेहड़ी-पटरी पर सामान बेचने वालों को भी इस योजना की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बीड़ी मजदूरों और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत पिछले वित्त वर्ष में 15 दिन से अधिक काम कर चुके लाभार्थियों को भी यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए गए हैं। स्लेट एवं स्लेट पेंसिल, डोलोमाइट, माइका और एसबोस्टस जैसे खतरनाक उद्योगों और खनन में काम करने वाले असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी यह सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

स्मार्ट कार्ड के साथ एक वरिष्ठ नागरिक

3.8.2 संगठित क्षेत्र में कामगारों का कल्याण

संगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण के लिए कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तहत कवरेज की वेतन सीमा को 4 हजार प्रतिमाह से बढ़ाकर आठ हजार रूपये प्रतिमाह कर दिया गया है। ग्रेच्युटी सीमा को 3 लाख 50 हजार से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने के लिए ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 को संशोधित किया गया है। बागान श्रमिकों की सुरक्षा और कार्य के दौरान उन्हें स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बागान श्रम अधिनियम, 1951 को संशोधित किया गया है। सुपरवाइजर के रूप में काम करने वाले श्रमिक को कानून के तहत लाने और विवादों के मामले में श्रम अदालत या न्यायाधिकरण तक कामगार को सीधी पहुंच के लिए वेतन की सीमा को 16 सौ रूपये से बढ़ाकर 10 हजार रूपये प्रतिमाह करने के उद्देश्य से औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन किया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा के तहत सुविधा बढ़ाने तथा असंगठित क्षेत्र के कामगारों को भी कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों में इलाज कराने की सुविधा देने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में संशोधन किया गया है। खान अधिनियम, 1952 और श्रम कानून (कुछ प्रतिष्ठानों द्वारा रिटर्न भरने और रजिस्टर बनाने से छूट) अधिनियम, 1988 में संशोधन के लिए विधेयक राज्य सभा में पेश किए गए हैं।

3.8.3 अन्य प्रयास

राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन सौ रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 115 रुपये प्रति दिन कर दिया गया है। 10 और सेवाओं को इस कानून के दायरे में लाने के लिए बिक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976 में संशोधन किया गया है। श्रम ब्यूरो देश के चुनिंदा क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति

का आकलन करने के लिए तिमाही सर्वेक्षण कराता है, जिनसे चुनिंदा क्षेत्रों में कुल रोजगार में महत्वपूर्ण वृद्धि के संकेत मिले हैं।

3.9 वित्तीय समावेश

वित्तीय समावेश अभियान अप्रैल 2010 में शुरू किया गया । इसके तहत 31 मार्च, 2012 तक 2 हजार से अधिक आबादी वाले बैंकों से अछूते सभी 73 हजार गांवों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इसके लिए बिजनेस कॉरेसपांडेट मॉडल तथा समुचित प्रौद्योगिकी बैकअप का इस्तेमाल किया जाएगा। यूपीए की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने 10 फरवरी, 2011 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक समारोह में "स्वाभिमान" - वित्तीय समावेश अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया।

''स्वाभिमान'' का उद्देश्य बिजनेस कॉरेसपांडेट (बैंक साथी) की सेवाओं के उपयोग से जमा, निकासी तथा हस्तांतरण जैसी बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराना है। इन प्रयासों से सरकारी सब्सिडी और सामाजिक सुरक्षा के लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा कराए जा सकते है, जो अपने गांव में बैंक साथी से यह पैसा ले सकेंगे। 20 हजार गांवों के लक्ष्य की तुलना में 31 मार्च, 2011 तक 29 हजार से अधिक गांवों में यह सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। शेष गांवों में मार्च 2012 तक यह सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी।

स्वावलंबन योजना

असंगठित क्षेत्र के लोगों को सेवानिवृत्ति के बाद के समय के लिए बचत करने के वास्ते प्रोत्साहित करने तथा ऐसे लोगों के लिए नई पेंशन स्कीम की परिचालन लागत को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने फरवरी 2010 में स्वावलंबन योजना की घोषणा की थी। 2010-11 के दौरान इस योजना के तहत खोले गए प्रत्येक खाते में सरकार को अपनी तरफ से एक हजार रुपये की राशि जमा करानी थी। योजना के प्रति लोगों के उत्साह को देखते हुए योजना से बाहर निकलने के नियमों में छूट दी गई है जिससे अब स्वावलंबन स्कीम लेने वाले व्यक्ति (सब्सक्राइबर) को 50 वर्ष की उम्र में (60 वर्ष की मौजूदा निर्धारित उम्र के बजाय) अथवा न्यूनतम 20 वर्ष की अवधि पूरी होने पर (जो भी बाद में आए) स्कीम से निकलने की छूट होगी। इसके अतिरिक्त कम उम्र में ही स्कीम लेने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने स्वावलंबन के सभी सब्सक्राइबरों (2010-11 और 2011-12 में नामांकन कराने वाले) को सरकारी अंशदान का लाभ अगले पांच वर्षों तक देते रहने का फैसला किया है।

3.10 भाषायी समावेश

लोगों की सुविधा और भलाई के उद्देश्य से यह फैसला किया गया है कि केंद्र सरकार के सभी कार्यालय और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक तथा उपक्रम सरकारी उद्देश्यों के लिए अपने बोर्ड, साइन बोर्ड, नाम पट्टिकाएं और निर्देशात्मक संकेत हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त उस राज्य की मान्यता प्राप्त भाषा में भी लिखेंगे, मुद्रित करेंगे, पेंट करेंगे और सूचना प्रदर्शित करेंगे।

3.11 जनगणना

2010-11 के दौरान देश भर में भारत की 15वीं जनगणना का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। 31 मार्च, 2011 को जनसंख्या के अस्थायी आंकड़े जारी किए गए। इन आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल आबादी एक अरब 21 करोड़ है, जिसमें 62 करोड़ 37 लाख पुरुष और 58 करोड़ 64 लाख महिलाएं हैं। महिलाओं की संख्या प्रति हजार (लिंग अनुपात) 940 है। 2001-2011 के दशक में आबादी की वृद्धि दर 17.64 प्रतिशत और साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत रही।

ग्रामीण नवीकरण

"हमने अपने देश में विभिन्न विषमताएं एक साथ दूर करने के प्रयास किए हैं: भारत निर्माण के माध्यम से ढांचागत संबंधी अंतर, सर्व शिक्षा अभियान और सूचना अधिकार के जरिए शिक्षा में अंतर, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी अंतर, अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जातियों के लिए सकारात्मक कार्रवाई के जरिए विकास में अंतर और वनों तथा वन-उत्पादों पर आदिम जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के अधिकारों की बहाली के जरिए सामाजिक और आर्थिक विषमता।"

डॉ. मनमोहन सिंह

जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत केसर की खेती

4. ग्रामीण नवीकरण

4.1 भारत निर्माण

यूपीए सरकार भारत निर्माण के दूसरे चरण में ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के लिए समावेशी विकास के प्रति वचनबद्ध है। इस योजना के तहत सभी पात्र गांवों/बस्तियों को बिजली, सुरक्षित पेयजल, अच्छी सड़कें, टेलीफोन और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण आवास और सिंचाई क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

4.1.1 ग्रामीण आवास

पहले चरण में 60 लाख के लक्ष्य की तुलना में 71 लाख 80 हजार मकानों का निर्माण किया गया। दूसरे चरण में एक करोड़ 20 लाख मकानों के निर्माण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक लगभग 2 खरब 9 अरब 76 करोड़ रूपये की लागत से 53 लाख 7 हजार से अधिक मकानों का निर्माण/उन्नयन किया गया है।

4.1.2 ग्रामीण सड़कें

भारत निर्माण के प्रारंभ से अब तक लगभग 40 हजार बस्तियों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है तथा 2 लाख 21 हजार किलोमीटर से अधिक मौजूदा सड़कों का उन्नयन/नवीकरण किया गया है। 2010-11 में 3 हजार 300 से अधिक बस्तियों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया तथा लगभग 24 हजार किलोमीटर लंबी सड़कों का उन्नयन/नवीकरण किया गया।

4.1.3 ग्रामीण जल आपूर्ति

पहले चरण में 3 लाख 50 हजार से अधिक बस्तियों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने पर बल दिया गया। यह कार्य कुल मिलाकर पूरा हो चुका है, इसलिए अब ऐसी बस्तियों को प्राथमिकता दी जा रही है, जहां पीने के पानी की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। इस तरह की 1 लाख 79 हजार बस्तियों में से 59 हजार 500 से अधिक बस्तियों में दूसरे चरण के तहत सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था कर दी गई है।

भारत निर्माण के अंतर्गत पेयजल सुविधा

4.1.4 सिंचाई

पहले चरण में 73 लाख 10 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गई। इसके बाद 23 लाख 70 हजार हेक्टयेर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता हासिल की गई, जिसमें से 5 लाख 20 हजार सिंचाई क्षमता 2010-11 में सितम्बर 2010 तक सृजित की गई।

4.1.5 बिजली

2010-11 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 17 हजार 500 गांवों के विद्युतीकरण और 47 लाख बीपीएल परिवारों को बिजली के कनेक्शन देने के वार्षिक लक्ष्य की तुलना में 18 हजार 300 गांवों का विद्युतीकरण किया गया तथा 58 लाख 83 हजार बीपीएल परिवारों को कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए। इस प्रकार योजना के तहत अब तक 96 हजार 562 गैर विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण किया गया है। एक लाख 89 हजार विद्युतीकृत गांवों का गहन

राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना

विद्युतीकरण किया गया है तथा एक करोड़ 59 लाख 86 हजार ग्रामीण बीपीएल परिवारों को बिजली के कनेक्शन निःशुल्क दिए गए हैं।

4.1.6 ग्रामीण दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी

भारत निर्माण के तहत ऐसे गांवों को ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराए जाने थे, जहां ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन नहीं हैं। देश में कुल 5 लाख 93 हजार 601 गांवों में से 5 लाख 77 हजार 671 गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन उपलबध करा दिए गए हैं। 2010-11 में ग्रामीण टेलीफोन कनेक्शनों में 37 प्रतिशत वृद्धि हुई। 2 लाख 50 हजार लक्षित ग्राम पंचायतों में से 97 हजार 500 से अधिक पंचायतें ब्राडबैंड से जोड़ी जा चुकी हैं।

4.2 ग्रामीण रोजगार

4.2.1 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2010-11 में लगभग 50 लाख कार्यों के जरिए करीब 5 करोड़ 30 लाख परिवारों को रोजगार दिया गया। कुल 3 खरब 90 अरब रुपये से अधिक के खर्च से दो अरब 50 करोड़ से अधिक दिहाड़ियों का रोजगार सृजित किया गया। योजना के तहत दी जाने वाली औसत मजदूरी 2006-07 में 65 रुपये से बढ़ाकर 2010-11 में एक सौ रुपये प्रतिदिन कर दी गई।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत काम करने वाले मजदूरों को महंगाई से बचाने के लिए उनकी मजदूरी दर को एक जनवरी, 2011 से कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ दिया गया है। राज्य श्रम बजटों के आधार पर धन जारी करने के लिए स्पष्ट मानक तैयार करने के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर एक अधिकार प्राप्त समिति बनाई गई है। राज्यों को कार्मिक, सूचना प्रौद्योगिकी, निगरानी, प्रशिक्षण, प्रचार, सामाजिक जांच और शिकायत निवारण प्रणाली के लिए प्रशासनिक खर्च के रूप में उपलब्ध बजट की 6 प्रतिशत राशि उपयोग करने की स्वीकृति दी गई है।

महात्मा गांधी नरेगा के लाभार्थियों को मजदूरी का भुगतान डाकघरों और बचत बैंक खातों के माध्यम से किया जा रहा है। इस योजना के तहत मजदूरी का वितरण करने के लिए फरवरी 2011 तक देश भर में बैंकों और डाकघरों में 9

गांव के डाक घर से मनरेगा भुगतान

करोड़ 68 लाख से अधिक बचत खाते खोले गए।

4.3 खाद्य सुरक्षा एवं किसानों के कल्याण की ओर

2010-11 में प्रतिकूल जलवायु के कारण देश के अनेक भागों में कृषि उत्पादन पर असर पड़ा। लेकिन केन्द्र और राज्य सरकारों के सक्रिय प्रयासों से इस प्रतिकूल असर को कम करने में मदद मिली और 2010-11 में रिकॉर्ड कृषि उत्पादन हुआ। 2009-10 में कृषि विकास की मामूली 0.4 प्रतिशत वृद्धि दर की तुलना में 2010-11 के दौरान तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 5.4 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर हासिल की गई। 2010-11 में अनाज उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 23 करोड़ 58 लाख 80 हजार टन अनाज उत्पादन का अनुमान है, 3 करोड़ 2 लाख 50 हजार टन तिलहन, 3 करोड़ 39 लाख 30 हजार कपास की गांठें और 34 करोड़ 5 लाख 50 हजार टन गन्ने का उत्पादन हुआ। गेहूं का उत्पादन 8 करोड़ 42 लाख 70 हजार टन होने का अनुमान है, जो अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड है। इसी प्रकार एक करोड़ 72 लाख 90 हजार टन दालों का उत्पादन भी अब तक का रिकॉर्ड है। गेहूं, दालों और मोटे अनाजों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई जिससे 2010-11 में 23 करोड़ 58 लाख 80 हजार टन का अब तक का रिकॉर्ड अनाज उत्पादन हुआ।

4.3.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन

2010 में दक्षिण-पश्चिम मानसून की कम वर्षा के कारण बिहार, झारखंड, ओड़िशा और पश्चिम बंगाल में सूखा घोषित किया गया। इन राज्यों में सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से 34 अरब 16 करोड़ 38 लाख रुपये की सहायता मंजूर की गई। इसके अतिरिक्त भारी और बेमौसम बारिश के कारण ओड़िशा, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए भी राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से केन्द्र सरकार ने 12 अरब 45 करोड़ 78 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की।

हालात से निपटने के लिए किए गए अन्य उपायों में 2010-11 में डीजल सब्सिडी योजना जारी रखना शामिल है, ताकि फसल की सिंचाई की जा सके। अन्य उपायों में समुचित कृषि सलाह जारी करना, कृषि ऋण सहायता, खाद्य और बीज जैसी कृषि सुविधाओं की उपलब्धता, प्रभावित क्षेत्रों के लिए आकस्मिक फसल योजना और कृषि एवं सहकारिता विभाग के तहत केन्द्र प्रायोजित योजनाओं से सहायता उपलब्ध कराना शामिल है।

4.3.2 भूमि में निवेश

रेगिस्तान विकास कार्यक्रम, सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम तथा समेकित जल क्षेत्र विकास कार्यक्रम को मिलाकर एक व्यापक समेकित जल क्षेत्र प्रबंध कार्यक्रम बना दिया गया है। इसके तहत 2010-11 में 87 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लिए परियोजनाएं स्वीकृत की गईं। इन परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में 2010-11 में 14 अरब 90 करोड़ 98 लाख रुपये जारी किए गए। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, विकास और स्थायी प्रबंध तथा वर्षा सिंचित और अवक्रमिक क्षेत्रों में कृषि उत्पादन और उत्पादकता

वाटरशेड विकास

सिंचाई के आधुनिक साधन- स्प्रिंक्लर से सिंचाई

बढ़ाने के लिए 3 प्रमुख कार्यक्रम चलाये गये हैं। ये हैं-वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल विभाजक विकास कार्यक्रम, नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ की आशंका वाली नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में मिट्टी का संरक्षण तथा जगह बदल-बदल कर खेती करने वाले क्षेत्रों में जल विभाजक विकास परियोजना। इन कार्यक्रमों के तहत दिसम्बर 2010 तक एक करोड़ 84 लाख 90 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया है।

4.3.3 **कृषि में काम आने वाली वस्तुओं पर ध्यान**

(क) **बीज**

बीज ग्राम योजना के तहत बीज उत्पादन में किसानों की भागीदारी की प्रणाली को बढ़ावा दिया गया है। बीज ग्रामों की संख्या 2010-11 में 65 हजार से अधिक होने की संभावना है।

(ख) **उर्वरक**

कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में उर्वरकों का बहुत महत्व है। देश में प्रमुख उर्वरकों की मांग साल-दर-साल बढ़ रही है और 2010-11 में इनकी मांग अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई।

देश भर में उर्वरकों की उपलब्धता संतोषजनक बनी रही। 2010-11 के दौरान किसानों को सस्ते उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए उर्वरक कम्पनियों को लगभग 6 खरब 50 अरब रुपये की सब्सिडी दी गई।

फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिए पौष्टिकता आधारित सब्सिडी

फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिए पुरानी छूट की योजना के स्थान पर एक अप्रैल,

2010 से पौष्टिकता आधारित सब्सिडी शुरू की गई है। इसके अनुसार वैधानिक कीमतों के तहत आने वाले यूरिया के अतिरिक्त फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों के 22 ग्रेड, एनपीके कॉम्प्लैक्सेज उर्वरकों के 15 ग्रेड, मोनो अमोनियम फॉस्फेट, ट्रिपल सुपरफॉफॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट और सिंगल सुपर फॉस्फेट किसानों को कम कीमतों पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। जो उर्वरकों की वास्तविक लागत से बहुत कम है। पौष्टिकता आधारित सब्सिडी योजना के तहत सरकार नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश और सल्फर के प्रत्येक पौष्टिक तत्व के संबंध में इन उर्वरकों के लिए सब्सिडी की दर निर्धारित करती है। इसके अतिरिक्त सरकार खुदरा बाजार तक उर्वरकों को पहुंचाने के लिए भी मालभाड़े में सब्सिडी देती है। द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त फोर्टिफाइड उर्वरकों पर भी सब्सिडी दी जाती है।

(ग) **ऋण**

2010-11 के लिए 37 खरब 50 अरब रुपये का ऋण का लक्ष्य निर्धारित किया गया और फरवरी 2011 तक 37 खरब 22 अरब 59 करोड़ 11 लाख रुपये का ऋण दिया गया। निर्धारित समय सीमा के अनुसार लघु अवधि फसल ऋण चुकाने वाले किसानों को ब्याज पर अतिरिक्त 2 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई जा रही है। इस तरह 2010-11 के दौरान तीन लाख रूपये तक के ऋणों पर कर्ज अविलम्ब चुकाने वाले किसानों के लिए वास्तविक ब्याज दर 5 प्रतिशत वार्षिक रही।

4.3.4 **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-08 में शुरू किया गया था। गेहूं, चावल और दालों के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय खाद्य

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत दालों की भरपूर पैदावार

सुरक्षा मिशन के तहत बड़े पैमाने पर संकर चावल की खेती को प्रोत्साहन तथा बीज, पानी, उर्वरक जैसे कृषि आदानों के संरक्षण के उद्देश्य से सिस्टम ऑफ राइस इनटेंसिफिकेशन भी शुरू किया गया। त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम 2010-11 में 16 राज्यों में शुरू किया गया तथा दालों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में यह कार्यक्रम लागू किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 2010-11 के अंत तक राज्यों को 35 अरब 81 करोड़ 21 लाख रुपये की राशि दी गई।

4.3.5 **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना**

2007-08 से 2010-11 के दौरान इस योजना के तहत राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को एक खरब 46 अरब 15 करोड़ 20 लाख रुपये उपलब्ध कराए गए। राज्यों ने अपनी योजनाओं के तहत कृषि और संबंधित क्षेत्रों में आवंटन बढ़ाने के कदम उठाए हैं। राज्यों ने कृषि एवं संबधित क्षेत्रों में निवेश में खासी वृद्धि करने के अलावा उत्पादन बढ़ाने और स्थानीय रूप से उपयुक्त परियोजनाएं चलाई हैं।

4.3.6 **विस्तार सेवाओं में सुधार**

"कृषि स्नातकों द्वारा कृषि क्लीनिकों और कृषि व्यवसाय केन्द्रों की स्थापना" योजना अगस्त 2010 से संशोधित की गई है। पात्रता मानकों को व्यापक बनाया गया है। अपने उद्यम जल्दी स्थापित करने के इच्छुक प्रशिक्षित लोगों को प्रोत्साहन देने की योजना शुरू की गई है। सब्सिडी घटक को सरल बनाया गया है। सब्सिडी के उद्देश्यों के लिए परियोजना लागत की ऊपरी सीमा व्यक्तिगत परियोजना के लिए 20 लाख रुपये और समूह परियोजनाओं के लिए एक करोड़ रुपये बढ़ाई गई है।

4.3.7 **राष्ट्रीय बागवानी मिशन**

इस मिशन का उद्देश्य फल उत्पादन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और फलों के विपणन में वृद्धि करना है। 2010-11 में इस मिशन के लिए 9 अरब 70 करोड़ 86 लाख रुपये जारी किए गए। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के बागवानी मिशन को 4 अरब रुपये की राशि दी गई। 2005-06 की तुलना में 2009-10 में फलों, सब्जियों और मसालों का उत्पादन क्रमश 30.57 प्रतिशत, 19.87 प्रतिशत और 8.39 प्रतिशत बढ़ गया। फलों और सब्जियों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 2005-06 में क्रमश 138 ग्राम/व्यक्ति/दिन तथा 279 ग्राम/व्यक्ति/दिन की तुलना में 2009-10 में क्रमश 164 ग्राम/व्यक्ति/दिन तथा 322 ग्राम/व्यक्ति/दिन हो गई। कृषि और बागवानी के क्षेत्र में लघु सिंचाई प्रणाली लागू होने से ड्रिप और स्प्रिंक्लर सिंचाई के तहत क्षेत्र क्रमश 5 लाख हेक्टेयर और 7 लाख हेक्टेयर (2005-06) से बढ़कर 2010-11 में 12 लाख हेक्टेयर और 13 लाख 30 हजार हेक्टेयर हो गया।

4.3.8 **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग**

अब तक 15 मेगा फूड पार्क बनाने की मंजूरी दी गई है, जिनमें करीब पांच सौ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाए जा सकेंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण की योजना के तहत 500 से अधिक खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को सहायता दी गई है। वातानुकूलित गोदामों को ढांचागत क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया है ताकि इस क्षेत्र को अधिक धन उपलब्ध हो सके।

पौध संरक्षण

24 जनवरी, 2011 को वेब आधारित प्लांट क्वैरंटाइन सूचना प्रणाली शुरू की गई।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन - अनानास की पैदावार

4.3.9 कृषि में राष्ट्रीय ई-प्रशासन योजना

सात राज्यों में कृषि में राष्ट्रीय ई-प्रशासन योजना केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य हितधारकों को आवश्यक सूचना और सेवाओं के प्रावधान के जरिए कृषि उत्पादकता और आमदनी को वैश्विक स्तर तक बढ़ाने के लिए अनूकुल माहौल तैयार करना है।

पशु पौष्टिकता

पशुधन की उत्पादकता बढ़ाने तथा वर्तमान आनुवंशिकी सुधार प्रयासों को चलाते रहने के लिए आहार और चारे की पर्याप्त उपलब्धता तथा उसके कुशल इस्तेमाल का बहुत महत्व है। केन्द्र प्रायोजित चारा एवं आहार विकास योजना को एक अप्रैल, 2010 को संशोधित किया गया, ताकि इसमें नए घटक जोड़े जा सकें। इन घटकों में आहार जांच प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाना, बिजली से चलने वाली चारा कटाई मशीनों का इस्तेमाल शुरू करना तथा क्षेत्र विशेष के आधार पर आहार उत्पादन इकाइयों की स्थापना शामिल हैं।

पशुधन का स्वास्थ्य

पशुओं के स्वास्थ्य की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण योजना का अगस्त 2010 में विस्तार किया गया है और इसमें नए घटक जोड़े गए हैं। अन्य प्रयासों के साथ-साथ इस योजना के तहत पशु चिकित्सा अस्पतालों की स्थापना और उन्हें सुदृढ़ बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। राष्ट्रीय पशुधन रोग सूचना प्रणाली के अंतर्गत किसी भी

तिलहन उत्पादन

रोग के प्रकोप की रोकथाम और नियंत्रण के लिए समय पर कार्रवाई करना संभव हो सकेगा।

दुग्ध उत्पादन क्षेत्र

सितंबर 2010 से दुग्ध उत्पादन उद्यम पूंजी कोष को नया रूप देकर इसका नाम दुग्ध उत्पादन उद्यमशीलता विकास योजना कर दिया गया है। योजना में किए गए प्रमुख बदलावों में ब्याज मुक्त ऋण के बजाए 25 प्रतिशत (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 33.33 प्रतिशत) बैंक समर्थित पूंजी सहायता शामिल हैं।

4.4 पंचायती राज

4.4.1 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष

देश के चुनिंदा 250 जिलों में पंचायतों तथा शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 2010-11 में इन जिलों के लिए 50 अरब 50 करोड़ रूपये जारी किए गए। इसके अतिरिक्त 60 चुनिंदा जिलों के लिए समेकित कार्य योजना के तहत 15 अरब रुपये मंजूर किए गए।

4.4.2 पंचायती राज संस्थाओं के लिए ई-प्रशासन

पंचायती राज संस्थाओं के लिए ई-प्रशासन परियोजना के अंतर्गत लोगों को विभिन्न सेवाएं सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। जहां सामान्य सेवा केन्द्र इस मामले में शहरों में सेवा उपलब्ध कराएंगे, वहीं पंचायत कार्यालयों में यह सेवाएं ई-पंचायत के जरिए सुलभ होंगी। पंचायती राज संस्थाओं के लिए ई-प्रशासन के तहत प्रियासॉफ्ट वेब आधारित एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जो करीब 50 हजार ग्राम पंचायतों में इस्तेमाल किया जा रहा है।

4.4.3 पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण

त्रिस्तरीय पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 243 घ को संशोधित करने के लिए लोकसभा में एक विधेयक पेश किया गया है।

4.4.4 ग्राम सभा वर्ष

2 अक्तूबर, 2009 से 2 अक्तूबर, 2010 की अवधि को "ग्राम सभा वर्ष" के रूप में मनाया गया।

4.4.5 पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम

इस वर्ष पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने के बारे में राज्यों को व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए। अधिनियम संबंधी आदर्श नियमों को भी राज्यों को भेजा गया है, ताकि इन पर अमल किया जा सके।

महिला सशक्तिकरण - ग्राम पंचायत

शहरों का कायाकल्प

" गुणवत्ता पर ध्यान केवल बड़ी परियोजनाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यह आवास, स्कूल, अस्पताल और अन्य सेवाओं सहित सभी सार्वजनिक परियोजनाओं की तैयारी का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। गांवों और शहरों में बुनियादी ढांचा जल्दी खड़ा करने के प्रयासों के साथ-साथ काम की अच्छी गुणवत्ता बनाए रखना भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए।"

श्रीमती सोनिया गांधी

सरपट दौड़ती मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस

5 शहरों का कायाकल्प

5.1 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के शहरी बुनियादी ढांचा और प्रशासन घटक के तहत वर्ष 2010-11 में 14 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं जिनकी लागत 29 अरब 30 करोड़ 21 लाख रुपये है। इसके लिए 10 अरब 73 करोड़ 61 लाख रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता भी उपलब्ध कराई गई। अब तक कुल 530 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं हैं।

छोटे एवं मझौले कस्बों के लिए शहरी बुनियादी ढांचा विकास योजना के तहत 2010-11 में 13 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं। जिनके लिए एक अरब एक करोड़ 89 लाख रुपये की लागत और 90 करोड़ 45 लाख रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई।

मिशन के घटकों - शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं तथा समेकित आवास एवं झुग्गी विकास कार्यक्रम के तहत शहरी गरीबों, खासतौर से झुग्गीवासियों को आवास और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जा रहा है। 31 मार्च, 2011 तक शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं और समेकित आवास एवं झुग्गी विकास कार्यक्रम की समग्र भौतिक और वित्तीय प्रगति इस प्रकार है:

4 खरब 3 अरब एक करोड़ रुपये के व्यय से एक हजार 517 परियोजनाओं के अंतर्गत 22 लाख से अधिक आवासों के निर्माण की मंजूरी दी गई।

2 खरब 17 अरब 70 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में अनुदान दिया गया तथा वित्त वर्ष 2010-11 तक कुल एक खरब 6 अरब 25 करोड़ 27 लाख रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी की गई।

शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं में 64 मिशन शहर शामिल किए गए और समेकित आवास एवं झुग्गी विकास कार्यक्रम में 863 शहरों/कस्बों को शामिल किया गया।

शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं और समेकित आवास एवं झुग्गी विकास कार्यक्रम में शहरी गरीबों के लिए 31 मार्च, 2011 तक 8 लाख 60 हजार मकान बनाए जा चुके हैं अथवा बनाए जा रहे हैं।

5.2 जन परिवहन

पिछले एक वर्ष में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य भागों में 73.3 किलोमीटर लंबी मेट्रो की लाइन शुरू की गई। इसके साथ ही दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मेट्रो की कुल लंबाई 186.72 किलोमीटर हो गई हैं। बंगलुरू, चेन्नई, कोलकाता (पूर्व-पश्चिम मेट्रो गलियारा) और मुंबई की मेट्रो परियोजनाओं के साथ-साथ हैदराबाद में एक खरब 21 अरब 32 करोड़ रुपये की लागत से 71.16 किलोमीटर लंबी नई मेट्रो परियोजना शुरू की गई है। इसके अलावा जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम चरण के लिए 'सैद्धांतिक रूप से' स्वीकृति प्रदान की गई है तथा इस परियोजना को राज्य सरकार स्वयं अपने संसाधनों से लागू करेगी। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत 61 शहरों के लिए इन्टेलीजेंट परिवहन प्रणाली से युक्त 15 हजार 260 आधुनिक बसों की मंजूरी दी गईं। इनमें से करीब 11 हजार

एक सौ बसें राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को मिल गई हैं। इससे देश भर में शहरी परिवहन का कायाकल्प हो गया है।

5.3 शहरी गरीबों के लिए आवास

राजीव आवास योजना

राजीव आवास योजना का उद्देश्य राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को ठोस ढंग से झुग्गी-बस्तियों की समस्याओं से निपटने के लिए प्रोत्साहन देकर भारत को झुग्गी मुक्त बनाना है। यह योजना अपने निर्माण के अंतिम चरण में है और इसमें झुग्गीवासियों और शहरी गरीबों को बुनियादी सुविधाएं तथा सस्ते आवास सुलभ कराने पर बल दिया गया है। झुग्गीवासियों/शहरी गरीबों को संपत्ति के अधिकार देने के इच्छुक राज्यों को इस योजना के तहत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

राजीव आवास योजना की तैयारी का दौर शुरू हो गया है। योजना के तहत झुग्गी मुक्त शहरों के नियोजन के लिए राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को करीब 90 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, ताकि वे झुग्गी-बस्तियों का सर्वेक्षण कराने और झुग्गी मुक्त शहर/राज्य की योजना तैयार कर सकें।

5.4 सार्वजनिक-निजी भागीदारी प्रयास

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के शहरी बुनियादी ढांचा और प्रशासन घटक के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी वाली 67 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई हैं।

शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार

आर्थिक उत्थान

"वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद हमारी वृद्धि दर अच्छी रही है.... इस बेहतर आर्थिक प्रगति के कारण हम सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा और स्वास्थ्य में अधिक धन खर्च कर सकेंगे।"

डॉ. मनमोहन सिंह

इंडियन ऑयल हल्दिया रिफाइनरी की हाईड्रो क्रैकर इकाई

6 आर्थिक उत्थान

6.1. आर्थिक वृद्धि

2004-05 से 2010-11 के दौरान अर्थव्यवस्था की औसत वार्षिक वृद्धि दर 8.5 प्रतिशत (अग्रिम अनुमान) रही, जो 2007-09 के वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय संकट के बावजूद अच्छी कही जा सकती है। 2010-11 में भारतीय अर्थव्यवस्था का तीव्र विकास होने का अनुमान है, क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद में 2004-05 के स्थिर मूल्य पर (वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद) लगभग 8.6 प्रतिशत वृद्धि हो रही है। इससे पहले 2009-10 में 8.0 प्रतिशत की संशोधित वृद्धि दर से इस बात के संकेत मिले कि अर्थव्यवस्था वैश्विक संकट से तेजी से उबर रही है। 2010-11 में वृद्धि अपेक्षाकृत ऊंची और व्यापक रहने का अनुमान है।

निवेश माहौल

विदेशी निवेश की नीति को सरल और युक्तिसंगत बनाने की निरंतर प्रक्रिया के फलस्वरूप यह नीति निवेशकों के अधिक अनुकूल बन गई है। विदेशी निवेश नीति अब समन्वित दस्तावेज के रूप में उपलब्ध है, जिसे हर छठे महीने अद्यतन किया जाता है। इस दस्तावेज का तीसरा संस्करण 31 मार्च, 2011 को जारी किया गया।

'इनवेस्ट इंडिया' औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग तथा फिक्की और राज्य सरकारों का एक संयुक्त उद्यम है, जो दिसंबर 2009 में बिना हानि-लाभ चलने वाली कंपनी के रूप में गठित किया गया। यह कंपनी भारत में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। 'इनवेस्ट इंडिया' ने विभिन्न कंपनियों/देशों से निवेश के 13 प्रस्ताव प्राप्त किए हैं, जिनसे कुल 31 करोड़ अमरीकी डॉलर का निवेश हुआ।

6.1.1 वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाना

वैश्विक आर्थिक मंदी के दुष्प्रभावों से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए प्रोत्साहन उपायों के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था संकट से उबर सकी। राजकोषीय नीति के अच्छे प्रभाव का पता इस बात से चलता है कि 2009-10 में अर्थव्यवस्था तेजी से उबरी। 2010-11 के आम बजट से 2008-09 और 2009-10 में लागू किए गए राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों को वापस लेना प्रारंभ कर दिया गया। 2010-11 में राजकोषीय परिणाम मोटे तौर पर आशा के अनुरूप पटरी पर आ गए हैं। 2011-12 के आम बजट में भी राजकोषीय स्थिति मजबूत बनाने की नीति जारी रही।

मूल्य स्थिति

वर्ष दर वर्ष थोक मूल्य सूचकांक की समग्र मुद्रास्फीति मार्च 2011 में 8.98 प्रतिशत रही, जो अप्रैल 2010 में दर्ज की गई 11.00 प्रतिशत की उच्च मुद्रास्फीति की दर से बहुत कम है। मध्य अवधि आपूर्ति बढ़ाने के लिए 2011-12 के आम बजट में घोषित अनेक उपायों से कृषि क्षेत्र में असंतुलन दूर होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त ईंधन की कीमतें भी ऊंची बनी रहीं, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्यों से संचालित होती हैं।

खाद्य मुद्रास्फीति

2010-11 में घरेलू अर्थव्यवस्था में खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति चिंता का एक प्रमुख कारण

बनी रही। वर्ष के आरंभ में कुछ अनाजों, चीनी और दालों की मुद्रास्फीति ऊंची थी, लेकिन उसके बाद इसमें काफी गिरावट आई। तथापि दूध, अंडे, मांस और मछली जैसे प्रोटीन के स्रोतों की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं, जिससे मांग-आपूर्ति में महत्तवपूर्ण असंतुलन का पता चलता है।

कुल मिलाकर थोक मूल्य सूचकांक में खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति मार्च 2011 में 6.81 प्रतिशत पर आ गई। लेकिन इससे पहले यह फरवरी 2010 में 20.22 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। इसके दो घटकों में प्राथमिक खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति फरवरी 2010 में 21.85 प्रतिशत के ऐतिहासिक स्तर तक पहुंची और उसके बाद घटकर मार्च 2011 में 9.47 प्रतिशत रह गई। विनिर्मित खाद्य उत्पादन की मुद्रास्फीति में भी ऐसा ही रुख देखा गया और दिसंबर 2009 में 19.30 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद मार्च 2011 में यह 2.40 प्रतिशत पर आ गई।

खाद्य मुद्रास्फीति को काबू करने के उपाय

कीमतों में स्थिरता लाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को काबू में रखने के उपायों में चुनिंदा वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध और अनाज में वायदा कारोबार पर प्रतिबंध, चुनिंदा खाद्य वस्तुओं के आयात शुल्क को समाप्त करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दालों और चीनी के आयात की अनुमति देना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आयातित दालों और खाद्य तेलों का वितरण तथा शुल्क मुक्त चीनी का (खुले बाजार में बिकने वाली चीनी) का कोटा बढ़ाना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों को खाद्य वस्तुओं की जमाखोरी करने वालो ंपर सख्त कार्रवाई करने के अधिकार दिए गए हैं। इसके लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत खाद्य वस्तुओं के लाइसेंस, भंडारण सीमा और आवागमन पर लगे प्रतिबंधों को हटाने पर रोक लगा दी गई। सरकार राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों को वापस ले रही है और भारतीय रिजर्व बैंक ने फालतू नक़्दी को काबू में करने के लिए नीतिगत उपाय किए हैं।

इन उपायों के फलस्वरूप अनाजों (अनाज एवं दाल) की मुद्रास्फीति में महत्वपूर्ण गिरावट आई और यह अप्रैल 2010 में 11.05 प्रतिशत से घटकर मार्च 2011 में 2.32 प्रतिशत रह गई।

ईंधन मुद्रास्फीति

इस वर्ष थोक मूल्य सूचकांक में ईंधन की मुद्रास्फीति की दर 10.02 से 14.42 प्रतिशत के बीच बनी रही। 2010-11 में खनिज तेल की मुद्रास्फीति 13.64 से 18.37 प्रतिशत के बीच बनी रही।

ईंधन मुद्रास्फीति पर काबू पाने के उपाय

सरकार आम आदमी को खाना पकाने की गैस किफायती दर पर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। घरों में मिट्टी के तेल और एलपीजी के महत्व को देखते हुए सरकार ने इन उत्पादों पर सब्सिडी जारी रखने का फैसला किया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के जरिए बिकने वाले मिट्टी के तेल और घरेलू एलपीजी सब्सिडी योजना 2002 को 31 मार्च, 2014 तक जारी रखने का निर्णय किया गया है। इसके साथ ही मालभाड़ा सब्सिडी (दूर दराज के क्षेत्रों के लिए) योजना 2002 भी 31 मार्च, 2014 तक जारी रहेगी,

हालांकि राजकोष को होने वाले नुकसान के मद्देनजर दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बिकने वाले मिट्टी के तेल की खुदरा कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर और एलपीजी सिलेंडर पर 35 रुपये की वृद्धि करने का फैसला किया गया। देश के अन्य भागों में भी इसी के अनुरूप मिट्टी के तेल और एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ाई गईं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब बाज़ार के आधार पर निर्धारित होंगी, हालांकि ऐसा समझा जाता है कि डीजल की कीमतों में वृद्धि कुछ समय बाद स्थिर हो जाएगी और गरीबों तथा कमजोर वर्गों पर उसका प्रभाव कम हो जाएगा।

मुद्रास्फीति की समीक्षा के लिए अंतर-मंत्रालय समूह

मुद्रास्फीति की स्थिति की समीक्षा करने और सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए मुख्य आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालय समूह गठित किया गया। इसे खाद्य मुद्रास्फीति और बृहत आर्थिक मांग प्रबंध से संबंधित नीतियों के अध्ययन और उन्हें प्रस्तावित करने का दायित्व सौंपा गया है।

मूल्यों पर मंत्री समूह

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर विचार करने के लिए 15 मार्च, 2010 को मुख्यमंत्रियों और कुछ केन्द्रीय मंत्रियों का स्थायी समूह बनाया गया । इस समूह की पहली बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 8 अप्रैल, 2010 को हुई। बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उपभोक्ता मामलों पर कार्यकारी समूह का गठन किया गया और आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इसके सदस्य बनाए गए। कार्यकारी समूह ने 2 मार्च, 2011 को रिपोर्ट सौंप दी है ।

प्रत्यक्ष कर संहिता

प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2010 (डीटीसी), अगस्त 2010 में संसद में प्रस्तुत किया गया। इसका उद्देश्य कर प्रणाली को अधिक चुस्त बनाना, उसमें समानता लाना तथा लोगों द्वारा अपने आप इसके अनुपालन को प्रोत्साहन देना है। इस विधेयक में व्यापक कर आधार पर करों की दरों को कम करने का प्रावधान है, जो क्षेत्र विशेष के आधार पर करों में छूट से प्रभावित नहीं होंगी। इसमें विभिन्न प्रावधानों को युक्तिसंगत एवं सरल बनाया गया है, श्रेष्ठ पद्धतियां शामिल की गई हैं और इसे सरल एवं स्पष्ट भाषा में लिखा गया है।

वस्तु एवं सेवा कर

वस्तु एवं सेवा कर की दिशा में आगे बढ़ने के लिए लोक सभा में संविधान (115 वां संशोधन) विधेयक पेश किया गया है ताकि संसद और राज्य विधानमंडल हर तरह की वस्तुओं या सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति के प्रत्येक लेन-देन पर लगने वाले वस्तु एवं सेवा कर के लिए कानून बना सकें। कच्चा तेल, डीज़ल, पेट्रोल, विमान ईंधन, प्राकृतिक गैस और अल्कोहल जैसी कुछ वस्तुएं इस कर के दायरे में नहीं होंगी। प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति को इसके कानून बनने के 60 दिन के भीतर वित्त मंत्री की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद बनाने के अधिकार का प्रावधान है। राज्यों के राजस्व एवं वित्त मंत्री इस परिषद के सदस्य होंगे। वस्तु एवं सेवा कर परिषद जीएसटी दरों, रियायतों की सूची और प्रवेश सीमाओं जैसे मुद्दों पर आम सहमति के आधार पर सिफारिश करेगी। विधेयक में जीएसटी विवाद निपटान प्राधिकरण बनाने का भी प्रावधान किया गया है।

वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के लिए उठाए जा रहे कदमों में सूचना प्रौद्योगिकी के सशक्त बुनियादी ढांचे की स्थापना करना शामिल है। जीएसटी नेटवर्क बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

6.1.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर आम लोगों का स्वामित्व

विनिवेश नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर सरकार के प्रमुख स्वामित्व और नियंत्रण को बनाए रखते हुए आम लोगों को उनकी संपदा और समृद्धि में भागीदार बनाने के लिए जनसाधारण का स्वामित्व बढ़ाने पर बल दिया गया है। पब्लिक ऑफर के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों में विनिवेश से इन कम्पनियों के मूल्य को बढ़ाने में मदद मिली है।

2010-11 में छह पब्लिक इश्यू पूरे किए गए, जिससे 2 खरब 21 अरब 44 करोड़ 21 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई। इन छह इश्यू में 50 लाख से अधिक खुदरा आवेदकों ने आवेदन किया, जिससे संकेत मिलता है कि मुनाफा कमा रहे सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों की शेयर धारिता को व्यापक बनाने के सरकार के उद्देश्य को सफलता मिल रही है। विनिवेश से प्राप्त इस राशि का इस्तेमाल सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं चलाने पर किया जा रहा है।

6.2 औद्योगिक कार्यनिष्पादन

6.2.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के चार उपक्रमों - इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेच्युरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को मई 2010 में महारत्न का दर्जा दिया गया।

ऑयल इंडिया लिमिटेड और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को वर्ष के दौरान नवरत्न का दर्जा दिया गया।

सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों ब्रिज एंड रूफ लिमिटेड और भारत पम्प्स एंड कम्प्रैसर्स लिमिटेड को पिछले तीन वर्षों में उनके अच्छे काम के लिए "मिनीरत्न" का दर्जा दिया गया।

राष्ट्रीय कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व केंद्र की स्थापना

अप्रैल 2010 में सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में जारी दिशानिर्देशों के आधार पर मुंबई में राष्ट्रीय कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व केंद्र की स्थापना की गई है। इस केंद्र द्वारा राष्ट्रव्यापी संकलन, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, पैरवी और अनुसंधान, कार्यान्वयन संगठनों की सूचियां तैयार करना, प्रोत्साहन गतिविधियां और राष्ट्रीय डाटा केंद्र की स्थापना करना तथा सम्मेलन, सेमीनार और कार्यशालाएं आयोजित करने जैसी गतिविधियां चलाई जाएंगी।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पुनर्संरचना बोर्ड

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पुनर्संरचना बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 40 बीमार उपक्रमों के पुनरूद्धार के लिए दो खरब 35 अरब 91 करोड़ रुपये की सहायता की मंजूरी दी गई है।

6.2.2 **विनिर्माण क्षेत्र**

राष्ट्रीय विनिर्माण नीति

राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का मसौदा तैयार किया गया है, जिसमें निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण एवं निवेश क्षेत्रों की स्थापना पर ध्यान दिया गया है- (1) सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र के हिस्से को बढ़ाकर 2022 तक 25 प्रतिशत करना, (2) इस क्षेत्र में रोजगार के वर्तमान स्तर को दुगुना करना (3) घरेलू मूल्य संवर्धन के स्तर को बढ़ाना, (4) क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करना और (5) भारत को अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माण केंद्र बनाना।

6.2.3 **कॉर्पोरेट प्रशासन सुधार**

राष्ट्रीय ई-प्रशासन योजना के अंतर्गत भारत सरकार की मिशन मोड परियोजना के रूप में एमसीए-21 ई-प्रशासन योजना लागू की गई है। यह परियोजना दस्तावेजों पर निर्भरता को न्यूनतम करने और व्यवसाय सुगम बनाने के लिए 20 रजिस्ट्री केंद्रों से चलाई जा रही है। एमसीए-21 पोर्टल के माध्यम से हितधारकों द्वारा स्टैम्प ड्यूटी के भुगतान को सरल बनाने के लिए ई-स्टैम्पिंग भी शुरू की गई है।

12 से 17 जुलाई, 2010 के बीच भारत निवेशक सप्ताह आयोजित किया गया। निवेशकों में जागरूकता, शिक्षा एवं संरक्षण को प्रोत्साहन देने के प्रयासों के रूप में 4 हजार से अधिक निवेशक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। अंग्रेजी, हिंदी और 11 क्षेत्रीय भाषाओं में शैक्षिक वेबसाइट www.iepf.gov.in भी एक साथ राष्ट्रव्यापी आधार पर शुरू की गई।

दिसंबर 2010 में दूसरा भारत कॉर्पोरेट सप्ताह "स्थायी व्यवसाय" विषय पर आयोजित किया गया।

6.2.4 **भारी उद्योग**

भारी उद्योग विभाग के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के 32 केंद्रीय उपक्रमों का सकल कारोबार 13.02 प्रतिशत बढ़कर 4 खरब 52 अरब 19 करोड़ रुपये हो गया। 2010-11 में इन उपक्रमों को 55 अरब 51 करोड़ रुपये का कुल वार्षिक लाभ होने की संभावना है।

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बीमार और घाटे में चल रहे 16 उपक्रमों की पुनर्संरचना और उन्हें नया रूप देने की मंजूरी दी है। इसके लिए 82 अरब 93 करोड़ 48 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई। इनमें से 8 उपक्रमों ने लाभ कमाना शुरू कर दिया है।

प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक सितंबर, 2010 को आंध्र प्रदेश में तिरूपति में एनटीपीसी-बीएचईएल पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी।

इस वर्ष ऑटोमोबाइल क्षेत्र ने 25 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की। सरकार ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में ग्रीन मोबिलिटी के लिए अनेक प्रयास किए हैं।

6.2.5 **सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रम**

सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रमों पर प्रधानमंत्री के कार्यबल ने ऋण, विपणन, श्रम, पुनर्वास एवं निर्गम नीति, बुनियादी ढांचा, कौशल विकास, कराधान और पूर्वोत्तर एवं जम्मू कश्मीर में सूक्ष्म एवं लघु उपक्रमों के विकास के क्षेत्रों में 85 सिफारिशें

की हैं। इनमें से अधिसंख्य सिफारिशों के संबंध में कार्रवाई पूरी कर ली गई हैं।

प्रधानमंत्री के रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत सभी राज्यों में 2010 में बैंकों ने 9 अरब 3 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी वितरित की। इससे 48 हजार सूक्ष्म उपक्रमों की स्थापना हो सकेगी और 4 लाख से अधिक नए लोगों को रोज़गार मिल सकेगा।

एक अप्रैल, 2010 से खादी की बिक्री पर पहले से दी जा रही छूट के स्थान पर बाजार विकास सहायता योजना शुरु की गई, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण सुधार है। कताई करने वालों और बुनकरों को पहली बार सहायता का 25 प्रतिशत हिस्सा सीधा उपलब्ध कराया जा रहा है। खादी क्षेत्र के लिए एक अरब 81 करोड़ रुपये की राशि की वित्तीय सहायता का विशेष पैकेज भी मंजूर किया गया है।

6.2.6 क्षेत्रवार कार्यनिष्पादन

दूरसंचार

2010-11 में 28 फरवरी, 2011 तक टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 62 करोड़ 12 लाख 80 हजार से बढ़कर 82 करोड़ 62 लाख 60 हजार हो गई, जिसमें ग्रामीण टेलीफोन कनेक्शनों में हुई करीब 7 करोड़ 42 लाख 60 हजार कनेक्शनों की वृद्धि शामिल है। सकल दूरसंचार घनत्व 52.74 प्रतिशत से बढ़कर 69.29 प्रतिशत हो गया । दिसंबर 2010 तक वायरलैस कनेक्शनों की संख्या 58 करोड़ 43 लाख 20 हजार से बढ़कर 79 करोड़ 13 लाख 90 हजार हो गई और ब्रॉडबैंड कनेक्शन 87 लाख 68 हजार से बढ़कर 1 करोड़ 9 लाख 78 हजार हो गए।

सूचना प्रौद्योगिकी

इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर निर्माण क्षेत्र की पहचान महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में की गई है। देश में इस उद्योग की तरक्की के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर का उत्पादन 2009-10 में 11 खरब 7 अरब 20 करोड़ रुपये से बढ़कर 2010-11 में 12 खरब 17 अरब 60 करोड़ रुपये हो गया और इसमें करीब 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन देने के सुझाव देने के लिए उद्योग के नेतृत्व में कार्यबल गठित किया गया। इस कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

नई दूरसंचार सेवाएं

3 जी और ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस (बीडब्ल्यूए) स्पेक्ट्रम की सफलतापूर्वक नीलामी की गई। 3 जी स्पेक्ट्रम की नीलामी से छह खरब 77 अरब 18 करोड़ 95 लाख रुपये और बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम की नीलामी से तीन खरब 85 अरब 43 करोड़ 31 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई। 'वायरलेस ब्रॉडबैंड योजना' शुरू करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष बनाने का प्रस्ताव है। इस योजना के अंतर्गत देशभर के लगभग 5 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जिन गांवों और दूर दराज के क्षेत्रों में जमीनी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना व्यवहारिक नहीं है, वहां सेटेलाइट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री ने 20 जनवरी, 2011 को देश भर में बिना नम्बर बदले मोबाइल नेटवर्क बदलने की सुविधा का शुभारंभ किया।

पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र

भारत सरकार की पीसीपीआईआर नीति में पेट्रोलियम, रसायन और पैट्रोरसायन क्षेत्रों में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के अनुरूप वैश्विक औद्योगिक समूहों के विकास के समग्र दृष्टिकोण पर बल दिया गया है। आंध्रप्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल में तीन पीसीपीआईआर में अब तक 9 खरब 24 अरब 70 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है।

चौथा पीसीपीआईआर ओड़िशा में पारादीप में लगाने की मंजूरी दी गई हैं। ओड़िशा पीसीपीआईआर के लिए एंकर टेनेंट के रूप में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को चुना गया है, जो पारादीप में पहले चरण में 2 खरब 97 अरब 77 करोड़ रुपए की लागत वाली 15 एमएमटीपीए क्षमता का तेल शोधन कारखाना बनाएगी। इस पीसीपीआईआर में 27 खरब 77 अरब 34 करोड़ रुपए का निवेश होने और कुल लगभग छह लाख 48 हजार लोगों को रोजगार मिलने की आशा है।

औषध

2009-10 में भारत के औषध उद्योग में 10 खरब 42 अरब 9 करोड़ रुपये के सकल वार्षिक कारोबार का अनुमान है। 4 खरब 21 अरब 54 करोड़ रुपये की दवाइयों, औषध और उत्कृष्ट रसायनों का निर्यात हुआ। औषध उद्योग में ढांचागत विकास, प्रौद्योगिकी आधार और कई प्रकार के उत्पादों में शानदार प्रगति हुई। यह उद्योग अब जटिल निर्माण प्रक्रियाओं वाले सभी प्रमुख औषध समूहों से संबंधित थोक दवाओं का उत्पादन करता है। विभिन्न दवाओं के उत्पादन के लिए उत्कृष्ट अच्छी निर्माण पद्धतियों का भी विकास किया गया है। इस उद्योग की शक्ति माध्यमिक और थोक दवाओं के उत्पादन के लिए गुणवत्ता में कमी लाये बिना कम-से-कम समय में कम खर्चीली प्रौद्योगिकी विकसित करने में है।

इस्पात

2010 में भारत में छह करोड़ 83 लाख 20 हजार टन कच्चे इस्पात का उत्पादन हुआ। कच्चे इस्पात का उत्पादन 2009-10 में सात करोड़ 27 लाख 60 हजार टन प्रति वर्ष से बढ़कर 2010-11 में सात करोड़ 80 लाख टन प्रतिवर्ष हो गया।

सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनियों ने 2010-11 में अच्छा कार्य किया। अप्रैल से दिसंबर 2010 में कर के बाद उनका कुल लाभ 86 अरब पांच करोड़ रुपये रहा।

नई राष्ट्रीय इस्पात नीति का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस्पात क्षेत्र के संवर्धन के लिए पांच वर्ष का कार्यनीति पत्र तैयार किया गया है। देश में लाभप्रदता, कोयले की राख में कमी करने और उच्च स्तर के मूल्यवर्धित इस्पात के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देने के लिए अनुसंधान एवं विकास के बारे में भी नीति पत्र तैयार किया गया है।

इस्पात क्षेत्र में उत्पादकता, कार्यदक्षता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए चार अरब 42 करोड़ रुपये की लागत से अनुसंधान एवं विकास संबंधी अनेक नवप्रवर्तन प्रस्ताव तथा अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

खान

सरकार ने खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) विधेयक, 2011 का मसौदा तैयार किया है, जो मौजूदा खनिज एवं खान (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 का स्थान लेगा। इस विधेयक में खनन क्षेत्रों के विकास पर ध्यान देने

के प्रावधान सहित खनन क्षेत्र में पूर्ण एवं व्यापक सुधार की बात कही गई है।

पर्यावरण प्रबंध की श्रेष्ठ पद्धतियों सहित खनन क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने की प्रक्रिया के अंग के रूप में खनन क्षेत्र के लिए स्थाई विकास ढांचा तैयार किया गया है। इस ढांचे को अंतिम रूप देने से पहले इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

बेहतर खनिज प्रशासन और खनिजों के उत्पादन, व्यापार, उपभोग और निर्यात में ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए खनिज संरक्षण एवं विकास कानून के नियम 45 को 9 फरवरी, 2011 को संशोधित किया गया, ताकि उत्पादकों और व्यापारियों के पंजीकरण संबंधी सभी तरह के लेन-देन की जानकारी भारतीय खान ब्यूरो और राज्य सरकारों को उपलब्ध कराई जा सके। इससे नियामकों को खनन क्षेत्र से संयंत्र या बंदरगाह तक खनिजों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सकेगी, जिससे बड़े पैमाने पर हो रहे ग़ैर-कानूनी खनन पर रोक लगेगी।

वस्त्र

2010-11 में वस्त्र क्षेत्र के पुनरुद्धार की प्रक्रिया में तेजी आई। 2009-10 की तुलना में 2010-11 में स्पन धागे के कुल उत्पादन में करीब 10.7 प्रतिशत और फैब्रिक के उत्पादन में करीब 3.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कच्चे रेशम का उत्पादन 2010-11 में लगभग 21 हजार 140 मीट्रिक टन हो गया। रेशम क्षेत्र में 2010-11 में रोज़गार पाने वालों की संख्या बढ़कर 72 लाख 50 हजार हो गई। रेशम की खेती को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कृषि संबंधी गतिविधि के रूप में शामिल किया गया है।

दो अरब 72 करोड़ रुपये की राशि से 2010-12 के दौरान वस्त्र एवं सिले-सिलाए वस्त्र क्षेत्र में रोजगार के लिए दो लाख 56 हज़ार कामगारों को प्रशिक्षित करने की महत्वाकांक्षी समेकित दक्षता विकास योजना शुरू की गई है।

प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना का पुनर्गठन किया गया है और 11वीं योजना में इसके लिए आवंटन एक खरब 54 अरब 4 करोड़ रुपये कर दिया गया है। योजना के तहत ब्याज सब्सिडी के रूप में 2010-11 में कुल 27 अरब 84 करोड़ 18 लाख रुपये दिए गए। समेकित वस्त्र पार्क योजना के तहत स्वीकृत 40 पार्कों में से 24 में व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो गया है।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम का पुनरुद्धार किया जा रहा है। इसके उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 45 प्रतिशत वृद्धि हुई। बिक्री से कंपनी के सकल कारोबार में 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2009-10 में एक अरब 3 करोड़ की तुलना में 2010-11 में 13 अरब 66 करोड़ रूपये का शुद्ध लाभ हुआ। पुनरुद्धार के लिए चुनी गई 24 मिलों में से राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने 18 को आधुनिक रूप दिया है, जिनमें से 11 ने आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। ये मिलें अब मुनाफा कमा रही हैं।

हथकरघा और हस्तशिल्प

राष्ट्रीय हथकरघा गणना के अनुसार 27 लाख 83 हजार हथकरघा पारिवारिक इकाइयों में कुल 43 लाख 32 हजार हथकरघा श्रमिक काम कर रहे हैं। यह गणना 14 साल के बाद की गई

थी। अब तक 16 लाख 68 हजार हथकरघा बुनकरों को फोटो पहचान पत्र दिए गए हैं, ताकि उनको विभिन्न योजनाओं के लाभ मिल सकें ।

समेकित हथकरघा विकास योजना के अंतर्गत चार मेगा क्लस्टर्स, 50 से अधिक क्लस्टर्स और 788 समूह परियोजनाओं में 58 लाख 41 हजार बुनकरों को लाभ मिला है जिसमें नए उन्नत करघे, ढांचागत सहायता और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण शामिल हैं। 2010-11 में केरल में कन्नूर में एक नए भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान को मंजूरी दी गई है। समावेशी विकास के लिए मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) और वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी कोष न्यास बनाया गया है ताकि ऋण पर कुछ समय के लिए ब्याज में छूट दी जा सके और बुनकरों को ऋण आसानी से मिल सके।

हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना के अंतर्गत बुनकरों और सहायक श्रमिकों को स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए 2010-11 में एक अरब 60 करोड़ रुपए जारी किए गए। चार लाख 26 हजार बुनकरों का जीवन बीमा कराया गया है और बुनकरों के एक लाख 38 हजार 102 बच्चों को प्रति वर्ष 1,200 रुपये की छात्रवृत्ति दी गई है। विपणन और निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत हथकरघा उत्पादों की बिक्री और प्रदर्शनी के लिए 680 विपणन कार्यक्रम आयोजित किए गए।

देश के हथकरघा बुनकरों को ऋण और ब्याज में छूट के लिए 30 अरब रुपए के वित्तीय पैकेज की घोषणा की गई जिससे लगभग 3 लाख हथकरघा बुनकरों को लाभ होगा। इस पैकेज में बुनकरों की सहकारी संस्थाओं के बकाया ऋणों

वस्त्र प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए कताई कार्यशाला

और ब्याज को माफ करना और ऋण गारंटी प्रणाली के जरिए हथकरघा बुनकरों को ऋण उपलब्ध कराना शामिल हैं। कच्चे रेशम पर आयात शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की भी घोषणा की गई है जिससे घरेलू और आयातित कच्चे रेशम के मूल्यों में स्थिरता आने की आशा है।

2010-11 में कुल 2 अरब 26 करोड़ 70 लाख अमरीकी डॉलर के हस्तशिल्प उत्पादों का निर्यात हुआ।

2010-11 में राजस्थान में भीलवाड़ा में पावरलूम के लिए मेगा क्लस्टर और श्रीनगर में कारपेट क्लस्टर की मंजूरी दी गई। बाड़मेर (राजस्थान) हस्तशिल्प और भिवंडी (महाराष्ट्र) वस्त्र निर्यात के मामले में उत्कृष्ट शहरों की सूची में शामिल हो गए हैं। होज़री क्षेत्र की क्षमता और विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए तिरूपुर में 5 करोड़ रुपये की लागत से होज़री प्रौद्योगिकी मिशन गठित किया गया है।

पटसन

पटसन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2010-11 में एक हजार 575 रूपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2011-12 में 1 हजार 675 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है।

तकनीकी वस्त्र

देश में तकनीकी वस्त्रों की खपत की असीम संभावनाओं को देखते हुए 5 वर्ष के लिए प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया है।

6.2.7 वाणिज्य

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) (2009-14) का वार्षिक परिशिष्ट 23 अगस्त, 2010 को जारी किया गया। इस नीति की मुख्य विशेषताओं में बाज़ार और उत्पाद विविधिकरण और बाज़ारों के विस्तार के लिए किए गए उपाय, तकनीकी उन्नयन के लिए सहायता, प्रक्रियाओं को आसान और व्यापार को सुगम बनाने के उपाय, संयोजन शुल्क का भुगतान किए बिना अग्रिम प्राधिकार के अंतर्गत निर्यात दायित्व की अवधि 24 महीनों से बढ़ाकर 36 महीने करना, लेन-देन की लागत को कम करना और फ्रिंज बेनिफिट कर को समाप्त करना शामिल हैं।

सामान्यतः निर्यात क्षेत्र और विशेष रूप से मंदी से प्रभावित रोज़गार प्रधान क्षेत्रों की मदद के लिए 11 फरवरी, 2011 को अतिरिक्त उपाय किए गए। कृषि, रसायन, गलीचा, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक और प्लास्टिक जैसे श्रम प्रधान और/या प्रौद्योगिकी प्रधान क्षेत्रों में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने के उद्देश्य से छह सौ से अधिक उत्पादों के लिए निर्यात प्रोत्साहन की घोषणा की गई।

देश में आपूर्ति श्रृंखला में प्रबंध से जुड़ी कमियां दूर करने के लिए ताज़े फल और सब्ज़ियां उत्पादक क्षेत्रों के क्लस्टरों की विविध प्रकार की क्षमता का लाभ उठाने के लिए फसल कटाई के बाद का बुनियादी ढांचा विकसित करने के गंभीर प्रयास किए गए हैं। 2010-11 में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत एक अरब 50 करोड़ रुपए जारी किए।

मुक्त व्यापार समझौते

पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक सहयोग को मज़बूत करने तथा अपने निर्यातकों को नए बाज़ार उपलब्ध कराने के लिए 18 फरवरी, 2011

को ऐतिहासिक 'भारत-मलेशिया आर्थिक सहयोग समझौते' पर हस्ताक्षर किए गए।

जापान के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर 16 फरवरी, 2011 को टोकियो में मंत्री स्तर पर हस्ताक्षर किए गए। भारत द्वारा किए गए इस तरह के सभी समझौतों में यह अब तक का सबसे व्यापक समझौता है। इसमें 90 प्रतिशत से अधिक व्यापार, विभिन्न सेवाएं, निवेश, बौद्धिक सम्पदा अधिकार, सीमा शुल्क और अन्य व्यापार संबंधी मुद्दे शामिल हैं।

दक्षिण अफ्रीका में 29 से 31 अगस्त, 2010 तक 'द इंडिया शो' आयोजित किया गया। नैरोबी में 12 से 13 अक्तूबर, 2010 के दौरान भारत-कीनिया संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) की छठी बैठक आयोजित की गई। कीनिया में नैरोबी में एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम 'नमस्कार अफ्रीका' का 14 से 15 अक्तूबर के दौरान आयोजन किया गया।

6.2.8 **दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा**

दिल्ली मुम्बई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी) पश्चिमी समर्पित माल भाड़ा गलियारे के दोनों ओर विकसित किया जा रहा है। उच्च क्षमता वाले समर्पित रेलवे माल भाड़ा गलियारे को आधार के रूप में इस्तेमाल करते हुए यह गलियारा वैश्विक निर्माण और निवेश के केन्द्र के रूप में स्थापित होगा। पहले सात औद्योगिक शहरों के लिए मास्टर प्लान बनाने का काम पूरा हो गया है और मंजूरी लेने तथा वित्तीय आकलन की प्रक्रिया चल रही है।

6.3 ऊर्जा

6.3.1 **कोयला**

2010-11 में कोयले का कुल उत्पादन 53 करोड़ 20 लाख 70 हज़ार टन और लिग्नाइट का उत्पादन 3 करोड़ 77 लाख 30 हज़ार टन हुआ।

सांस्थानिक तंत्र के जरिए जो लोग कोयले के स्रोत तक पहुंचने में असमर्थ थे ऐसे उपभोक्ताओं को कोयला उपलब्ध कराने के लिए ई-नीलामी के जरिए कोयला वितरण शुरू किया गया है। इसी प्रकार कोयले के उपभोक्ताओं की वास्तविक और दीर्घकालिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए फ़ॉरवर्ड ई-नीलामी की योजना शुरू की गई है। 2010-2011 में ई-नीलामी के जरिए कुल चार करोड़ 65 लाख 57 हजार टन और फ़ॉरवर्ड ई-नीलामी के जरिए 56 लाख 7 हजार टन कोयला बेचा गया।

कोल इंडिया लिमिटेड अब शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध कंपनी है। कोल इंडिया लिमिटेड ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के जरिए 10 प्रतिशत चुकता पूंजी का विनिवेश किया है। इस आईपीओ की 15.3 गुना ज्यादा बिक्री हुई तथा विनिवेश से करीब एक खरब 52 अरब रुपये प्राप्त हुए।

कोयले की नीलामी में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से कैप्टिव इस्तेमाल के लिए कोयला ब्लॉक आवंटित करने की प्रतिस्पर्द्धी नीलामी प्रणाली 9 सितम्बर, 2010 को अधिसूचित की गई।

कोयले की खुली खदान, झारखंड

6.3.2 **बिजली**

2010-2011 में बिजली की 12 हजार 160 मेगावाट क्षमता चालू की गई है जो पिछले छह दशकों में किसी एक वर्ष में चालू की गई सबसे अधिक क्षमता है।

पुनर्गठित त्वरित बिजली विकास एवं सुधार कार्यक्रम के तहत 40 अरब 23 करोड़ रुपये जारी किए गए जिनमें से 39 अरब 3 करोड़ रुपये राज्य इकाइयों को ऋण के रूप में और एक अरब 20 करोड़ रुपये इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए अनुदान के रूप में हैं।

सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण की दिशा में प्रयास के रूप में एनटीपीसी और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की पांच सुपर क्रिटिकल परियोजनाओं (660 मेगावाट की 11 इकाइयों) के लिए बायलरों/और टर्बाइन जनरेटरों के निर्माण का कार्य सौंपने की प्रक्रिया जारी है। एनटीपीसी की 800 मेगावाट यूनिट के लिए एक और ऑर्डर की स्वीकृति दी गई है और इसके लिए फरवरी 2011 में निविदा आमंत्रण सूचना जारी कर दी गई। केंद्रीय और राज्य क्षेत्र की बिजली निर्माता कंपनियों को सलाह दी गई है कि वे अगले तीन वर्ष में सुपर क्रिटिकल परियोजनाओं के बॉयलर और टर्बाइन-जनरेटर के निर्माण के लिए आमंत्रित की जाने वाली बोलियों में निर्माण सुविधाओं के क्रमबद्ध रूप में स्वदेशीकरण की शर्त शामिल करें।

निजी क्षेत्र में 660 मेगावाट की पहली सुपर क्रिटिकल इकाई दिसम्बर 2010 में चालू की गई। सार्वजनिक क्षेत्र में इस तरह की पहली इकाई फरवरी 2011 में शुरू हुई।

ऊर्जा बचत ब्यूरो द्वारा ऊर्जा बचाने के लिए चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों के फलस्वरूप 2,670 मेगावाट बिजली की बचत हुई।

6.3.3 **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस**

विदेशों में तेल क्षेत्रों के अधिग्रहण तथा तेलशोधन क्षमता बढ़ाने के साथ घरेलू तेल और गैस भंडारों की त्वरित खोज के जरिए ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने पर बहुत बल दिया गया है।

घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन 2010-11 में 3 करोड़ 77 लाख मीट्रिक टन रहा जो पिछले वर्ष की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक है। गैस उपलब्धता 2008-09 में 105 एमएमएससीएमडी से बढ़कर 2010-11 में 169 एमएमएससीएमडी हो गई है। बिजली और उर्वरक जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में गैस के आवंटन से बिजली संयंत्र 6,200 मेगावाट अतिरिक्त बिजली पैदा कर सकेंगे तथा इससे उर्वरकों पर सालाना 30 अरब रुपये की सब्सिडी की बचत होगी।

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने सूडान, वियतनाम, वेनेजुएला, रूस, सीरिया, ब्राज़ील और कोलंबिया में अपनी परिसंपत्तियों से 2010-11 में 94 लाख टन तेल और तेल समकक्ष गैस (घरेलू तेल उत्पादन के 22 प्रतिशत के बराबर) का उत्पादन किया। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड मई 2010 में इंडियन ऑयल, ऑयल इंडिया लिमिटेड, स्पेन की रेस्पॉल तथा मलेशिया की पेट्रोनास के साथ मिल कर वेनेजुएला की काराबोबो परियोजना-1में शामिल होने का हक हासिल कर लिया है। इस परियोजना में अधिकतम उत्पादन का आकलन 4 लाख बैरल प्रतिदिन है तथा तेल उत्पादन 2013 में शुरू हो

नैफ्था क्रैकर इकाई, पानीपत

ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि - बठिंडा ऑयल रिफाइनरी

जाने की संभावना है। देश में 20 तेल शोधन कारखानों की कुल शोधन क्षमता 18 करोड़ 73 लाख 86 हजार मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। यह शोधन क्षमता न केवल घरेलू खपत के लिए पर्याप्त है बल्कि पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के लिए भी काफी है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की हल्दिया रिफाइनरी की नई हाईड्रो क्रैकर इकाई 25 दिसंबर, 2010 को राष्ट्र को समर्पित की गई। यह रिफायनरी यूरो 3/4 ऑटो ईंधन की मांग के अनुरूप पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन करेगी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पानीपत परिसर में सबसे बड़ी और अत्याधुनिक नैफ्था क्रैकर परियोजना 15 फरवरी, 2011 को राष्ट्र को समर्पित की गई।

ऑटो ईंधन नीति में निर्धारित रूपरेखा के अनुसार बीएस-4 पेट्रोल और डीजल को सभी 13 निर्धारित शहरों में एक ही दिन तथा बीएस-3 पेट्रोल और डीजल को देश के शेष भागों में एक अप्रैल और 22 सितंबर, 2010 के बीच जारी किया गया।

पिछले तीन वर्षों में तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है। इससे 2010-11 में भारत में कच्चे तेल का औसत मूल्य 85.09 प्रति बीबीएल डॉलर से बढ़कर मार्च 2011 में 113.09 प्रति बीबीएल डॉलर हो गया। तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तेजी के बावजूद डीजल, पीडीएस कैरोसिन और घरेलू एलपीजी की खुदरा कीमतें आम आदमी के हितों को ध्यान में रखते हुए 26 जून, 2010 के बाद नहीं बढ़ाई गईं।

एलएनजी आयात में वृद्धि से निपटने के लिए देश में अतिरिक्त बुनियादी ढांचा सृजित किया गया है। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल)

के दाहेज एलएनजी टर्मिनल का विस्तार किया गया है और इसकी क्षमता पांच एमएमटीपीए से बढ़ाकर दस एमएमटीपीए कर दी गई है। इसके अतिरिक्त 2012 में दाभोल एलएनजी टर्मिनल चालू हो जाने की संभावना है। पीएलएल केरल में कोच्चि में 5 एमएमटीपीए क्षमता वाले एलएनजी टर्मिनल की स्थापना कर रही है, जिसके 2013 तक चालू होने की संभावना है।

6.3.4 **परमाणु ऊर्जा**

सरकार परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की उच्चतम स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ स्थायी आर्थिक विकास के लिए परमाणु ऊर्जा क्षमता के उपयोग के लिए प्रतिबद्ध है। जापान के फुकुशिमा में हुए परमाणु हादसे को देखते हुए भारत में परमाणु बिजलीघरों की सभी सुरक्षा प्रणलियों की तकनीकी समीक्षा के आदेश दिए गए हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को एक मज़बूत, स्वायत्त और स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण बनाया जाएगा।

कर्नाटक में जनवरी 2011 में कैगा बिजलीघर की चौथी इकाई शुरू होने से अब देश में 20 रिएक्टर काम कर रहे हैं, जिनकी कुल स्थापित उत्पादन क्षमता चार हजार 780 मेगावॉट-ई है।

आंध्र प्रदेश, राजस्थान और मेघालय में लगभग 22 हजार पांच सौ टन के अतिरिक्त यूरेनियम संसाधनों का पता चला है। देश में अब यूरेनियम संसाधनों की मात्रा बढ़कर लगभग एक लाख 62 हजार टन हो गई है।

एक नया परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ईंधन पुनर्प्रसंस्करण संयंत्र (पीआरईएफआर-2) जनवरी 2011 में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र तारापुर में राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह संयत्र 220 मेगावॉट पीएचडब्ल्यूआर के स्पेंट फ्यूल को प्रोसेस करेगा।

कलपक्कम में सीसे के प्रकोष्ठों में उन्नत ईंधनों के लिए सघन पुनर्प्रसंस्करण संयंत्र में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से निकले प्रयुक्त ईंधन का पुनर्प्रसंस्करण किया गया और विखंडित सामग्री को दोबारा रिक्टर में भरा गया। इससे फास्ट रिएक्टर ईंधन चक्र सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

परमाणु क्षतिपूर्ति नागरिक दायित्व कानून, 2010 को सितंबर 2010 में पारित किया गया। इस कानून में परमाणु दुर्घटना पीड़ितों को तुरंत मुआवज़ा देने का प्रावधान किया गया है।

6.3.5 **नवीन एवं नवीकरणीय स्त्रोत**

मार्च 2011 के अंत तक देश में नवीकरणीय स्त्रोतों से बिजली तैयार करने की 19 हजार 974 मेगावाट की ग्रिड-इंटरएक्टिव उत्पादन क्षमता स्थापित की गई है जो बिजली उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता का लगभग 11 प्रतिशत है। 2010-11 में बिजली क्षमता में तीन हजार 157 मेगावाट से अधिक की वृद्वि हुई। यह किसी भी एक साल में नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से तैयार की जाने वाली बिजली की क्षमता में अब तक की सर्वाधिक वृद्धि है।

6.4 परिवहन संबंधी बुनियादी ढांचा

6.4.1 **सड़कें**

2010-11 में पांच हजार 60 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण की 50 परियोजनाओं को पूरा करने का कार्य हाथ में लिया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) के अंतर्गत

31 मार्च, 2011 तक करीब 15 हजार 450 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को पूरा किया गया।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के विकास की विशेष परियोजना के अंतर्गत चार हजार 942 किलोमीटर सड़कें बनाने के लिए 65 अरब 90 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसमें से 44 अरब 52 करोड़ रुपए की लागत से 3 हजार 179 किलोमीटर लम्बी सड़कें बनाने का कार्य शुरू हो गया है। अब तक 251 किलोमीटर लम्बी सड़कें बना ली गई हैं।

एक लेन/मध्यवर्ती लेन वाले सभी राजमार्गों को दो लेन के मानक राजमार्गों में परिवर्तित करने का कार्यक्रम बनाया गया है। 60 अरब रुपए की अनुमानित लागत की दो हजार दो सौ किलोमीटर लंबी सड़कों (51 परियोजनाओं) का काम हाथ में लिया गया है। मार्च, 2011 तक एक हजार 564 किलोमीटर लंबी सड़कों के लिए 42 अरब 58 करोड़ रुपए को मंज़ूरी दे दी गई है और मार्च, 2011 तक 30 अरब 39 करोड़ रुपये की लागत से एक हजार 125 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण का काम हाथ में लिया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना

रियायत संबंधी सभी समझौते अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और भ्रष्टाचार के किसी भी मामले के बारे में सूचना देने पर नकद पुरस्कार की भी शुरुआत की गई है ताकि लोग भ्रष्टाचार के मामलों की सूचना देने के लिए आगे आएं।

6.4.2 **नागरिक उड्डयन**

भारत ने 2010 में आयोजित आईसीएओ के अधिवेशन में भाग लिया और वह आईसीएओ की परिषद का सदस्य चुना गया।

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआई) के पहले चरण का काम पूरा होने के साथ जुलाई, 2010 में नया एकीकृत टर्मिनल-3 चालू हो गया है। इस टर्मिनल से हर वर्ष कुल तीन करोड़ 40 लाख लोग अंतरराष्ट्रीय और घरेलू यात्रा कर सकते हैं। इस उपलब्धि से देश में विकसित किए जा रहे विमानन संबंधी आधारभूत ढांचे को नई ऊंचाई मिल गई है। इससे भारतीय विमानन उद्योग में तेजी से विकास के अलावा भारत के हवाई अड्डों पर उत्कृष्ट सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। आईजीआई हवाई अड्डे को सालाना एक करोड़ 50 लाख से 2 करोड़ 50 लाख यात्रियों के वर्ग में विश्व के चार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में शामिल किया गया है।

चेन्नई और कोलकाता हवाई अड्डों में दो मेगा परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इन हवाई अड्डों का पूरी तरह आधुनिकीकरण और विकास किया जा रहा है।

अंडमान - निकोबार द्वीपसमूह में पोर्ट ब्लेयर और हेवलॉक तथा पूर्वी अंडमान के अन्य द्वीपों के बीच विमान संपर्क उपलब्ध कराने की

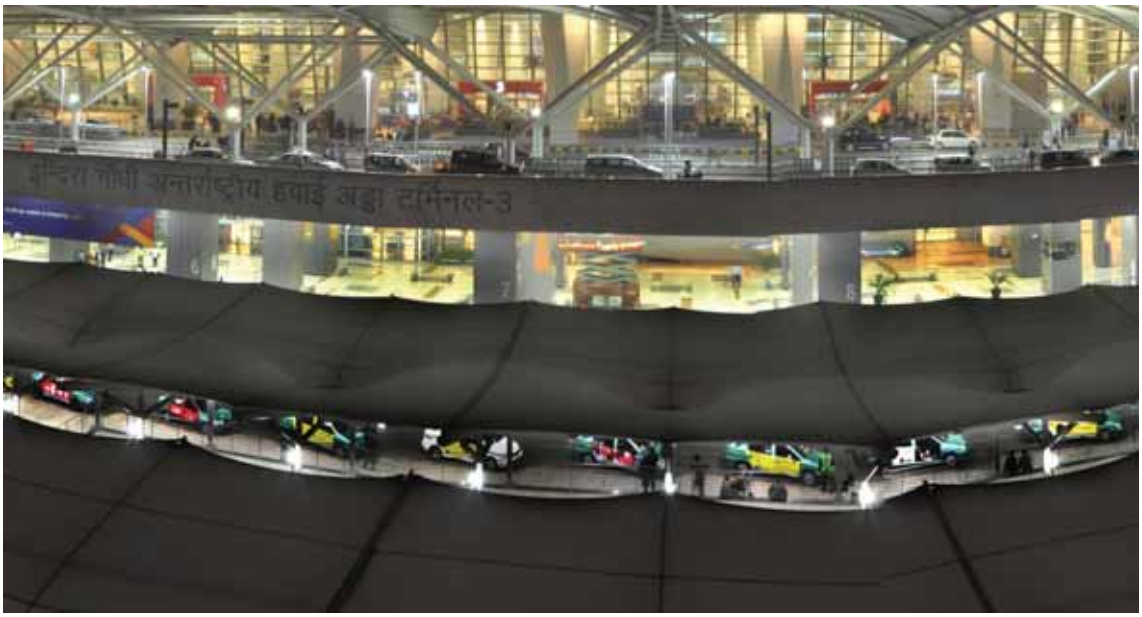

दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का टर्मिनल-3

प्रायोगिक परियोजना के रूप में पवन हंस ने समुद्री हवाई उड़ानें शुरू की हैं।

वैश्विक मंदी और विमान सेवाओं की बढ़ती लागत के फलस्वरूप एयर इंडिया मुश्किल दौर से गुज़र रही है। इसे 2010 और 2011 में 20 अरब रुपये की सहायता उपलब्ध कराई गई है। एयर इंडिया का कायाकल्प करने की योजना पर बराबर नजर रखी जा रही है।

6.4.3 **जहाजरानी**

2010-11 में भारतीय बंदरगाहों की क्षमता एक अरब टन प्रतिवर्ष से अधिक हो गई जो भारतीय बंदरगाह के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है। वल्लरपदम में भारत का पहला समर्पित अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल विकसित किया गया है। निर्माण-परिचालन-हस्तांतरण (बीओटी) आधार पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी के ज़रिए बनाए गए इस टर्मिनल को प्रधानमंत्री ने 11 फरवरी, 2011 को राष्ट्र को समर्पित किया। 2010 से 2020 के लिए मैरीटाइम एजेंडा' जारी किया गया है। यह एजेंडा अगले दशक के लिए देश की समुद्री बुनियादी ढांचे की ज़रूरतों के सृजन, निर्माण और रख-रखाव की भावी योजना है।

6.4.4 **रेलवे**

यात्रियों और माल भाड़े की रिकॉर्ड ढुलाई का सिलसिला 2010-11 में भी जारी रहा। पिछले वर्ष 258 किलोमीटर की तुलना में 709 किलोमीटर नई लाइनें बिछाई गई जो ढांचागत विकास के क्षेत्र में अब तक की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। 769 किलोमीटर रेल लाईन को डबल लाईन बनाया गया है और 837 किलोमीटर छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदला गया है। वर्ष के दौरान रेल डिब्बों और इंजन आदि के निर्माण में सभी

आईसीटीटी, वल्लरपदम में पहला रेल इंजन

पुराने रिकॉर्ड टूटे और 527 नए इंजन, तीन हजार 649 नए रेल डिब्बे और 16 हजार 638 नए माल डिब्बे बनाए गए। समर्पित माल भाड़ा गलियारे के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। कोलकाता में मेट्रो की चार नई लाइनों का निर्माण कार्य चल रहा है। इस वर्ष एक सौ से अधिक नई रेलगाड़ियां चलाई गईं। चार सौ स्टेशनों को आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। यात्री किराए में कोई वृद्धि नहीं की गई। इंटरनेट के माध्यम से टिकट आरक्षित कराने की समय अवधि बढ़ाई गई है और अब यह सुविधा दिन में 23 घंटे उपलब्ध है। प्रायोगिक आधार पर हावड़ा रेलवे स्टेशन पर वरिष्ठ नागरिकों और महिला यात्रियों की मदद के लिए सहायक और आधुनिक लगेज ट्रॉलियां उपलब्ध कराई गई हैं। कई मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में विकलांग लोगों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए रेल डब्बे लगाए गए हैं।

पर्यावरण संरक्षण

" हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे हरे-भरे वनों और पर्वतों, महान् नदियों और अन्य जल स्रोतों तथा स्वच्छ वायु ने हमें हजारों वर्षों तक जीवित रखा है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें।"

श्रीमती सोनिया गांधी

वन क्षेत्र में वृद्धि

7 पर्यावरण संरक्षण

7.1 जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना

प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन परिषद ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित सभी आठ राष्ट्रीय मिशनों पर विचार किया है। ये आठ मिशन हैं: जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, स्थायी पर्यावास,जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान तथा हिमालय के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत और स्थायी कृषि मिशन।

7.2 वन संरक्षण

क्षतिपूर्ति वनरोपण के अतिरिक्त प्राकृतिक वनों के संरक्षण और पुनर्रोपण तथा सुरक्षा के लिए राज्यस्तरीय क्षतिपूर्ति वनरोपण कोष प्रबंधन तथा नियोजन प्राधिकरणों को 2010-11 में 9 अरब 98 करोड़ 71 लाख रुपये की राशि दी गई।

7.3 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण बनाया गया है। यह पर्यावरण संबंधी किसी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन और व्यक्तियों एवं संपदा को नुकसान से राहत पहुंचाने और क्षतिपूर्ति करने सहित वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित मामलों को प्रभावी ढंग से और शीघ्र निपटाने का कार्य करेगा।

7.4 गंगा सफाई मिशन

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के अंतर्गत अब तक लगभग 25 अरब रुपए की परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है। यह राशि सीवर नेटवर्क, मल-जल शोधन संयंत्र और सीवेज पंपिंग स्टेशन, विद्युत शवदाह गृह, सामुदायिक शौचालयों के निर्माण और नदियों के मुहानों के विकास पर खर्च की जाएगी।

7.5 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन

800 मेगावाट की सकल क्षमता वाली सौर ग्रिड बिजली परियोजनाओं पर काम चल रहा है और 32 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में 40 मेगावाट की ऑफ ग्रिड सौर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इस वर्ष अनुसंधान और विकास की 15 नई परियोजनाओं तथा आईआईटी मुंबई सहित शोध और शिक्षा में उत्कृष्टता के चार केन्द्रों को मंजूरी दी गई।

7.6 पर्यावरण अनुकूल भवनों को प्रोत्साहन

यह फैसला किया गया है कि केन्द्र सरकार/ सार्वजनिक उपक्रमों के सभी नए भवनों को गृह-3 स्टार की शर्तों के अनुरूप बनाया जाएगा। अब तक करीब 50 लाख वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र वाली 117 परियोजनाओं को गृह रेटिंग प्रमाण पत्र के लिए पंजीकृत किया गया है जिनमें केन्द्र सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की इमारतें शामिल हैं।

पर्यावरण अनुकूल भवन- केन्द्रीय जांच ब्यूरो का नया कार्यालय, नई दिल्ली

नए क्षितिज

" किसी देश की वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक क्षमता का उसके विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है..... 21वीं शताब्दी में नवप्रवर्तन और ज्ञान हमारे देश की प्रगति के प्रमुख पहलू होंगे। इसलिए हमें ऐसा वातावरण बनाना होगा जिसमें वैज्ञानिक प्रगति को बढ़ावा मिले और हम बौद्धिक संपदा के निर्माण में विश्व का नेतृत्व कर सकें।"

डॉ. मनमोहन सिंह

पीएसएलवी सी-15 का प्रक्षेपण

8. नए क्षितिज

8.1 विज्ञान और प्रौद्योगिकी

8.1.1 विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा तथा नवप्रवर्तन बुनियादी ढांचा

राज्यों में सफल प्रौद्योगिकियां अपनाने को बढ़ावा देने के लिए राज्य-केन्द्र प्रौद्योगिकी भागीदारी प्रयास शुरू किया गया है।

व्यावहारिक स्तर पर नवप्रवर्तन प्रणाली को प्रोत्साहन देने और अनुसंधान एवं विकास के विस्तार के लिए अहमदाबाद में राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान को स्वायत संस्थान में बदला गया है। गुवाहाटी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान को स्वायत संस्थान बना दिया गया है।

भारत फैसिलिटी फॉर एंटी-प्रोटॉन एंड आयन रिसर्च (एफएआईआर) की स्थापना में महत्वपूर्ण भागीदार की भूमिका निभा रहा है। इस केन्द्र से नई विधियां विकसित करने की तकनीकी क्षमता बढ़ाने और वैश्विक अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।

हैदराबाद विश्वविद्यालय के परिसर में राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी गई है। विश्वविद्यालयों में शिक्षा और अनुसंधान के लिए अंतर विषय जीवन विज्ञान विभागों को प्रोत्साहन देने के लिए 'बिल्डर' नाम की योजना शुरू की गई। भारतीय जैव प्रौद्योगिकी नियामक प्राधिकरण विधेयक, 2011 को संसद में पेश करने की मंजूरी दी गई है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान और चिकित्सा संस्थानों के सहयोग से भारत में जैव चिकित्सा प्रौद्योगिकी नवाचार में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय बायो डिजाईन कार्यक्रम शुरू किया गया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निर्देश देने और डिग्रियां प्रदान करने के संस्थान के रूप में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने वैज्ञानिक एवं नवप्रवर्तन शोध अकादमी की स्थापना की है। इस अकादमी में एमटेक और पीएचडी के लिए विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है।

भू-विज्ञान के क्षेत्र में मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए पुणे में प्रशिक्षण और शोध के लिए उन्नत प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना की गई है।

8.1.2 जनता के लिए विज्ञान के लाभ

आयुरजीनोमिक्स

आयुरजीनोमिक्स आयुर्वेद की निवारक एवं विशिष्ट औषधियों में अनुसंधान के लिए आयुर्वेद और जीनोमिक्स का संयुक्त रूप है। सीएसआईआर के एक अध्ययन में वैज्ञानिकों को ऊंचे स्थानों पर अनुकूलन तथा हाईपोक्सिया संबंधित जीन और जेनेटिक मार्कर का पता चला है। यह जानकारी आयुर्वेद में परिभाषित अत्यधिक गहन संघठकों के जेनेटिक विश्लेषण के जरिए सामने आई है।

कार्बन फाईबर प्रौद्योगिकी

कार्बन फाइबर उन्नत मिश्रित पदार्थों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है। सीएसआईआर-राष्ट्रीय ऐरोस्पेस प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित कार्बन फाईबर प्रौद्योगिकी को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए एक कंपनी को दिया गया।

पोटाश का सल्फेट

बिटर्न से पोटाश का सल्फेट प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय लवण एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी एक लाख टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले व्यवसायिक संयंत्र को हस्तांतरित की गई है।

फसल कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी केन्द्र

सीएसआईआर ने मिजोरम (आइजॉल) और अरुणाचल प्रदेश (पासीघाट) में फसल कटाई के कामों की जानकारी देने के लिए पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नॉलोजी सेंटर खोले हैं। पूर्वोत्तर के 10 हजार से अधिक किसान अपने उत्पाद 20 से 25 प्रतिशत ज्यादा कीमत पर इन प्रसंस्करण केन्द्रों को बेच सकेंगे।

चिकित्सा तकनीक

राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान के वैज्ञानिकों के एक दल ने एक ऐसी तकनीक विकसित की जिससे मधुमेह रोगियों को चार से पांच महीनों में सिर्फ एक बार इन्सुलिन का एक शॉट लेना काफी होगा।

ईसीजी संकेतों के प्रदर्शन के रूप में नियमित निगरानी और आपातकाल में इस्तेमाल के लिए मोबाईल फोन के साथ मोबाईल इको कार्डियोग्राम का विकास किया गया है।

बुखार के पहले ही दिन डेंगू का पता लगाने के लिए माइक्रोप्लेट एलीसा जांच प्रणाली के साथ डेंगू डायग्नोस्टिक स्क्रीनिंग किट का विकास किया गया है। डेंगू का पता लगाने की मौजूदा किट की तुलना में इसे किफायती दरों पर उपलब्ध कराया गया है।

दक्षिणी ध्रुव अभियान

दक्षिणी ध्रुव के लिए पहला वैज्ञानिक अभियान नवंबर 2010 में सफलतापूर्वक पूरा हो गया। वैज्ञानिकों के इस दल ने दक्षिणी ध्रुव तक लगभग 2 हजार 240 किलोमीटर की दूरी तय की।

दक्षिणी ध्रुव के लिए पहला वैज्ञानिक अभियान

समुद्र के पानी को पेयजल में बदलने की प्रौद्योगिकी

चुनिंदा तटीय क्षेत्रों और तटीय बिजली घरों में समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए पूरी तरह स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित, प्रदर्शित और चालू की गई। मिनिकोय में मार्च 2011 में एक लाख लीटर क्षमता का एक और संयंत्र स्थापित किया गया है।

परियोजनाएं शुरू करने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया।

प्रारंभिक कार्यक्रम "विचारों की शक्ति" के लिए 6,000 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 850 आवेदकों को 400 से अधिक अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मार्ग दर्शन और 150 को व्यापक प्रशिक्षण दिया गया। 45 लोगों को अनुदान दिया गया और

समुद्री पानी से पेयजल बनाने का संयंत्र, मिनिकॉय, लक्षद्वीप

द्वीप विकास कार्यक्रम

लक्षद्वीप के अगत्ती में सजावटी मछलियों के प्रजनन और पालन के लिए सभी सुविधाओं से संपन्न यूनिट की स्थापना की गई है।

8.1.3 **अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता**

लघु व्यापार नवप्रवर्तन अनुसंधान प्रयास और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग सहभागिता कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक निजी भागीदारी की 100

70 व्यक्तियों को संस्थागत निवेशकों तथा उद्यम पूंजी कोषों के साथ संबद्ध किया गया है।

8.2 अंतरिक्ष कार्यक्रम

वर्ष के दौरान कई महत्वपूर्ण मिशन पूरे किए गए। इनमें जुलाई 2010 में पी.एस.एल.वी-सी 15 के प्रक्षेपण से कार्टोसैट-2बी, स्टुडस्टैट और ऑलसैट-2 ए तथा अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए दो नैनो उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए।

ब्रिटेन की कंपनी अवंति कम्यूनिकेशन लिमिटेड के लिए ईएडीएस/आसट्रियम के साथ व्यवासायिक समझौते के अंतर्गत इसरो/एंट्रीक्स ने उच्च कोटि का उपग्रह एचवाईएलएएस विकसित किया और इसे नवम्बर 2010 में प्रक्षेपण यान एरियान से अंतरिक्ष में भेजा।

8.3 सूचना एवं प्रसारण

प्रसारण क्षेत्र का डिजिटलीकरण महत्वपूर्ण कार्य है और 2017 तक नेटवर्क और सेवाओं के डिजीटलकरण के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। इससे दूर-दराज के स्थानों के लिए ज्यादा चैनलों के उच्च गुणवत्ता युक्त प्रसारण को सुगम बनाया जा सकेगा।

देश के सभी लोगों, यहां तक कि दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक उच्च गुणवत्ता युक्त डिजिटल टेलीविजन कार्यक्रम पहुंचाने के लिए दूरदर्शन को सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि वह अपनी निःशुल्क डीटीएच सेवाओं का विस्तार कर सके। भारतीय जन संचार संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संस्थान बनाने के लिए 62 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

8.4 पर्यटन

आगमन पर वीजा योजना, जो शुरू में पांच देशों के लिए लागू की गई थी, जनवरी 2011 से कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यामां, फिलीपीन्स और वियतनाम के लिए भी लागू कर दी गई है।

कम-से-कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण युवाओं को रोजगार योग्य दक्षता उपलब्ध कराने के लिए 'हुनर से रोजगार' योजना के तहत प्रयास इस साल भी जारी रहे। इस योजना के अंतर्गत 31 मार्च, 2011 तक 6,981 युवकों को प्रशिक्षित किया गया।

प्रमुख हितधारक एसोसिएशनों तथा पर्यटन और होटल व्यवसाय के प्रमुख लोगों के सहयोग से सुरक्षित और सम्मानजनक पर्यटन के लिए आचार संहिता बनाई गई है। सेवा प्रदाताओं की अनुमति और होटलों के वर्गीकरण के लिए दिशानिर्देशों में इस आचार संहिता को समाहित किया जा रहा है।

8.5 संस्कृति

गुरुदेव रबींद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय समितियां गठित की गई हैं। टैगोर की जयंती की एक प्रमुख विशेषता बांग्लादेश के साथ संयुक्त समारोह का आयोजन है। पंडित मदन मोहन मालवीय की 150वीं जयंती मनाने के लिए भी एक राष्ट्रीय समिति बनाई गई है।

एक नई टैगोर शोध फैलोशिप योजना शुरू की गई है जिसका उद्देश्य विद्वानों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों को मंत्रालय के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थानों में दो वर्ष तक काम करने का मौका देना है। इसके लिए 13 राष्ट्रीय टैगोर अध्येताओं का चयन किया गया है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने 12 मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में लगभग 5 लाख लोगों ने हिस्सा लिया जो अब तक का रिकॉर्ड है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा दी जाने वाली फैलोशिप की संख्या 30 से बढ़ाकर 40 और इसकी राशि एक लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है। यूनेस्को ने भारत की तीन और परंपराओं को विश्व की श्रेष्ठ सांस्कृतिक धरोहर के शानदार उदाहरणों के रूप में मान्यता दी है। ये हैं: केरल की पवित्र नृत्य शैली "मुदियट्टु" राजस्थान की लोक गान एंव नृत्य शैली "कालबेलिया" और पूर्वी भारत का लोक नृत्य "छऊ"। अरूणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले

में दाहुंग में हिमालय सांस्कृतिक अध्ययन के लिए नया केंद्रीय संस्थान बनाने की स्वीकृति दी गई है।

8.6 राष्ट्रमंडल खेल

दिल्ली में 3 से 14 अक्तूबर, 2010 के दौरान राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए। इसमें 17 खेल प्रतिस्पर्द्धाएं हुई। इसमें राष्ट्रमंडल के 71 देशों और क्षेत्रों के 7,572 खिलाड़ी/अधिकारी शामिल हुए। खेलों के उद्घाटन एवं समापन समारोह जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुए, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई।

राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए अब तक के सबसे अधिक 101 पदक जीते। महिला खिलाड़ियों ने विशेष रूप से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया।

2010 में चीन के ग्वांगचाऊ में एशियाई खेलों में भी भारत के खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से देश का गौरव और बढ़ाया। वहां भारत ने 36 खेल प्रतिस्पर्द्धाओं में भाग लिया और 14 स्वर्ण पदक सहित अब तक के सबसे अधिक कुल 64 पदक जीतकर नया इतिहास रचा।

8.7 युवाओं की राष्ट्र निर्माण में भागीदारी

राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी) योजना शुरू की गई है । इस योजना के अंतर्गत अब तक 17 हजार 6 सौ स्वयंसेवक चुने, प्रशिक्षित और तैनात किए गए हैं जिनमें से 7 हजार 98 युवा जम्मू-कश्मीर के हैं।

8.8 प्रगति के पथ पर भारतीय डाक

देश के सभी एक लाख 55 हजार डाकघरों के कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्किंग, डाक बैंकिंग, डाक जीवन बीमा, वित्तीय सेवाओं और मानव संसाधन गतिविधियो के लिए महत्वाकांक्षी आईटी आधुनिकीकरण परियोजना शुरू की गई है। इससे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कानून, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और छात्रवृत्ति योजनाओं जैसी आर्थिक सुरक्षा योजनाओं को

19वें राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन समारोह

DELHI 2010
458

राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्णपदक विजेता भारतीय महिला खिलाड़ी

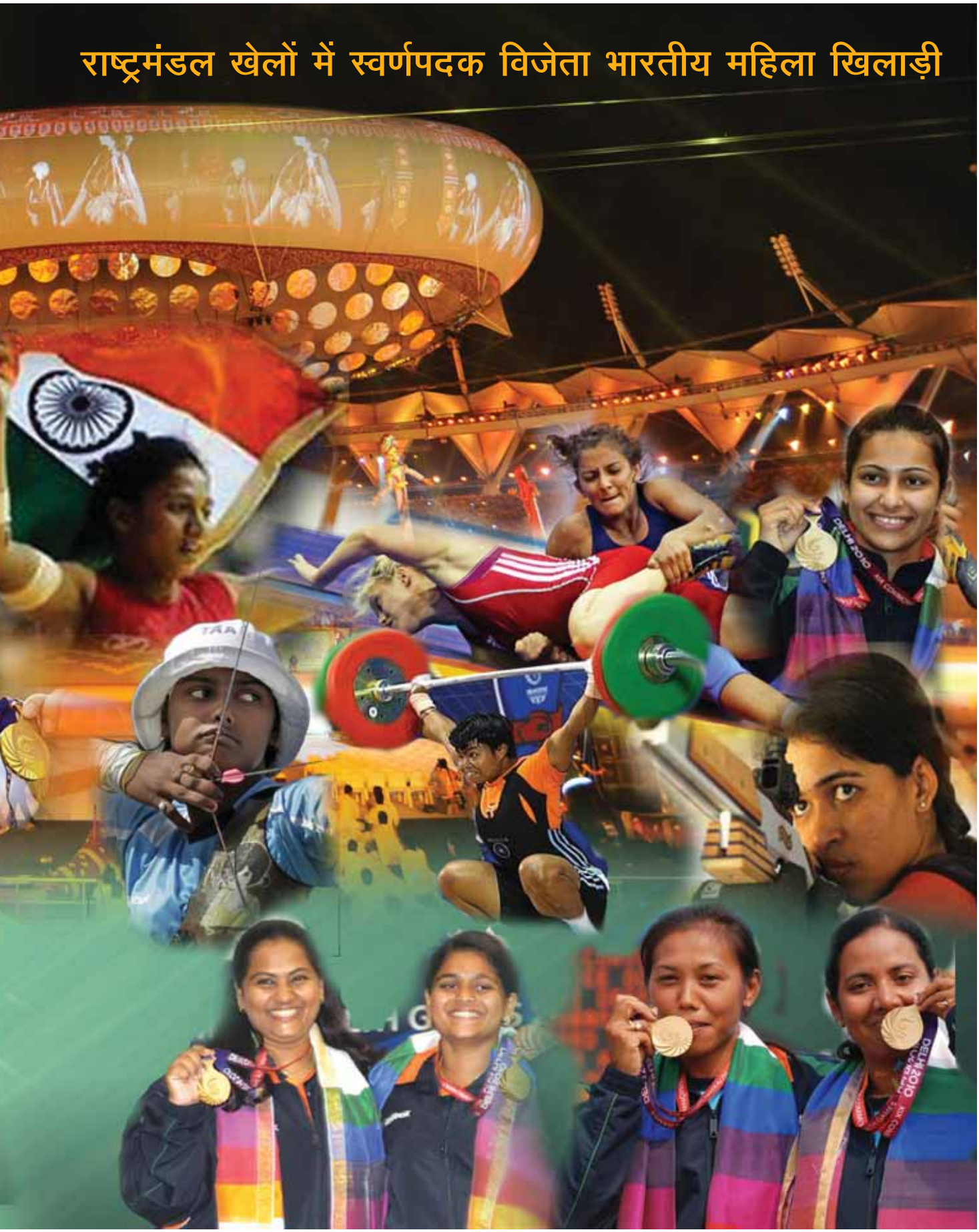

भारतीय डाक-ग्रामीण भारत को ज्यादा शक्ति, बेहतर संपर्क, चेरापूंजी

प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी। ग्रामीण सूक्ष्म बीमा पॉलिसी का लक्ष्य ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों के ऐसे लोगों तक पहुंचना है जिसकी पहुंच बैंकों और बीमा सुविधा तक नहीं है। पिछले वर्ष इस योजना के अंतर्गत अच्छी प्रगति हुई। 2010-11 में ग्रामीण डाक जीवन बीमा के तहत ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों के 45 लाख से अधिक लोगों को बीमा पॉलिसियां दी जा चुकी हैं।

आपदाओं से निपटना

" मैं सेना, वायु सेना, सीमा सड़क संगठन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल के कर्मचारियों को उनकी वीरता, अथक प्रयासों और संकट में फंसे अपने देशवासियों के प्रति गहरी संवेदना के लिए बधाई देता हूं। "

डॉ. मनमोहन सिंह

प्रधानमंत्री लेह में बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलते हुए

9 आपदाओं से निपटना

9.1 आपदा संबंधी दिशा-निर्देश तथा आपदा समस्याओं के प्रति जागरूकता

2010-11 में राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण ने घटना अनुक्रिया प्रणाली, पीओएल टैंकरों के परिवहन के लिए सुरक्षा और संरक्षा को सुदृढ़ बनाने, नगरपालिका जल आपूर्ति एवं जलाशयों संबंधी खतरों से निपटने की योजना, आपदा प्रबंधन में स्वयं सेवी संगठनों की भूमिका, सूखे का प्रबंध, शहरी बाढ़ का प्रबंध, आपदाओं के बाद मृतकों को संभालने और राहत के न्यूनतम मानक तय करने के बारे में विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किए।

9.2 राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल

2010-11 में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल को राहत एवं बचाव कार्य के लिए तैनात किया गया जिससे 22 हजार से अधिक लोगों को बचाया जा सका। जापान सरकार के अनुरोध पर राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल का एक विशेषज्ञ दल हाल ही में जापान में भीषण भूकंप, सुनामी और परमाणु विकिरण संकट के बाद रिफु-चो क्षेत्रों में खोज और बचाव के लिए गया।

9.3 बाढ़ राहत

2010-11 में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य आपदा अनुक्रिया कोष से केंद्रीय हिस्से के रूप में राज्यों को 43 अरब 37 करोड़ 63 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई। इसके अतिरिक्त 2010-11 में गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत राहत कार्य चलाने के लिए राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से विभिन्न राज्यों को 41 अरब 79 करोड़ 25 लाख रुपये की सहायता दी गई।

9.4 प्रशमन परियोजनाएं

आंध्र प्रदेश और ओड़िशा के लिए राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना की केंद्र प्रायोजित योजना का पहला चरण शुरू किया गया है। 14 अरब 96 करोड़ 71 लाख रुपये की इस परियोजना से तटीय इलाकों के लोगों को चक्रवात से निपटने में मदद मिल सकेगी। इस परियोजना से ओड़िशा में 5 लाख 60 हजार और आंध्र प्रदेश में 5 लाख 50 हजार से अधिक लोगों को लाभ होने की संभावना है।

दिसंबर 2010 में भारत और रूस ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

9.5 लेह और करगिल में बाढ़ सहायता

लेह और करगिल में 17 अगस्त, 2010 को भारी बारिश होने और अचानक बाढ़ आ जाने के बाद प्रधानमंत्री ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। तात्कालिक राहत के लिए अनुदान राशि मंजूर करने के अलावा उन्होंने एक अरब 25 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की भी घोषणा की, जिसके लिए धन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से लिया गया। पैकेज में शामिल परियोजनाओं में पेयजल आपूर्ति की बहाली, बिजली आपूर्ति व्यवस्था का नवीकरण, अस्पताल की मरम्मत और घरों के पुनर्निर्माण के लिए सहायता शामिल थी। प्रधानमंत्री ने यह व्यवस्था करने का निर्देश दिया कि सर्दी शुरु होने से पहले सभी परिवारों के लिए मकान तैयार हो जाए। यह लक्ष्य पूरा कर लिया गया।

लेह में बाढ़-राहत एवं बचाव कार्य

विशिष्ट विकास ज़रूरतों पर ध्यान

"मैं जम्मू-कश्मीर के लोगों से शांति कायम करने में मदद देने का अनुरोध करता हूं। राज्य और उसकी संस्थाओं के पुनर्निर्माण के लिए बहुत कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। हमें आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में काम करना होगा। हमें भौतिक और मानव संसाधनों का बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा। "

डॉ. मनमोहन सिंह

जम्मू-कश्मीर में किश्तवाड़ में मनरेगा के अंतर्गत बुनियादी ढांचे का विकास

10. विशिष्ट विकास ज़रूरतों पर ध्यानः पूर्वोत्तर तथा जम्मू-कश्मीर

10.1 पूर्वोत्तर

10.1.1 शांति व्यवस्था

2010 में हिंसा एवं आम जनता और सुरक्षा बलों की मृत्यु के मामले में कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा स्थिति में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हुआ।

असम और मेघालय के कुछ उग्रवादी गुटों से बातचीत करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रतिनिधि नियुक्त किए। इस बीच नगा शंति वार्ता जारी है।

10.1.2 पूर्वोत्तर क्षेत्र में ढांचागत विकास

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 2010-11 में करीब 1,615 किलोमीटर लम्बी सड़कें बनाने के लिए 91 अरब 60 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई है। मार्च 2011 तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 10 अरब 67 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं और करीब 146 किलोमीटर लम्बी सड़कें बनाई गई हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी

क्षेत्र में विमान सेवाओं में वृद्धि हुई है। 2010 में ग्रीष्मकाल में जहां 286 उड़ानें थीं वहीं इनकी संख्या 2011 में बढ़कर 370 हो गई है।

2010-11 में तेज़ू हवाई अड्डे के उन्नयन की परियोजना के अंतर्गत पहली किश्त के रूप में 11करोड़ 61लाख रुपये जारी किए गए।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विमान सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एलायंस एयर को 47 करोड़ 7 लाख रुपये देने की योजना को मंजूरी दी गई।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 2010-11 में 15 मार्च, 2011 तक 6,971 गांवों का विद्युतीकरण किया गया, 11,183

जनजातीय समाज की विशेष ज़रूरतें पूरी करना, मिजोरम

गांवों का गहन विद्युतीकरण किया गया और गरीबी रेखा से नीचे के 7 लाख 3 हजार परिवारों को बिजली के कनेक्शन दिए गए।

अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगते सभी गांवों में विद्युतीकरण/प्रकाश व्यवस्था की प्रधानमंत्री पैकेज परियोजना 2009 में शुरू हुई। अब तक इसके अंतर्गत सौर बिजली और सूक्ष्म पन बिजली संयंत्रों के माध्यम से 726 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

10.1.3 **विशेष जरूरतें पूरी करना**

वर्ष के दौरान नॉन लेप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सिस के तहत 15 अरब 26 करोड़ 29 लाख रुपये की अनुमानित लागत की 151 ढांचागत परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। कुछ प्रमुख परियोजनाओं में असम में आई नदी पर आरसीसी पुल का निर्माण, मेघालय में ऊपरी शिलंग जल आपूर्ति योजना, मिजोरम में लेंगपुई हवाई अड्डे का उन्नयन और त्रिपुरा में ट्रांसमिशन परियोजना का पहला चरण शामिल है। इस वर्ष 2 अरब 37 करोड़ 60 लाख रुपये की 25 परियोजनाएं पूरी की गईं और विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत 8 अरब 5 करोड़ 77 लाख रुपये जारी किए गए।

पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम ने वर्ष के दौरान 4 अरब 21 करोड़ 24 लाख रुपये की राशि के नए ऋण मंजूर किए। कुल 2 अरब 81 करोड़ 33 लाख रुपये वितरित किए गए।

10.1.4 **असम गैस क्रैकर परियोजना**

असम गैस क्रैकर परियोजना असम में डिब्रूगढ़ के लेपेतकाता में ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड नाम के संयुक्त उद्यम निगम के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना पर 31 मार्च, 2011 तक 21 अरब 67 करोड़ 46 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

10.1.5 **युवाओं को सशक्त बनाना**

विभिन्न क्षमता निर्माण योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण के फलस्वरूप 1,497 बेरोज़गार युवकों को रोज़गार दिया गया।

10.2 **जम्मू-कश्मीर**

10.2.1 **शांति स्थापना**

कश्मीर में आतंकवादी हिंसा की घटनाओं की दृष्टि से स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। 2010 की गर्मियों में प्रदर्शन एवं विरोध आंदोलनों के रूप में घाटी में अभूतपूर्व हिंसा हुई। सितंबर 2010 में सर्व दलीय शिष्टमंडल के घाटी के दौरे के बाद पथराव और हिंसक घटनाओं में बहुत जल्दी कमी हुई। राज्य में सामान्य स्थिति कायम करने के लिए आठ सूत्री योजना मंजूर की गई है।

प्रधानमंत्री ने 17 और 18 नवंबर, 2004 के दौरान राज्य के दौरे पर जम्मू-कश्मीर के पुनर्निर्माण के लिए लगभग 2 खरब 79 अरब 2 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी। इसके तहत बिजली, सड़कों और स्वास्थ्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में चलाई जा रहीं 67 परियोजनाओं/योजनाओं में से 31 पूरी हो गई हैं और बाकी पर काम चल रहा है।

विस्थापितों एवं उग्रवाद प्रभावित लोगों को राहत एवं पुनर्वास

प्रधानमंत्री ने कश्मीरी विस्थापितों की वापसी और पुनर्वास के लिए 16 अरब 18 करोड़ 40 लाख रुपये के पैकेज की घोषणा की है। इसके तहत 495 आवास इकाइयों में से 220 बना ली गई हैं। रोज़गार की दृष्टि से कश्मीरी विस्थापित युवकों को नौकरी देने के लिए 3 हजार पूरक पद सृजित किए गए हैं जिनमें से 1,916 पदों के लिए चयन पूरा हो गया है। लगभग 1,800 उम्मीदवारों की नियुक्ति के आदेश दे दिए गए हैं जिनमें से

जम्मू-कश्मीर, श्रीनगर में सर्वदलीय बैठक

1,179 उम्मीदवारों ने घाटी में नौकरी शुरू कर दी है।

सरकार ने कश्मीरी विस्थापितों के लिए जम्मू में 3 अरब 85 करोड़ रुपये की लागत से दो कमरों वाले 5,242 फ्लैटों के निर्माण की मंजूरी दी है। नगरोता, पुरखु और मुठी में 1024 फ्लैटों का निर्माण पूरा हो गया है और इन्हें एलॉट कर दिया गया है। 2,112 फ्लैट बन चुके हैं और उनका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने 4 मार्च, 2011 को किया।

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों/सेना की कार्रवाई में स्थायी/अस्थायी संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सहायता की नई योजना की घोषणा की है जो 3 जून, 2010 से लागू हो गई।

मध्यस्थों की नियुक्ति

जम्मू-कश्मीर में समाज के सभी वर्गों के लोगों से सतत संवाद के लिए 2010 में तीन मध्यस्थ नियुक्त किए गए। इन वार्ताकारों ने मार्च 2011 तक राज्य की छह बार यात्रा की। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने अनेक लोगों और समूहों से बात की।

जम्मू एवं लद्दाख की विकास ज़रूरतों का पता लगाने के लिए विशेष कार्य बल की नियुक्ति

जम्मू एवं लद्दाख क्षेत्रों की विकास ज़रूरतों का पता लगाने के लिए दो विशेष कार्य बल गठित किए गए । इन कार्य बलों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

10.2.2 बिजली

चिनाब थाले में पाकल दुल (1000 मेगावाट), क्वार (520 मेगावाट) और किरू (600 मेगावाट) परियोजनाओं से कुल 2,120 मेगावाट बिजली के उत्पादन लिए राष्ट्रीय पन बिजली निगम, जम्मू-कश्मीर राज्य बिजली विकास निगम तथा पीटीसी के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तीन परियोजनाओं: नीमू बाजगो (45 मेगावाट,)

चूटक (44 मेगावाट) और उड़ी-2 (240 मेगावाट) के भी शीघ्र चालू होने की संभावना है।

जम्मू-कश्मीर को ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत फोकस राज्य के रूप में चुना गया है। 2010-11 में 15 मार्च 2011 तक 114 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है, 1,692 विद्युतीकृत गांवों का गहन विद्युतीकरण तथा गरीबी रेखा से नीचे के 28,868 परिवारों को मुफ्त कनेक्शन उपलबध कराए गए हैं।

10.2.3 **जम्मू-कश्मीर में दूरदर्शन/आकाशवाणी को सशक्त बनाने के प्रयास**

डीडी कशीर चैनल ने अपने नए रूप में 12 सितंबर, 2010 से काम करना शुरू कर दिया। यह चैनल अब राज्य के सभी क्षेत्रों का चित्रण करने वाले कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में फिल्म और टीवी कवरेज बढ़ाने के लिए एक अरब रुपये की लागत से विशेष योजना चलाई गई है।

10.2.4 रोजगार के बारे में कार्यदल

डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता वाले कार्यदल की रिपोर्ट पर तेजी से अमल किया जा रहा है। जम्मू-कश्मीर के लिए कौशल वृद्धि और रोजगार योजना, विशेष उद्योग कार्यक्रम और विशेष छात्रवृत्ति योजना जैसे अनेक नये कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं। इन कार्यक्रमों पर लगभग 20 अरब रुपये खर्च होंगे और अगले तीन से पांच वर्ष में जम्मू-कश्मीर के एक लाख 50 हजार से अधिक युवाओं को लाभ होगा।

सुरक्षा

"राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रबुद्ध नीति बहुत से परस्पर संबंधित पहलुओं और उन चिंताओं के समग्र मूल्यांकन पर आधारित होनी चाहिए जो सम्पूर्ण राष्ट्र की भलाई से जुड़ी हों।"

डॉ. मनमोहन सिंह

पृथ्वी मिसाइल का परीक्षण

11. सुरक्षा

11.1 आंतरिक सुरक्षा प्रयास

देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति मोटे तौर पर नियंत्रण में बनी रही। दिल्ली में विदेशी पर्यटकों पर हमले और वाराणसी में कम क्षमता के बम विस्फोट को छोड़कर 2010-11 में कोई बड़ी आतंकी घटना नहीं हुई।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन

राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत बनाई गई राष्ट्रीय जांच एजेंसी अब पूरी तरह से काम करने लगी है। इस एजेंसी का मुख्यालय दिल्ली में तथा शाखा कार्यालय साइबराबाद एवं गुवाहाटी में हैं। एजेंसी को 23 मामले सौंपे गए हैं, जिनमें से 15 मामलों में आरोप-पत्र दाखिल किए जा चुके हैं।

आतंकवाद का सामना

गृह मंत्रालय के अंतर्गत अप्रैल 2010 में राष्ट्रीय इंटेलीजेंस ग्रिड बनाई गई । यह ग्रिड आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए ऐसी जानकारी जुटाने के लिए डाटाबेसों को जोड़ेगी जिसके आधार पर ठोस कार्रवाई की जा सके।

अपराध और अपराधी खोजी तंत्र और प्रणाली

हर स्तर और विशेष रूप से पुलिस थानों के स्तर पर पुलिस की कार्यप्रणाली को ज्यादा दक्ष और प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से व्यापक एवं समेकित प्रणाली तैयार करने के लिए अपराध एवं अपराधी खोजी तंत्र और प्रणाली स्थापित करने की परियोजना लागू की जा रही है। इसके अंतर्गत ई-प्रशासन के सिद्धांत अपनाने और अपराध की जांच एवं अपराधियों का पता लगाने की सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम अत्याधुनिक ट्रैकिंग प्रणाली तैयार करने के लिए राष्ट्रव्यापी बुनियादी ढांचा विकसित किया जा रहा है।

वामपंथी उग्रवाद से निपटना

सरकार ने सुरक्षा, विकास और सार्वजनिक परिप्रेक्ष्य में वामपंथी उग्रवाद से निपटने का समेकित दृष्टिकोण अपनाया है। राज्य सरकारें राज्यों में वामपंथी उग्रवाद संबंधी विविध मसलों से निपट रही हैं। केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिए उनके प्रयासों में सहयोग करती है।

वामपंथी उग्रवाद की बढ़ती समस्या को हल करने के लिए 2010-11 में अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओड़िशा में एक-एक संयुक्त कमान बनाना, 400 पुलिस थानों का निर्माण, सुधार के काम में राज्य सरकारों की सहायता के लिए नई योजना शुरू करना शामिल हैं।

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 48 जिलों सहित चुने हुए जनजातीय और पिछड़े 60 जिलों के लिए समेकित कार्य योजना 25 नवंबर, 2010 को मंजूर की गई है। इसके लिए 2 वर्षों के लिए 33 अरब रूपये मंजूर किए गए।

राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण

राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के लिए 2010-11 में 12 अरब 25 करोड़ रूपये जारी किए गए। यह राज्य पुलिस बलों की क्षमता निर्माण करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है।

केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों का आधुनिकीकरण

आधुनिकीकरण योजना के तहत सात केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों को 2010-11 में 3 अरब 62 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई।

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड केन्द्रों की स्थापना

चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के केन्द्र काम करने लगे हैं। हैदराबाद एवं कोलकाता के केन्द्रों की स्थायी इमारतों का निर्माण पूरा हो चुका है।

तटीय सुरक्षा को मजबूत करना

तटीय सुरक्षा योजना के पहले चरण के अंतर्गत 73 में से 71 पुलिस थाने और 97 जांच चौकियों में से 92 ने काम करना शुरू कर दिया है। शिपयार्डों ने 204 में से 196 नौकाएं तटीय राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों को सौंप दी हैं।

11.2 सीमा सुरक्षा

11.2.1 सीमा पर बुनियादी ढांचा

2010-11 में भारत-बांग्लादेश सीमा पर 156 किलोमीटर सीमा पर बाड़ लगाई गई, 169 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण किया गया और 400 किलोमीटर सीमा पर फ्लडलाइट लगाई गई। भारत-बांग्लादेश और भारत-पाकिस्तान सीमा पर 76 सीमा चौकियों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। गुजरात क्षेत्र में भारत-पाकिस्तान सीमा पर 20 किलोमीटर सीमा पर बाड़ लगाने और 25 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण पूरा किया गया। भारत-चीन सीमा पर लगभग 199 किलोमीटर क्षेत्र में बुनियादी कार्य और लगभग 21 किलोमीटर क्षेत्र में रणनीतिक सड़कों का कार्य पूरा किया गया।

तटीय सुरक्षा को मजबूत करना

11.2.2 **सीमा क्षेत्र विकास**

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सीमावर्ती राज्यों को 2010-11 में 6 अरब 91 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

11.2.3 **सीमा पार सेवाएं**

लोगों का आवागमन और माल लाना-ले जाना सुगम बनाने के लिए देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुछ चुने हुए प्रवेश स्थलों पर 6 अरब 35 करोड़ रुपये की लागत से 13 समेकित जांच चौकियां बनाई जा रही हैं। पहले चरण में 7 समेकित जांच चौकियों का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। ये हैंः अटारी (भारत-पाकिस्तान), रक्सौल (भारत-नेपाल), जोगबनी (भारत-नेपाल), दाउकी (भारत-बांग्लादेश), अखौरा (भारत-बांग्लादेश), मोरे (भारत-म्यामां) और पेत्रापोल (भारत-बांग्लादेश)। अटारी, रक्सौल और जोगबनी में निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। भारतीय भू-बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2010 बनाया गया है और प्राधिकरण को शुरू करने की कार्रवाई चल रही है। प्राधिकरण समेकित जांच चौकियों के निर्माण, प्रबंधन और रखरखाव का काम देखेगा।

11.3 रक्षा

देश की रक्षा तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए यूपीए सरकार सशस्त्र बलों के आधुनिकरण और देश में ही उन्नत शस्त्र प्रणालियों के उत्पादन पर बराबर ध्यान देती रही।

रक्षा उत्पादन में आत्म निर्भरता हासिल करने के लिए नई रक्षा उत्पादन नीति तैयार की गई है।

आयुध कारखानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निर्मित महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों तथा प्रणालियों में युद्धक टैंक, एरियल प्लेटफार्म, प्रक्षेपास्त्र प्रणाली, तटीय सुरक्षा नौकाएं, फास्ट अटैक विमान, बैटलफील्ड सर्विलान्स रडार, नौसैनिक रडार, शिप बोर्न इलैक्ट्रोनिक युद्धक प्रणाली, बारूदी सुरंग रोधी वाहन, इन्फैंटरी काम्बैट वाहन आदि शामिल हैं। इस वर्ष इन सब का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अधिक हुआ।

देश में ही डिजाइन और विकसित किया गया हल्का लड़ाकू विमान 'तेजस' दुनिया का सबसे छोटा हल्का बहु-उद्देश्यीय लड़ाकू विमान है। वायु सेना ने इसके इस्तेमाल की स्वीकृति दे दी है। वायु सेना में एयरबोर्न चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली (अवाक्स) भी सफलतापूर्वक शामिल की जा चुकी है।

स्वदेशी मुख्य युद्धक टैंक 'अर्जुन' की दो रेजिमेंट सेना में शामिल की गई हैं। देश में डिजाइन और निर्मित किया गया पहला स्टील्थ फ्रिगेट(युद्धपोत) आईएनएस शिवालिक और भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत 'समुद्र प्रहरी' भी काम करने लगे हैं।

हल्का लड़ाकू विमान तेजस-1

प्रशासन और नागरिक समाज

" हम भ्रष्टाचार की समस्या का डट कर मुकाबला करेंगे और शब्दों से नहीं, बल्कि कर्म के माध्यम से यह दिखा देंगे कि हम इस दिशा में ईमानदारी से काम करना चाहते हैं।"

श्रीमती सोनिया गांधी

'आधार' का राष्ट्र को लोकार्पण

12 प्रशासन और नागरिक समाज

12.1 सुधार

12.1.1 प्रशासनिक सुधार

दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की 15 रिपोर्टों में से 13 पर अंतिम फैसला ले लिया गया है। स्वीकृत 1005 सिफारिशों में से अब तक 430 सिफारिशों पर कार्रवाई की गई है। 21 अप्रैल, 2010 को लोक सेवा दिवस मनाया गया। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए 9 लोगों को प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए गए।

12.1.2 ई-प्रशासन

ई-प्रशासन के बारे में 14वां राष्ट्रीय सम्मेलन 10-11 फरवरी, 2011 को महाराष्ट्र में औरंगाबाद में आयोजित हुआ। सम्मेलन का विषय था - ग्रामीण ई-सेवाएं प्रदान करना। राष्ट्रीय ई-प्रशासन योजना के तहत 31 मार्च, 2011 तक की प्रमुख उपलब्धियों में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सार्वजनिक सेवाओं की इलेक्ट्रिोनिक डिलीवरी के लिए पूरे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में 93,163 सामान्य सेवा केन्द्रों का नेटवर्क, 26 राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में पूरी तरह परिचालित राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क की स्थापना तथा सामान्य सुरक्षित बुनियादी ढांचे के बारे में राज्य सरकारों की सेवाओं/अनुप्रयोगों के लिए 9 राज्यों में परिचालित राज्य डाटा केन्द्रों की स्थापना शामिल है। 22 भारतीय भाषाओं में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर टूल्स और फोन्ट उपलब्ध कराए गए हैं। 7 राज्यों के 20 जिलों में ई-जिला परियोजना के तहत प्रायोगिक रूप से ज्यादा मात्रा में नागरिक केन्द्रित ई-प्रशासन सेवाएं चालू की गई हैं। एमसीए 21, पेंशन, आयकर, केन्द्रीय उत्पाद कर तथा इंडिया पोर्टल के लिए मिशन मोड परियोजनाओं के काम में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

छह अरब 26 करोड़ रुपये की लागत से राज्यों के राजकोषों के कम्प्यूटरीकरण की योजना अप्रैल 2010 में स्वीकृत की गई। इसमें चार अरब 82 करोड़ रूपये केंद्रीय सहायता के रूप में खर्च होने हैं। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न हितधारकों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए उपयुक्त हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लगाए जाएंगे और इंटरफेस तैयार किए जाएंगे। इस योजना से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बजट तैयार करने की प्रक्रिया बेहतर बन सकेगी, नकद राशि के प्रबंध में सुधार होगा, खातों को जल्दी तैयार करने के काम को बढ़ावा मिलेगा और प्रबंध सूचना प्रणालियां मजबूत होंगी तथा खाते तैयार करने और सार्वजनिक सेवा प्रणालियों में सही और समय पर काम करने की प्रक्रिया में सुधार होगा।

12.1.3 न्याय प्रणाली में सुधार

उच्च न्यायालयों का वाणिज्यिक प्रभाग

विधि आयोग की 188वीं रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुरूप उच्च न्यायालयों का वाणिज्यिक प्रभाग विधेयक, 2009 संसद में पेश किया गया। प्रवर समिति द्वारा सुझाए गए कुछ संशोधनों के साथ इस विधेयक को स्वीकार करने का फैसला किया गया है। यह कानून वाणिज्यिक विवादों को तेजी से और प्रभावी ढंग से हल करने की दिशा में एक और कदम साबित होगा।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत विधिक सहायता योजनाएं और विधिक सेवा कार्यक्रम लागू करने के उद्देश्य से 2010-11 के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है। शिक्षित युवाओं और शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहकारी संस्थाओं

के सदस्यों जैसे विभिन्न श्रेणियों के लोगों को कानूनी मामलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और कानूनी सहायता के इच्छुक तथा कानूनी सहायता उपलब्ध कराने वाले लोगों के बीच पुल के रूप में विधि सहायक स्वयंसेवकों का पैनल बनाया जा रहा है।

आयकर अपील न्यायाधिकरण

आयकर अपील न्यायाधिकरण में विचाराधीन मामलों की संख्या को 31 मार्च, 1999 को 3 लाख 597 मामलों से घटाकर 1 मार्च, 2011 तक 54,792 कर दिया गया है। अपील दाखिल करने और अपील की सुनवाई के बीच लगने वाले समय को कम करके एक दशक पहले के पांच वर्ष की तुलना में लगभग छह महीने कर दिया गया है। आयकर अपील न्यायाधिकरण ने अंतर्राष्ट्रीय कराधान और ट्रांसफर प्राइसिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है।

विधि शिक्षा में दूसरी पीढ़ी के सुधार

विधि शिक्षा में दूसरी पीढ़ी के सुधारों के लिए नई दिल्ली में 1-2 मई 2010 को दो दिन का राष्ट्रीय विचार-विमर्श आयोजित किया गया। इस बैठक में ज्ञान प्रदान करने, विधि शोध को बढ़ावा देने तथा सामाजिक दायित्व एवं सुदृढ़ व्यावसायिक नैतिक मूल्यों वाले वकील बनाने और समाज के वंचित वर्गों की कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विधि शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन की सिफारिश की गई।

राष्ट्रीय मुकदमा नीति, 2010

राष्ट्रीय मुकदमा नीति 23 जून, 2010 को लागू की गई। इस नीति का प्रारूप वेबसाइट www.lawmin.nic.in/legal.htm पर उपलब्ध है। इस नीति का उद्देश्य अदालतों में विचाराधीन मामलों के औसत समय को 15 वर्ष से घटाकर तीन वर्ष तक लाना है।

वित्त आयोग अनुदान

13वें वित्त आयोग ने न्याय प्रदान करने की प्रणाली में सुधार के लिए 50 अरब रुपये के अनुदान की सिफारिश की है। 2010-11 में राज्य सरकारों को दस अरब रुपये दिए गए। इस अनुदान का उद्देश्य अदालती फैसलों में सुधार के लिए सहायता उपलब्ध कराना है।

जिला और सत्र अदालतों के कम्प्यूटरीकरण (ई-अदालत परियोजना) तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए केंद्रीय योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत देश में 14,249 अदालतों को आपस में जोड़ा जाएगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

बुनियादी ढांचे का विकास

सत्र अदालतों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचा जल्दी न्याय सुलभ कराने की राह में प्रमुख बाधा है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत आवंटन को अगले वर्ष के लिए पांच गुना कर दिया गया है।

ग्राम न्यायालय

ग्राम न्यायालय स्थापित करने में राज्यों की मदद के लिए सरकार हर ग्राम न्यायालय की स्थापना के लिए 21 लाख 20 हजार रुपये उपलब्ध कराती है। अब तक 144 ग्राम न्यायालय बन चुके हैं।

न्यायिक मानक एवं उत्तरदायित्व विधेयक

विधेयक संसद में पेश कर दिया गया है।

व्यापक चुनाव सुधार

व्यापक चुनाव सुधारों के लिए भोपाल, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, चंडीगढ़ और बंगलूरू में क्षेत्रीय परामर्श बैठकें आयोजित की गईं।

प्रवासी भारतीयों को मताधिकार

जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम 10 फरवरी, 2011 से लागू किया गया है। निर्वाचक पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2011 और निर्वाचक पंजीकरण (दूसरा संशोधन) नियम, 2011 बनाए गए हैं ताकि प्रवासी भारतीय निर्वाचक सूची में अपना नाम दर्ज करा सकें और वोट देने के हकदार बन सकें।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस

मतदाताओं, खासतौर से युवाओं को वोट देने को प्रोत्साहित करने के लिए इस वर्ष से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हर वर्ष 1 जनवरी को 18 वर्ष के होने वाले सभी पात्र मतदाताओं की पहचान करने के लिए व्यापक प्रयास करने का फैसला किया गया है। इस उद्देश्य को हासिल करने और नए पंजीकृत मतदाताओं को सम्मानित करने के लिए उन्हें "मतदाता बनने पर गर्व- वोट देने के लिए तैयार" लिखे निर्वाचन आयोग के लोगो के साथ बैज भी दिया गया।

12.1.4 सूचना का अधिकार कानून को सशक्त बनाना

सूचना का अधिकार कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। कानून के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मीडिया अभियान चलाए गए हैं। आरटीआई कानून का लोगो डिजाइन किया गया और अक्तूबर, 2010 में इसे जारी कर दिया गया। आरटीआई के बारे में सूचना उपलब्ध कराने के लिए वेबसाइट www.rtigateway.org.in शुरू की गई है। लोगों को कानून और इसकी प्रक्रियाओं के बारे में सामान्य जानकारी देने के लिए मुफ्त ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स http://rtiocc.cgg.gov.in पर उपलब्ध कराए गए हैं।

कानून के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की श्रेष्ठ विधियों और सफलताओं के बारे में जानकारी के आदन-प्रदान के लिए शिमला, त्रिवेंद्रम और भोपाल में तीन क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गई। नागरिक समाज और मीडिया से जुड़े पेशेवर लोगों को आरटीआई संबंधी मुद्दों पर शोध के लिए फैलोशिप देने की योजना शुरू की गई है। 2010-11 में 2-2 लाख रुपये की 5 फैलोशिप उपलब्ध कराई गईं।

12.1.5 बैंक खातों के जरिए छात्रवृत्तियों का भुगतान

देश के सभी एक लाख 55 हजार डाकघरों के कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा डाक, बैंकिंग, डाक जीवन बीमा, वित्तीय सेवाओं और मानव संसाधन गतिविधियों के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए महत्वाकांक्षी सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना चलाई गई है। इससे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कानून इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और छात्रवृत्ति योजनाओं जैसे आर्थिक सुरक्षा के लाभ प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाने में में मदद मिलेगी।

12.2 भ्रष्टाचार निरोधक उपाय

भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा सकने वाले कदमों पर विचार करने के लिए जनवरी 2011 में मंत्री समूह का गठन किया गया। यह मंत्री समूह भ्रष्टाचार से निपटने एवं पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आवश्यक सभी विधायी और प्रशासनिक उपायों, भ्रष्टाचार के आरोपी लोक सेवकों के सभी मामलों को जल्दी निपटाने, सार्वजनिक खरीद के मानक तय करने सहित सार्वजनिक खरीद और ठेकों में पूरी पारदर्शिता लाने तथा सार्वजनिक खरीद नीति तैयार करने, केंद्रीय मंत्रियों के विवेकाधिकारों को समाप्त करने और प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल की खुली एवं प्रतिस्पर्द्धी प्रणाली शुरू करने के बारे में विचार करेगा।

भ्रष्टाचार से निपटने में पेश आने वाली प्रमुख बाधाओं में से एक शिकायत करने वालों की पर्याप्त सुरक्षा की कमी है। इस बारे में जन हित में मामले उजागर करने और पर्दाफाश करने वाले व्यक्तियों के संरक्षण के बारे में विधेयक 26 अगस्त, 2010 को लोक सभा में पेश किया गया।

भारत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संधि की पुष्टि कर दी है।

इस संधि को पूरी तरह लागू करने के लिए विदेशी सरकारी कर्मचारियों एवं सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पदाधिकारियों को रिश्वत देने पर रोक लगाने का विधेयक 25 मार्च, 2011 को लोक सभा में पेश किया गया।

प्रगाढ़ अंतर्राष्ट्रीय संबंध

"वैश्वीकरण और अधिक घनिष्ठ तथा परस्पर निर्भर विश्व से, जिसमें हम रह रहे हैं, हमारे सामने नए अवसरों के साथ-साथ नई चुनौतियां भी आती हैं।"

डॉ. मनमोहन सिंह

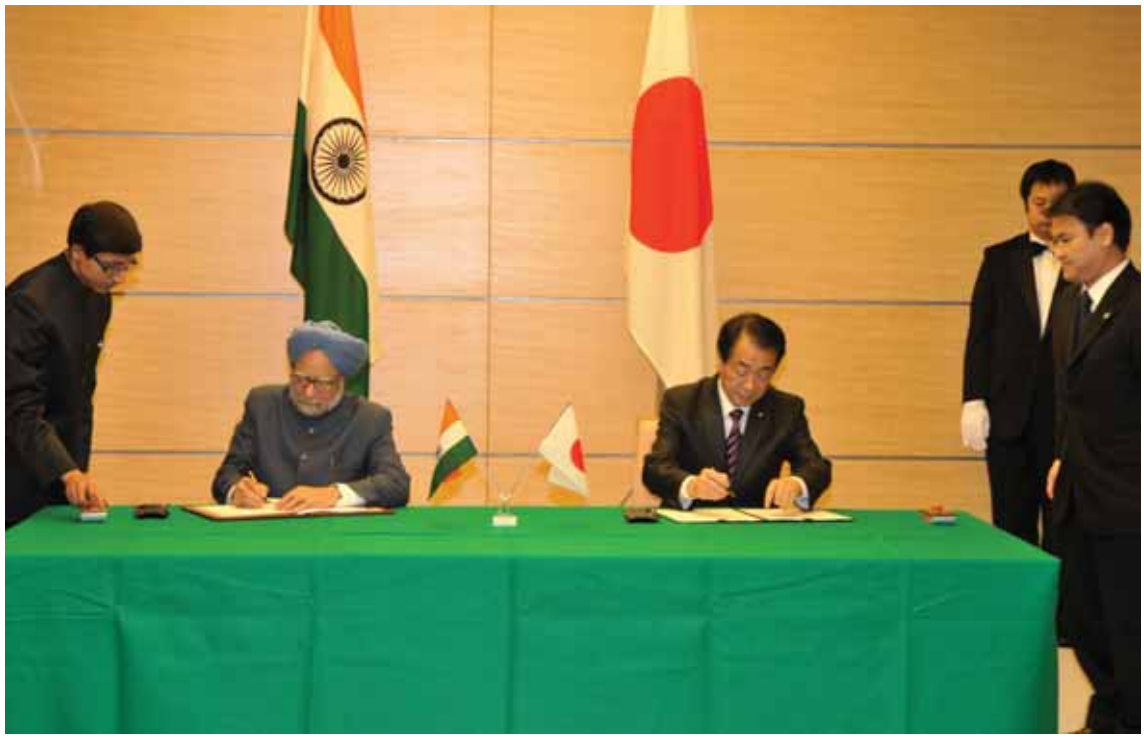

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मजबूती

13 प्रगाढ़ अंतर्राष्ट्रीय संबंध

13.1 विदेशी मामले

यूपीए सरकार ने वैश्विक मंच पर प्रमुख भूमिका निभाने के मामले में भारत की स्थिति मजबूत करने और पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने, नई मित्रताएं स्थापित करने और परंपरागत संबंधों को सुदृढ़ बनाने और ऐसा अंतर्राष्ट्रीय माहौल तैयार करने की नीति जारी रखी जिसमें वह समावेशी आर्थिक वृद्धि और विकास की अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दे सकता है।

भारत एक जनवरी, 2011 से दो वर्ष की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। भारत के पक्ष में 190 में से 187 वोट पड़े जो किसी भी देश को मिले सबसे अधिक वोट हैं। भारत इससे पहले 1991-1992 में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा।

विश्व के साथ भारत के संबंध निरंतर प्रगाढ़ हो रहे हैं। 2010-11 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य देशों के राष्ट्रपति/ प्रधानमंत्री सहित अनेक देशों के राष्ट्र प्रमुख, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री स्तर के 45 नेता भारत आए।

मिस्र से स्वदेश लौटने के इच्छुक भारतीयों की वापसी सुलभ बनाने के अलावा लीबिया में फंसे करीब 18 हजार भारतीयों को सुरक्षित भारत लाया गया। लुटेरों द्वारा बंधक बनाए गए भारतीयों की सुरक्षित रिहाई के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

13.1.1 पड़ोसी एवं अन्य देश- भागीदारी सुदृढ़ करना

भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ परस्पर लाभकारी संबंध विकसित करने में विश्वास करता है। हमने यह दिखा दिया है कि ज़रूरत पड़ने पर हम आपसी और क्षेत्रीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए परस्पर संबंधों के परंपरागत तौर तरीकों से आगे जाकर दूसरों से कम लाभ उठाने का जोखिम उठाकर भी काम कर सकते हैं।

जनवरी 2010 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत दौरे के बाद जारी संयुक्त घोषणा पत्र के निर्णयों को लागू करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इनमें बांग्लादेश में बुनियादी ढांचे के विकास तथा कई परियोजनाओं के लिए बांग्लादेश को एक अरब अमरीकी डॉलर का ऋण देना शामिल है जिससे हमारे पूर्वोत्तर राज्यों के बीच संपर्क बढ़ेगा और बांग्लादेश के साथ सशक्त आर्थिक संबंध विकसित होंगे।

भारत अपनी सीमा से लगते नेपाल के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा विकसित करने में नेपाल की सहायता कर रहा है। इसके लिए एकीकृत चौकियों का विकास और नेपाल के तराई इलाके में सड़कों तथा सीमा के आर-पार रेलमार्गों का निर्माण किया जा रहा है। भूटान के साथ हमारे विशेष संबंध और सशक्त एवं गतिशील हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 16वें सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 28-30 अप्रैल, 2010 को भूटान की यात्रा की।

भारत और अफगानिस्तान के बीच समृद्ध सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं, जो सदियों पुराने हैं। राष्ट्रपति हामिद करज़ई की भारत यात्रा

और दोनों देशों के उच्च पदाधिकारियों की एक दूसरे देश की यात्राएं जारी रहने से दोनों देशों के बीच रणनीतिक भागीदारी और मजबूत हुई। अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और विकास में भारत के रचनात्मक योगदान को वहां की सरकार और जनता के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अच्छी सराहना मिली है।

भारत आतंक और हिंसा से मुक्त वातावरण में तथा पाकिस्तान के इस वचन के आधार पर कि वह अपने नियंत्रण के किसी भी क्षेत्र को भारत के खिलाफ आतंकवाद भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा, पाकिस्तान के साथ आपसी वार्ता के लिए वचनबद्ध है। पाकिस्तान के साथ सभी बकाया मसलों पर समग्र वार्ता के जरिए फिर से बात करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है ।

हमने श्रीलंका में विस्थापित लोगों के पुनर्वास और उत्तरी एवं पूर्वी श्रीलंका के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान किया है। भारत ने उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका में 50 हजार मकान बनाने की घोषणा की है। हमने भारतीय मूल के तमिलों के लिए सहायता कार्यक्रम भी जारी रखे हैं। 2010 में जाफना और हम्बनटोटा में दो नए भारतीय वाणिज्य दूतावास खोले जाने से हमारे संबंध और मजबूत हुए हैं।

मालदीव के साथ पारंपरिक मैत्रीपूर्ण रिश्तों में और मजबूती आई। म्यांमार और भारत सुरक्षा, व्यापार एवं आर्थिक सहयोग, कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे का विकास, तेल एवं प्राकृतिक गैस, रेल सहित अपने बहु-आयामी रिश्तों को और व्यापक बनाने पर सहमत हुए। म्यांमार में कलादान मल्टी-मॉडल परियोजना का उद्घाटन समारोह दिसंबर 2010 में हुआ।

चीन के साथ संबंध भारत की विदेश नीति की प्राथमिकता बने रहे। मई 2010 में राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील की चीन यात्रा और उसके बाद दिसंबर 2010 में चीन के राष्ट्रपति वेन जियाबाओ की भारत यात्रा के अतिरिक्त प्रमुख क्षेत्रीय और बहुपक्षीय आयोजनों के मौके पर दोनों देशों के प्रतिनिधित्वों के बीच महत्वपूर्ण विचार-विमर्श हुआ। विस्तृत वार्ता कार्यक्रम के अंतर्गत दोनों देशों के बीच विभिन्न आपसी विषयों पर बातचीत हुई। 2010 में वर्ष भर अनेक सांस्कृतिक एवं व्यापारिक आयोजन किए गए। दोनों देशों के बीच राजनयिक रिश्तों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर चीन में भारत महोत्सव और भारत में चीन महोत्सव आयोजित किए गए।

हमने दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ अपने संबंध और मजबूत बनाने के लिए अपनी 'लुक ईस्ट' नीति जारी रखी है। गणतंत्र दिवस 2010 पर मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुसीलो बैमबैंग युधोयोनो की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच भागीदारी और प्रगाढ़ हुई है। हमने आस्ट्रेलिया के साथ आपसी हित के सभी मुद्दों और हितों पर विचार विमर्श जारी रखा तथा कम्बोडिया, लाओस, वियतनाम तथा प्रशांत सागर के कुछ देशों सहित क्षेत्र के विकासशील देशों को आर्थिक सहायता जारी रखी।

जापान और दक्षिण कोरिया के साथ हमारे संबंध बहुत गहरे रहे हैं। अक्तूबर 2010 में प्रधानमंत्री की टोक्यो यात्रा के दौरान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के बारे में बातचीत पूरी करके हमने जापान के साथ रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी को और सुदृढ़ किया। हाल में भूकंप और सुनामी से बुरी तरह प्रभावित हुए क्षेत्रों में बचाव और

पुनर्वास दल भेजने के हमारे फैसले से जापान के साथ हमारे विशेष रिश्ते का पता चलता है और जापान की सरकार और जनता ने हमारे प्रयास का हार्दिक स्वागत किया है। दक्षिण कोरिया के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता 2010 में लागू हुआ और इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंध और मजबूत होने की आशा है।

2010 में रूस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों की भारत यात्रा से रूस के साथ भारत के विशेष उच्चस्तरीय राजनीतिक संबंधों में और मजबूती आई। दिसम्बर 2010 में वार्षिक शिखर बैठक में दोनों देशों के बीच रणनीतिक भागीदारी को विशिष्ट

मलेशिया में 'लिटिल इंडिया' का शुभारंभ

संबंध बताया गया। इस दौरान असैन्य परमाणु ऊर्जा, तेल एवं गैस, आपातकालीन प्रबंध, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवप्रवर्तन, रक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी सहित अनेक समझौते किए गए।

मध्य एशिया क्षेत्र के देशों के साथ संबंध सुदृढ़ बनाने का सिलसिला जारी रहा। तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (तापी) गैस टाईप लाईन परियोजना के बारे में दिसम्बर 2010 में चारों देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने पर इस परियोजना को और गति मिली। भारत शंघाई सहयोग संगठन और भारत-रूस-चीन (आईआरसी) की गतिविधियों में भाग लेता रहा।

ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ हमारे संबंधों को और मजबूती मिली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून जुलाई 2010 में और फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी दिसम्बर 2010 में भारत आए। प्रधानमंत्री ने दिसम्बर 2010 में जर्मनी की यात्रा की।

नवम्बर 2010 में राष्ट्रपति ओबामा की भारत यात्रा से भारत-अमरीका वैश्विक रणनीतिक भागीदारी को नई ताकत मिली। वर्ष भर दोनों देशों के बीच कई बार विचारों का आदान-प्रदान हुआ जिससे आपसी रिश्तों में व्यापकता और मजबूती आई। दोनों देशों के बीच आतंकवाद पर काबू पाने में सहयोग, होमलैण्ड सुरक्षा वार्ता, कृषि और खाद्य सुरक्षा, भारत द्वारा स्थापित किया जा रहा वैश्विक परमाणु ऊर्जा भागीदारी केन्द्र, स्वच्छ ऊर्जा और लोकतंत्र तथा विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ।

अफ्रीका पर भारत का विशेष ध्यान बना हुआ है। राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील ने अप्रैल 2011 में मॉरीशस की यात्रा की। हम अफ्रीका में विकास योजनाओं के लिए लगातार सहायता दे रहे हैं। महत्वाकांक्षी योजना पैन-अफ्रीका ई-नेटवर्क के दूसरे चरण का अगस्त 2010 में उद्घाटन किया गया। भारत का यह प्रयास रहा है कि सभी स्तरों पर अफ्रीका के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए जाएं। मोजांबिक, युगांडा, सेशेल्स, रवांडा, कीनिया, मलावी, बुरूंडी, गाम्बिया, चाड, नाइजीरिया,

घाना, इथियोपिया और लोकतांत्रिक गंणराज्य कांगो के साथ उच्च स्तरीय विचार-विमर्श हुआ। मई 2011 में दूसरे भारत-अफ्रीका मंच सम्मेलन के लिए तैयारियां की जा रही हैं और हमें इससे अफ्रीका के ज्यादातर देशों के साथ अपने विकास सहयोग के लिए सशक्त मंच स्थापित होने की आशा है।

खाड़ी और पश्चिम एशिया का भारत के लिए रणनीतिक महत्व है, क्योंकि वहां पर 50 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं। इस क्षेत्र के साथ हमारे संबंध और मजबूत हुए और विभिन्न स्तरों पर विविध क्षेत्रों में आदान-प्रदान जारी रहा।

लैटिन अमरीका और कैरीबियाई क्षेत्र के देशों के साथ भारत के संबंधों में मजबूती आई और शिखर वार्ता, मंत्री स्तर, अधिकारी स्तर और व्यापारिक स्तर पर इन देशों के साथ विचार-विमर्श होता रहा। इस क्षेत्र में आपसी व्यापार और भारतीय निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

13.1.2 क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ बनाना

भारत ने सार्क में बढ-चढ़ कर अपनी जिम्मेदारियां निभाना जारी रखा। 2010 में दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय और सार्क विकास कोष जैसी फ्लैगशिप परियोजनाओं को लागू करने में उल्लेखनीय प्रगति हुई। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय का पहला शैक्षिक सत्र नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अस्थायी परिसर में अगस्त से शुरू हुआ। अभी समूचे दक्षिण एशिया क्षेत्र के 50 विद्यार्थियों के लिए दो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

भारत 'आसियान', पूर्वी एशिया सम्मेलन, इबसा, एसीडी, एएसईएम और अन्य प्रमुख क्षेत्रीय समूहों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा रहा है। उप राष्ट्रपति के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल अक्तूबर 2010 में बेल्जियम में 8वीं एशिया यूरोप बैठक में शामिल हुआ। भारत-आसियान वस्तु व्यापार समझौता एक जनवरी, 2010 को लागू हुआ। आसियान क्षेत्र के साथ भारत के आर्थिक रूप से जुड़ने की दिशा में यह महत्वपूर्ण पड़ाव है। सांस्कृतिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा एवं उत्कृष्टता संस्थान के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अगस्त 2010 में विधेयक पारित होना एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि रही।

यूरोपीय संघ हमारे सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है तथा प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण स्रोत है। ब्रुसेल्स में दिसंबर 2010 में भारत-यूरोपीय संघ का 11वां सम्मेलन यूरोपीय संघ की लिस्बन संधि के बाद पहला सम्मेलन था जिसमें संगठन ने विदेशी रिश्तों को सुदृढ़ बनाने, भारत-यूरोपीय संघ सहयोग के विस्तार में आपसी हितों को रेखांकित करने तथा नई और उभरती चुनौतियों से निपटने का साझा दृष्टिकोण विकसित करने के लिए अपनी संरचना को नया रूप दिया। इस वर्ष रक्षा, सुरक्षा, असैन्य परमाणु ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष, व्यापार एवं निवेश, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और संस्कृति एवं शिक्षा के क्षेत्र में रिश्ते मजबूत हुए।

13.1.3 वैश्विक मुद्दों पर रचनात्मक भागीदारी

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत परिषद के विचाराधीन मुद्दों पर सकारात्मक योगदान दे रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सुधारों, खासतौर पर अस्थायी एवं

स्थायी सदस्यों की श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार के लिए प्रयास जारी रखे हैं। हमने स्त्री-पुरुष समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में संयुक्त राष्ट्र केंद्र बनाने में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। आतंकवाद का मुकाबला मुख्य प्राथमिकता रही है तथा हमने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ व्यापक संधि के मसौदे पर बातचीत में प्रगति की दिशा में पूरा प्रयास किया है। भारत ने अंतर-राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संधि और उससे संबंधित तीन समझौतों की भी पुष्टि की।

भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में भी योगदान देता रहा है तथा हम इस मामले में योगदान देने वाले तीन सबसे बड़े देशों में से एक हैं। हमने विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के 9 अभियानों में करीब 9 हजार सैनिक भेजे हैं।

भारत ने वैश्विक, भेदभाव मुक्त और विश्वसनीय परमाणु निरस्त्रीकरण के उद्देश्य को अपना समर्थन जारी रखा।

भारत ने आर्थिक एवं वित्तीय संकट, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए जी-20 सहित विभिन्न बहुपक्षीय आर्थिक समूहों में सक्रिय भूमिका निभाई।

13.1.4 **जन कूटनीति और सांस्कृतिक कूटनीति**

भारत ने नए सामाजिक जन संचार माध्यमों की मदद से विदेश में भारत की छवि को बेहतर बनाने, खासतौर पर युवा पीढ़ी तक पहुंचने के अपने प्रयास जारी रखे। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में इसके 28 भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों ने भारतीय संस्कृति का सक्रिय रूप से प्रचार-प्रसार किया। 2010-2011 में विदेशी विद्यार्थियों को 2,350 नई छात्रवृत्तियां दी गईं। भारत में जन कूटनीति प्रयास विविध समूहों को जोड़ने तथा विदेश नीति मुद्दों पर व्यापक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

13.1.5 **विकास भागीदारी**

भारत विकासशील देशों में सहयोग के लिए लम्बे समय से प्रतिबद्ध रहा है। हम अपने भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) और अफ्रीका के लिए विशेष राष्ट्रमंडल सहायता कार्यक्रम (एससीएएपी) के माध्यम से विकासशील देशों को महत्वपूर्ण विकास सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। ये कार्यक्रम विकासशील जगत में बेहद लोकप्रिय हो चुके हैं। हम इन देशों को ऋण भी उपलबध करा रहे हैं। आईटीईसी कार्यक्रम, एससीएएपी और कोलम्बो योजना के अंतर्गत तकनीकी सहयोग योजना को दक्षिण-दक्षिण सहयोग संरचना के अंतर्गत भारत की विकास भागीदारी और विकासशील जगत के साथ सहयोग के महत्वपूर्ण घटक के रूप में मान्यता दी गई है। 2010-11 में 159 विकासशील देशों में आईटीईसी/एससीएएपी के अंतर्गत करीब 5,500 नागरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गएं। कोलम्बो योजना के टीसीएस कार्यक्रम के अंतर्गत कोलम्बो योजना के 18 सदस्य देशों में करीब 500 नागरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त भारत से अच्छे संबंध रखने वाले देशों को द्विपक्षीय परियोजनाओं, व्यवहार्यता अध्ययन, असैन्य और रक्षा सेवाओं में विशेषज्ञों और आपदा राहत के रूप में सहायता उपलब्ध कराई गई।

भारत सरकार 57 विकासशील देशों को अब तक सात अरब 76 करोड़ 30 लाख 70 हजार अमरीकी डालर के 137 ऋण दे चुकी है। 2010-11 में दो अरब 78 करोड़ 84 लाख 30 हजार अमरीकी डालर के 20 ऋणों को मंजूरी दी गई। नई दिल्ली में फरवरी 2011 में कम विकसित देशों का मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। बड़ी मात्रा में सहायता के साथ-साथ 50 करोड़ अमरीकी डालर के ऋण देने के हमारे निर्णय का दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए हमारी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की एक और अभिव्यक्ति के रूप में हार्दिक स्वागत किया गया।

13.1.6 **पासपोर्ट सेवाएं**

सरकार ने पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली को सरल और आसान बनाने, जिला पासपोर्ट कार्यालयों एवं स्पीड पोस्ट केंद्रों के जरिए विकेंद्रीकरण, विदेश में गैर-कम्प्यूटरीकृत दूतावासों के लिए पासपोर्ट का केंद्रीय मुद्रण, सार्वजनिक शिकायत प्रणाली को मजबूत बनाना तथा सुविधा उपलब्ध कराने वाले केंद्रों और हेल्प डेस्क तथा शिकायत निपटाने के लिए पासपोर्ट अदालत बनाने के क्षेत्र में सुधार किए हैं। 2010 में उच्च तकनीकी सुविधाओं वाले ग्राहक अनुकूल पासपोर्ट सेवा केन्द्र दो राज्यों में खोले गए। देश के विभिन्न भागों में 2011 तक ऐसे कुल 70 केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है।

13.2 **प्रवासी भारतीय**

13.2.1 **प्रवासी भारतीयों के ज्ञान, कौशल और संसाधनों से लाभ उठाने के संस्थागत प्रयास**

प्रवासी भारतीयों के बारे में प्रधानमंत्री की वैश्विक सलाहकार परिषद की दूसरी बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 7 जनवरी, 2011 को हुई। इस बैठक में दुनिया भर से चौदह जाने-माने प्रवासी भारतीय शामिल हुए। परिषद के सदस्यों ने परिषद की बैठकों में दिए जाने वाले सुझावों पर कार्रवाई करने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की जिनसे प्रवासी भारतीय समुदाय भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में प्रभावी योगदान दे सकेगा।

13.2.2 **आव्रजन प्रबंधन में सुधार**

राष्ट्रपति ने भारतीय श्रमिकों के हित के लिए नवंबर 2010 में दुबई में पहले भारतीय श्रमिक संसाधन केंद्र का उद्घाटन किया। रात-दिन काम करने वाले इस केंद्र में एक हेल्पलाइन है जहां श्रमिक सूचनाएं तथा कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं और विपत्ति में फंसे श्रमिकों को सहारा देने के बारे में मदद ले सकते हैं।

मूल रूप से ईसीआर देशों के लिए बनाए गए भारतीय समुदाय कल्याण कोष की सेवाएं अब दुनिया भर में सभी भारतीय दूतावासों को सुलभ करा दी गई हैं।